छत्तीसगढ़ विधान सभा



बुधवार, दिनांक 04 जुलाई, 2018 की अशोधित कार्यवाही

देवांगन\04-07-2018\a10\11.05-11.10

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018
(आषाढ़ 13, शक सम्वत् 1940)
विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई.
(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बलरामपुर जिले में स्वीकृत जल आवर्धन की लागत

1. (*क्र. 267) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर जिले में कितने जल आवर्धन योजना की स्वीकृति दी गई हैं ? उक्त योजना की लागत राशि क्या हैं ? इस योजना से कितनी जनसंख्या को जल आपूर्ति होगी ? (ख) उक्त स्वीकृत जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण करने की क्या कोई समय-सीमा निर्धारित थी ? यदि हां तो कब तक पूर्ण किया जाना था ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) बलरामपुर जिले में 04 आवर्धन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. उक्त योजनाओं की कुल लागत रु. 3210.93 लाख है. इन योजनाओं से 38234 जनसंख्या को जल आपूर्ति होगी. (ख) जी हां. निर्धारित समय-सीमा की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बलरामपुर जिले में जल आवर्धन योजना के संबंध में प्रश्न लगाया था। मंत्री महोदय के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उसमें समयाविध में कार्य पूरा नहीं करने के संबंध में उल्लेख है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित अविध में पूर्ण नहीं हुए। क्या ठेकेदार से दण्ड विधान के तहत वसूली की गई? नहीं तो क्यों? कार्य पूर्ण करने की उल्लेखित तिथि में कार्य पूर्णत: की दिशा में कार्य हो रहे हैं क्या?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरा प्रश्न तो लिखित पढ़ रहे हैं, वे जो लिखकर लाये हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रिफरेंस के लिए हो जाए तो चलता है, पर वे पूरा लिखित पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पढ़ने दें। कभी-कभी जो प्रश्न करते हैं, उन्हें आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रीतम राम जी, आप प्रश्न करिये।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल आवर्धन योजना पूर्ण करने की तीन वर्ष की तिथि से सात-आठ साल ज्यादा हो गये हैं क्या ठेकेदार से दण्ड-विधान के तहत वसूली की गई ? नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गई ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर जिले में 4 जल आवर्धन योजना सेंग्शन है। जहां तक उसमें समयाविध की बात है, उसमें कई निविदा लगायी गयी है, लेकिन उसमें ठेकेदारों के भाग नहीं लेने के कारण विलंब हुआ है। लेकिन जितने भी ठेकेदार काम लिये हैं, उसमें काम चालू है।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे उन्होंने उसमें विस्तार से उत्तर दिया है।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2018-19 की समय सीमा निर्धारित की गई है, इस दिशा में क्या सार्थक कार्य हो रहे हैं ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजपुर का जो दिया गया है, उसे दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने की दिशा में कार्यवाही चल रही है। काम चालू है। उसमें समय सीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन कार्य काफी प्रगति पर है। ठेकेदारों के लेट होने के कारण विलंब हुआ है, लेकिन कार्य प्रगति पर है। वाइफनगर, जो नई सेंग्शन है, इसमें काम चालू हो चुका है, चूंकि मेरे विधान सभा का है, मैंने खुद भूमि पूजन किया है इसलिए इसमें काम चालू हो गया है।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसमी नगर पंचायत का कार्य पूर्ण बताया गया है और साथ ही नगर पंचायत के द्वारा संचालन की बात कही जा रही है जबिक वास्तविकता यह है कि 15 वार्ड में से 11 वार्ड में आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है, शेष 4 वार्ड में पानी की आपूर्ति हो ही नहीं रही है। इस संबंध में क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि शत-प्रतिशत जलापूर्ति की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करायेंगे अगर पानी की उपलब्धता होगी तो उसके आधार पर हम विस्तार करेंगे।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है। बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए समस्या निवारण शिविर, लोक सुराज के माध्यम से हैण्ड पंप का उत्खनन, लाल पानी और फ्लोराइडयुक्त पानी के जल श्द्धिकरण के लिए कई आवेदन आये हैं। इस संबंध में शासन..

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न केवल जल आवर्धन योजना के बारे में था। उन्होंने विस्तार से बता दिया है।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मंत्री महोदय का ही विभाग है। इस संबंध में थोड़ी सार्थक पहल करें ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु का मुआवजा कार्यवाही

2. (*क्र. 24) श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से मई, 2018 तक वाहन दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? कितने लोग घायल हुये ? (ख) मृतक और घायल व्यक्ति के परिवार को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? कितने मृत व घायल व्यक्ति के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया हैं ? कब तक मुआवजा दिया जावेगा ? (ग) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को रोकने हेत् शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अविध में अकलतरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वाहन दुर्घटना में 190 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 488 लोग घायल हुये. (ख) 48 मृतक के परिवार को रु. 10,80,000- (रु. दस लाख अस्सी हजार) आर्थिक सहायता राशि तथा हिट एण्ड रन के प्रकरण में सोलेशियम योजना के अन्तर्गत 01 मृतक के परिवार को रु. 25,000- (रु. पच्चीस हजार) मुआवजा राशि प्रदाय किया गया. 16 मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से लंबित है. घायल व्यक्तियों को मुआवजा राशि एवं लंबित प्रकरण की जानकारी निरंक है. लंबित प्रकरणों में प्रक्रिया पूर्ण होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदाय की जावेगी. (ग) क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :

 सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है.

- 2. दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना रोकने हेत् कारगर प्रयास किये जा रहे हैं.
- 3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जा रही है.
- 4. जिला चिकित्सालय के माध्यम से वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया.
- 5. स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
 - 6. प्लिस विभाग के वाहनों से निरंतर पेट्रोलिंग किया जा रहा है.
 - 7. दुर्घटनाजन्य स्थलों के समीपस्थ ग्रामों में यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है.
- 8. यातायात रथ के माध्यम से आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों, सड़क स्रक्षा नियमों की जानकारी देकर लोगों का जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
- 9. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक, यातायात प्रशिक्षण, हैलमेट-जागरूकता रैली आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मई 2014 से 2018 तक वाहन दुर्घटना में मृतक एवं घायलों की जानकारी मांगी थी। जानकारी में दी गई कि 190 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 488 घायल हुए हैं। 1 सप्ताह में 1 आदमी की मौत और हर तीसरे दिन एक घायल हो जाता है। आखिर इस असमय मौत के लिए जिम्मेदार कौन है ?

श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\a11\11.05-11.10

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिम्मेदार कौन है ? वह तो हमारे विभाग से पूरी व्यवस्था की गई है। दुर्घटना रोकने के लिए प्रयास किये जाते हैं उसमें हमने प्रयास किया है और ये माननीय विधायक जी का क्षेत्र काफी ट्रैफिक का क्षेत्र है, उस पर अपने विभाग से जितनी सुरक्षा के कदम उठाये गए हैं, किया गया है हमने जवाब में दिया है।

श्री चुन्नीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अकलतरा और बलौदा नगर से बीचों बीच बड़ी-बड़ी ट्रेलर निकलती है, कोयले की गाड़ियां जाती हैं और रौंद दिये जाते हैं। बाई पास की स्वीकृति मिली है, 3 साल हो गया, बजट में आने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। जिस वजह से लोग आये दिन मर रहे हैं और ये सरकार जो कहती है कि 9 बिन्दु पर जानकारी दी गई है कि हम रोकथाम के उपाए कर रहे हैं, दुर्घटना से कैसे बचे? लेकिन ये सिर्फ कागज के आंकड़े हैं तो आखिर ये कब थमेगा? वहां पर आये दिन सड़क जाम होता है, आन्दोलन होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको मुआवजा भी मिलता नहीं है। मेरा प्रश्न था कि उनको कितना मुआवजा दिया गया? और अभी तक मुआवजा अप्राप्त है लोगों में भयंकर रोष व्याप्त है, आप कब तक मुआवजा दिलायेंगे ?

श्री रामसेवक पैकरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने आवेदन किया है उनको मुआवजा दिया गया है। शेष जो आवेदन नहीं किये हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दिलीप लहरिया।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 9 बिन्दुओं पर रोकथाम के उपाए किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इसकी बैठकें साल में कब-कब होती हैं ? इसमें कौन-कौन रहते हैं ? इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, बतायें हैं ये एक वर्ष में कब-कब किया गया ? और तीसरा जो निरंतर पेट्रोलिंग होती है पूरे जिले में कितने वाहन पेट्रोलिंग के लिए लगे हैं यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विभाग से लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है और जहां तक बैठक का सवाल है बैठक जिला स्तर में किया जाता है और इसमें जिले के पुलिस विभाग के अधिकारी भी रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के किसी भी बैठक की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है पूरा जिला औद्योगिक जिला है उसके बावजूद लगातार दुर्घटनाएं होने से प्रतिवर्ष 500 लोग सड़क दुर्घटना में मौत होती है और सरकार इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है क्या इनके रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करेंगे ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है और जहां तक रोकने के जो उपाए हैं, जो बिन्दु हमने दिया है उसके आधार पर लगातार कार्यवाही होती है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण

3. (*क्र .109) श्री दिलीप लहिरेया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि) क (वन विकास निगम के द्वारा मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कहां-कहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया है ? स्थलवार जानकारी देवें) .ख (वर्तमान में कितने प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित है ? स्थलवार व संख्यावार जानकारी देने का कष्ट करें) .ग (क्या वृक्षारोपण के दौरान भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत पाई गई है ? यदि हां तो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) जी नहीं.

श्री दिलीप लहिरया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विकास निगम के द्वारा मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कहां-कहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया है ? यह जानकारी उत्तर में आया है, लेकिन पहले मंत्री जी उत्तर दें ? उसके बाद...।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर तो लिखित आ गया है उसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछिए?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। वहां ऐसा नहीं है जिस हिसाब से 95, 98, 93 प्रतिशत वृक्षारोपण सुरक्षित है ऐसा बताया गया है वहां मात्र 20 प्रतिशत वृक्षारोपण सुरक्षित है। चूंकि पिछले कुछ माह पहले भू विस्थापित जो प्रभावित गांव हैं वहां एक दर्राभाठा गांव हैं जहां इसी के चलते पर्यावरण स्रक्षित नहीं है और वहां गाँव में हैजा का प्रकोप आया था....।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने 60 हजार पौधे रोपे गए हैं 57 हजार, 151 सुरक्षित पौधे की संख्या है, बताया है और अगर उन्होंने उत्तर गलत दिया है तो उसके लिए आपको अलग से अवसर है कि जो प्रश्न संदर्भ समिति है, उसमें आप जा सकते हैं तो अभी और उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न करना है तो आप कर लीजिए ?

श्री दिलीप लहिरया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। उसी के साथ-साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या एन.टी.पी.सी. के अंतर्गत जो भू विस्थापित गांव है, उस गांव में भी वृक्षारोपण हो रहा है या नहीं हो रहा है, मंत्री महोदय जी यह जानकारी देंगे ?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्थापित जो गाँव है उद्योग जो विभाग है और औद्योगिक जो संस्थान हैं दोनों मिलकर काम करते हैं और निश्चित तौर पर वृक्षारोपण का काम सतत् जारी है, जहां पर भी मांग होगी और जहां पर भी जमीन उपलब्ध होगी, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करेगा, वहां पर वन विकास निगम द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।

रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत तेन्द्रपत्ता संग्रहण

4. (*क्र .34) **श्री उमेश पटेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ वन मण्डलांतर्गत विभिन्न तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2018-19 में 08-06-2018 तक कितना तेन्दू पत्ता संग्रहित कर लिया गया है ? केन्द्रवार जानकारी देवें. (ख) प्रश्नांश के अंतर्गत तेन्दू पत्ता कम दरों पर नगदी खरीदी का मामला सामने आया है ? जानकारी देवें. (ग) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन में विभिन्न संग्रहण केन्द्रों में समितियों के माध्यम से दिनांक 08-06-2018 तक कुल 55199.825 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है .केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी नहीं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री उमेश पटेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो तेन्दूपत्ता संग्रहण केन्द्र है उसमें कोई तरह कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस मामले में आपके या आपके किसी अधिकारी के पास कोई आवेदन आया कि कहीं पर नगदी खरीदी की जा रही है या कहीं खरीदी में देरी हो रही है ?

श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\a12\11.10-11.15

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई शिकायत न मुझे और न ही विभाग में प्राप्त हुई है। श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पेसीफिक प्रश्न पूछ लेता हूं। बरगढ़ सोसायटी में क्या किसी तरह की कोई अनियमितता की बात आपके पास आई है?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बरगढ़ सोसायटी में खरीदी मई माह में शुरू हुई है, क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख में कितनी तेंद्र्पत्ता की खरीदी हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें एक वनमंडल में कम से कम 500-700 सोसायटी होती हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 53 समितियां हैं, उन 53 समितियों में बरगढ़ एक समिति है, मैं उस समिति के बारे में पूछ रहा हूं कि किस तारीख को कितनी खरीदी हुई है?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ वनमंडल में 418 फड़ हैं और अपने यहां सोसायटी से नहीं, फड़ों के माध्यम से खरीदी होती है। माननीय सदस्य जिस सोसायटी का बता रहे हैं, मेरे पास सूची है, मैं देख रहा हूं। बाकी इस तरह से कोई भी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जहां से आप जो प्रश्न कर रहे हैं, कोई भी समिति से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बरगढ़ सोसायटी में सीमित समय के अंदर में 53 हजार खरीदी हुई और सिर्फ एक दिन में 63 हजार की खरीदी हुई है और जो खरीदी हुई है तेदूंपत्ता संग्राहकों को उसका नगदी पेमेन्ट किया गया है। क्या आप अभी सदन में आश्वस्त करेंगे कि उस सिमित के बारे में जांच होगी और अगर किसी ठेकेदार को लाभ दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमिति में जो खरीदी होती है, संग्राहक जो तेंदूपत्ता लाते हैं, हो सकता है कि अगर उस दिन में संग्राहक ज्यादा लाये हों तो संग्रहण के हिसाब से उसका आया होगा। लेकिन माननीय सदस्य जिस तरह से बता रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर अपने एम.डी.ए. को कहा भी गया है, किसी सिमिति में प्रश्न लगाने के बाद पता भी किया है की अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आई है, जो जांच में मौके पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धनेन्द्र साह्।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसके लिए एक जांच समिति बनी थी, वह लोग जांच करके आये और जांच करने के बाद रिपोर्ट में यह दिया गया कि जांच में कुछ नहीं पाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस समिति में बाद में सीमित समय के बाद खरीदी हुई है और खरीदी होने के बाद वापस हितग्राहियों को पैसा नगदी के रूप में दिया गया है और जो खरीदी हुई है वह एक दिन में सीमित समय से ज्यादा हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह तो जांच का विषय है ही और उस पर अगर माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि उसमें कुछ जांच की जरूरत नहीं है तो यह बहुत चिंताजनक बात है। माननीय मंत्री जी आप कम से कम इसमें उच्चस्तरीय जांच करा दीजिए।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हमने परीक्षण कराया था, कहीं इस तरह की शिकायत नहीं मिली है।

गोबरा नवापारा नगर पालिका में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास

5. (*क्र .399) श्री धनेन्द्र साह् : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले की गोबरा नवापारा में नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस-किस वर्ष में कितने लोगों को आवास दिया जाना स्वीकृत किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल : (जानकारी † संलग्न परिशिष्ट¹ पर है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने 24.04.17 को 208 मकान और बाद के वर्षों में मिलाकर के लगभग 1033 आवास स्वीकृत होने की जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुल कितने आवासों के निर्माण के लिए पूरी राशि दी जा चुकी है ? कितने को दो किश्त दिया है, कितने को एक किश्त दिया है ? वर्तमान में कितने पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, कृपया स्थित की जानकारी दे दें ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 आवास पूर्ण हैं और निर्माणाधीन आवास 84 हैं। मैं इसकी प्रक्रिया माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह 4 लेबल पर होता है, क्योंकि यह आवास हितग्राही को खुद बनाना है। क्योंकि ये जितने भी मकान स्वीकृत हुई हैं, ये ''मोर जमीन-मोर मकान'' के तहत हुए हैं, इसमें 4 लेबल पर है, 25 प्रतिशत नींव पर, उसके बाद फिर पूरा हो जाता है 25 प्रतिशत लेन्ट्री लेबल पर, फिर 25 प्रतिशत लेन्टर पर और 25 प्रतिशत उस पर। और कुल लोगों को जो हमने राशि दी है, अभी तक हमने टोटल राशि 49 लाख रुपये की राशि दी है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 1 हजार से अधिक मकान स्वीकृत हैं और माननीय मंत्री जी जो राशि बता रहे हैं वह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहुंगा कि (जारी)..

¹ † परिशिष्ट- तीन

अरविंद\04-07-2018\a13\11.15-11.20

........जारी श्री धनेन्द्र साह् मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि लगभग मार्च माह में 30 हितग्राहियों के मकान नगर पालिका प्रशासन ने यह कहकर तुड़वा दिया कि तुम्हारा पैसा पास हो गया है, इसको जल्दी समतल कर दो, हम नया डिजाइन देंगे, नया नक्शा देंगे और पहला किश्त जारी करेंगे, मकान बनायेंगे। मकान को तोड़े हुए आज 4 महीना हो गया है, बारिश का समय है। उनको अभी तक पहला किश्त जारी नहीं हुआ है। वहां पर सब ठेकेदार, माफिया लोग सिक्रिय हो गए हैं। ठेकेदार लोग बोल रहे हैं कि हमको ठेका दे दो तो हम मकान बनाकर दे देंगे। ऐसे कुछ ठेकेदारों ने अपने पैसे से काफी ऊंचाई तक बना दिया है। एक धनेश्वरी साहू हितग्राही है, उसने उसका ए0टी0एम0 कार्ड जब्त कर लिया है। उनसे ए0टी0एम0 कार्ड छीन लिया है, यह स्थिति है। जहां आपकी इतनी अच्छी योजना संचालित है। सिर्फ मानीटरिंग नहीं होने के कारण, देखरेख नहीं होने के कारण वहां जनप्रतिनिधिगण पार्षद ठेका ले रहा है। उसके बाद भी यह गंभीर विषय है कि इस भरी बारिश में लगभग 20 हितग्राही, वार्ड नं. 15, 16 और वार्ड नं. 4 के जो 20 हितग्राही हैं, जिनके मकान को तोड़ दिया गया है। उनको अभी तक पहला किश्त भी जारी नहीं किया गया है। वे बेघरबार हो गए हैं। उनका जो प्राना घर रहने लायक था, वह तो कम से कम सलामत रहता। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उन्हें तत्काल पहले किश्त की राशि जारी करे। हम लोग फील्ड में गए और कारण की जानकारी लिए तो कारण भी बता रहे हैं कि उन्हें जो पट्टा मिला है, उस पट्टे को नगर पालिका के इंजीनियर ने, सी0एम0ओ0 ने खारिज कर दिया है। एस0डी0एम0 से जांच करवाया गया तो सारे पट्टे सही पाए गए। तो इस तरह की स्थिति है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस पर तत्काल किश्त जारी करें और जो दोषी लोग हैं, माननीय मंत्री जी, यह कोई साधारण बात नहीं है, इसके लिए जो दोषी हैं, उनकी जांच करायें, कार्रवाई करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना में यह जो ठेकेदारी हो रही है, जो माफिया लोग सक्रिय हो गए हैं, उनका ए0टी0एम0 कार्ड वापिस दिलवा दें और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, यह मेरा निवेदन है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो एक ही किया है, लेकिन बातें बहुत बोली हैं। यह योजना से संबंधित है, इसलिए मैं एक-एक करके बता देता हूँ। मैंने उत्तर में ही बताया है कि एक हजार मकान मोर जमीन मोर मकान में हुआ है। जो कम काम प्रारंभ हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आबादी भूमि का पट्टा है, वह वितरित होना है। इसकी प्रक्रिया यह है कि आबादी पट्टे में काबिज हैं, हम उसका सर्वें कर लेते हैं और भारत सरकार से स्वीकृत करा लेते हैं। भारत सरकार एक कंडीशन डाल देती है कि आबादी पट्टा स्वीकृत होने के बाद, तो वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग-लगभग 786 प्रकरण हैं, उसके बाद उनको देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माननीय सदस्य ने जो बोला कि ठेकेदार, यह मोर जमीन मोर मकान है, इसमें कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है। जिसके नाम से जमीन है, उसी को चैक जाना है, वह एकाउन्ट पेयी चैक जाना है, कैश नहीं जाना है। मान लो कोई ठेकेदार हितग्राही से जबर्दस्ती करता है तो हितग्राही को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम तो चैक उसके नाम से दे रहे हैं, ठेकेदारों के नाम से नहीं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा, माननीय सदस्य ने जिन 20 लोगों के बारे में कहा, यह बात सही है कि 20 लोगों का सर्वे में नाम हुआ था, उस सर्वे में पट्टे का एक नियम है कि पट्टे का वेरीफिकेशन (सत्यापन) पहले होना चाहिए। वह सत्यापन नहीं हुआ था, तो उसके कारण उन 20 लोगों के मकान स्वयं उनसे तुड़वाये गए। तुड़वाने के बाद अभी वे दूसरी जगह रह रहे हैं, लेकिन जैसे यह प्रकरण हमारे सामने आया, माननीय सदस्य जो कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, हमने तत्कल सी0एम0ओ और इंजीनियर दोनों को निलंबित कर दिया है। उनको पहले पट्टे का सत्यापन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरा जो माननीय सदस्य की चिंता का विषय है, यह बात सही है कि बारिश का समय है, आपने प्रथम किश्त के बारे में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 20 लोगों को प्रथम किश्त 9 लाख 18 हजार रूपया दे दिया है।

श्री धनेन्द्र साहू: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने जानकारी दिया है सब इंजीनियर और सी0एम0ओ0 को सस्पेण्ड कर दिया है। सवाल यहीं तक नहीं है

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\a14\11.20-11.25

श्री धनेन्द्र साहू :- जैसा कि आपने जानकारी दी है कि सब-इंजिनियर और सी.एम.ओ. को सस्पेंड किया है । सवाल यहीं तक नहीं है, इसमें पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन, जहां पर जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुये हैं, उनको बार-बार मांग की जा रही है, चार महीने से यह बात की जा रही थी, इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है । अभी वह जो बेघरबार है, एक दिन में घर तो बनेगा ही नहीं, इनको कम से कम इतने लोगों के घर जो तोड़े गये हैं, उनको जो भी सरकारी आवास होगा, भवन है, सामुदायिक भवन है, जब तक मकान नहीं बन जाता, उन हितग्राहियों को वहां ठहरायें । जैसा कि आपने कहा है, ठीक है चेक उस हितग्राही को ही मिलता है, लेकिन इसकी आप जांच करायेंगे कि सत्यता है, ए.टी.एम. कार्ड जब्ती कर लिया है । (XX)²

² (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री भूपेश बघेल :- नाम बता रहे हैं भई ।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं उसका नाम बता रहा हूँ । आपका पार्षद । मैं तो नाम सिहत बोल रहा हूँ । $(X \ X)^3$ वहां का वार्ड नंबर 4 का पार्षद, उसने ठेका लेकर वहां अपनी लागत लगाया है । यह बोल रहा है कि यदि तुम मुझे ठेका नहीं दोगे तो तुम्हारा किश्त जारी नहीं होगा । लोग मजबूरी में ठेका दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- नाम विलोपित कर दें ।

श्री धनेन्द्र साह् :- कृपया इसकी पूरी जांच करायें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नाम क्यों विलोपित होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए होगा क्योंकि उनको यहां पर आकर स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं है। अगर आपको किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हितगाही का नाम लेना तो मना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय :- वहां तक ठीक है । आप पार्षद बोल दिये, व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम लेंगे ।....

श्री भूपेश बघेल :- ए.टी.एम. जो रखा है, उसका तो नाम बतायेंगे अध्यक्ष महोदय ? उसमें आरोप कहां है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है । आरोप अगर लगाना है तो पहले से उसकी सूचना दीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हितग्राही का नाम ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हितग्राही के नाम में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- हितग्राही के बाद उसका ए.टी.एम. कार्ड रखने वाले व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। उसमें आपत्ति क्या है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, भूपेश जी । अगर नाम लेने की परम्परा सदन में शुरू करेंगे, एक तो अभी पार्षद का है, कल का पता नहीं और किसका-किसका नाम लेंगे । इसलिए मेंरा निवेदन है कि अगर

³ (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

किसी के ऊपर आरोप लगाना हो तो उसकी सूचना पहले दे दें, ताकि उसके बारे में परीक्षण करा लें कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है ।

श्री धनेन्द्र साह् :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वापिस लेता हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- रामसेवक पैकरा जी को बोलिये कि डण्डाधारी हैं, उनके खिलाफ पकड़कर कार्यवाही करें ।

श्री धनेन्द्र साहू: मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच बहुत गंभीर विषय है। सारे हितग्राहियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे को विषय की गंभीरता को लेकर पार्षद का नाम लेने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन हितग्राहियों को डराया-धमकाया जा रहा है कि आप हमें ठेका दो, तब तुम्हारा पैसा निकलेगा।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो अलग-अलग विषय है ।

श्री अमरजीत भगत :- मामला गड़बड़-सड़बड़ पैसा हड़पने का है ।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर स्नों ।

श्री अमरजीत भगत :- हितग्राहियों का पैसा कोई भी गफलत किया है तो बात तो वही है ।

श्री वृहस्पत सिंह :- लेकिन इतना डराया-धमकाया जा रहा है, मंत्री जी चुप हैं । इनका विभाग क्या कर रहा है । कितना भययुक्त हुआ है ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बाई चेक पैसा देते हैं । उसके बाद अगर किसी को कोई धमकाता है, क्योंकि हमारे यहां पार्षद को कोई चेक राईट नहीं है । हम हितग्राहियों को बाई चेक पेमेंट उसको देते हैं । अगर हितग्राही को कोई धमका रहा है, उसकी प्रक्रिया अलग है । उसमें नगर पालिका का कोई रोल नहीं है । कोई किसी को धमकी दे देता है ।

श्री अमरजीत भगत :- गृह मंत्री जी को बोलिये ना कि उसमें पकड़-पकड़ के कार्यवाही करे । ऐसे लोगों को खुला छूट दे देते हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हम बाई चेक उनको पेमेंट करते हैं और चेक का अधिका सी.एम.ओ. को है । अगर सी.एम.ओ. ने कहा हो कि भई आप उसको दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सत्यापन नहीं किया है, निलंबित किया है । हमने सबकी राशि दी है । अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है ।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी सरकार में गड़बड़ हो रहा है, पूरी जवाबदारी सरकार की है श्रीमान।

श्री अमर अग्रवाल :- अरे कांग्रेस में बहुत गड़बड़ हो रहा है, (X X)⁴ टिकट का लेने का देना पड़ गया है । (X X) टिकिट को बह्त खतरा है । पहले अपनी टिकट संभालो ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यहां सभी सदस्य सम्माननीय होते हैं, अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल मान्य है ।

श्री भूपेश बघेल :- अमर अग्रवाल जी, सीधा (XX)⁵ वगैरह में उतर गये । कम से कम (XX) तो आप मत बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको हटा दीजिए । निकाल दीजिए । (XX) शब्द को विलोपित कर दीजिए। आप सब लोग, माननीय सदस्य इस सदन में जितने बैठे हैं, सब सम्मानित हैं । इस बात का सभी लोग ख्याल रखते हैं कि उनका सम्मान किया जाये, लेकिन आप लोग मजाक करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको मैंने विलोपित भी करा दिया है ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है । मोर जमीन-मोर मकान एक योजना है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिनके पास जमीन नहीं है, किराये में रहते हैं, आवासहीन हैं, उनके लिए इस योजना में क्या है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न से उदभूत नहीं होता है । फिर भी क्योंकि इसमें दो योजना है, एक तो जिसके पास जमीन का पटटा है, नंबरी जमीन है, उसके लिए मोर जमीन-मोर मकान और दूसरा अगर ऐसा कोई पटटा किसी के पास नहीं है, जो किराये में रहते हैं, आवासहीन है, शासकीय जमीन लेकर उसमें मकान बनाकर देने का प्रावधान है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती देवती कर्मा ।

श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\a15\11.25-11.30

^{4 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

⁵ (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

जारी.........शी अमर अग्रवाल :- और दूसरा अगर ऐसा कोई पट्टा नहीं है किसी के पास जो किराये में रहते हैं, आवासहीन हैं, शासकीय जमीन लेकर उस पर मकान बनाकर उनको देने का प्रावधान है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित/प्रभाव मुक्त जिले

6. (*क्र. 527) श्रीमती देवती कर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन से जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित हुए हैं ? (ख) प्रदेश के कौन-कौन से जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं ? (ग) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन का क्या मापदण्ड है ?

गृहमंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) वर्तमान में प्रदेश के कुल 14 जिले क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलरामपुर एवं कबीरधाम नक्सल प्रभावित जिले के रूप में चिन्हांकित हैं. (ख) सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से पृथक किया गया है. (ग) नक्सल प्रभावित जिलों के चिन्हांकन के संबंध में मापदण्ड निम्नानुसार है :

- 1. विगत पांच वर्षों में घटित नक्सल अपराध.
- 2. विभिन्न नक्सली संगठनों द्वारा प्रभावित जिलों में संगठनात्मक मजबूती के लिये किये गये प्रयास.
- 3. सशस्त्र दलम की उपस्थिति, उनकी गतिविधियाँ तथा उनकी मारक क्षमता.
- 4. माओवादी अग्र संगठनों का विस्तार एवं सिक्रयता, जो सशस्त्र माओवादी कॉडर को प्रभावी सहयोग-लॉजिस्टिक, आश्रय

इत्यादि के रूप में उपलब्ध कराते हों.

नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस/प्रशासन द्वारा किये गये उपाय.

श्रीमती देवती कर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है मैं उसके लिये उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं लेकिन आज कौन-कौन से जिले नक्सलमुक्त हो गये हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि दो जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त किये लेकिन बाकी जिले क्यों मुक्त नहीं हुए हैं ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सल प्रभावित 14 जिले हैं उसमें से 4 को मुक्त किया गया है लेकिन उसमें से 01 पुन: प्रभावित हुआ है कवर्धा जिला जिसे पुन: नक्सल प्रभावित घोषित किया गया है । शेष में नक्सली अपराध कम होने के कारण नक्सलमुक्त घोषित किया गया है ।

श्रीमती देवती कर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में हमारे इतने बड़े-बड़े नेता शहीद हो गये उसके बाद भी चूंकि सरकार यही कहती है कि हम वर्ष 2013 से मुक्त करेंगे । आज तक कितने जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त किये ? आज इतने लोग शहीद हो गये । यह सरकार केवल देख रही है, आज सभी जिले नक्सल प्रभाव से क्यों मुक्त नहीं हो रहे हैं ? केवल दो जिले मुक्त हुए, बाकी जिलों ने क्या गलत किया है ? उनको कब नक्सल प्रभाव से मुक्त करेंगे कृपया यह बतायें।

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार बस्तर क्षेत्र में छोटे जिलों का निर्माण किया गया है और लगातार नक्सली क्षेत्र में दबावपूर्ण काम किया जा रहा है और दबाव के कारण ही नक्सली समस्या में कुछ कमी आयी है और जहां तक सरगुजा जिला भी एक समय था पूर्ण रूप से पांचों जिले प्रभावित थे लेकिन आज वहां पर 04 जिले मुक्त हुए हैं, 01 जिला आंशिक रूप से अभी बलरामपुर बचा है । जहां तक बस्तर क्षेत्र में पहले एक जिला था, अब 7-7 जिलों का निर्माण हो चुका है, लगातार उन क्षेत्रों में दबाव बनाये हुए हैं ।

श्रीमती देवती कर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं कि इतना मुक्त किये लेकिन कहां मुक्त हुआ है ? क्या पॉकेट में नक्सलियों को भरे हैं, जब चाहे तब पॉकेट में भरकर रखे, जब चाहे तब निकाले यही है सरकार, ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है ?

श्री अमरजीत भगत :- श्रीमान, सरकार बुरी तरह से विफल है । पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला आपका वक्तव्य है, इसमें कहां से पुलिस लड़ेगी और प्रदेश नक्सलमुक्त होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- आज श्री अमरजीत जी क्या हो गया है ?

श्री अमरजीत भगत :- बस अंतिम-अंतिम तो है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी प्रश्नों में खड़े हो रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर तो पूरा प्रभावित है ही । सरकार यह कहती है कि हम सरगुजा मुक्त करा दिये लेकिन उत्तर में आ रहा है कि बलरामपुर नक्सलप्रभावित हो गया है, एक और नया जिला जुड़ गया है इसके लिखित उत्तर में कबीरधाम जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है । आप बयान देते हैं कि नक्सली बैकफुट में आ रहे हैं और उसके बाद विस्तार हो रहा है । आखिर क्या कारण है कि कबीरधाम और बलरामपुर जिले में नक्सली पैर पसार रहे हैं ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सरगुजा संभाग के पांचों जिले प्रभावित थे लेकिन अब 04 जिले समाप्त हो चुके हैं । बलरामपुर में आंशिक रूप से कभी-कभी आते रहते हैं उस पर अभी लगातार अंकुश लगाया गया है। जहां तक कवर्धा जिले का है, कवर्धा जिले में भी मुक्त किया गया था लेकिन अभी पुन: उनका आगमन हुआ है जिसके कारण वहां पर दबाव बनाकर फिर से उसको नक्सल समीक्षा में किया गया है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के 27 में से 14 जिले नक्सली प्रभावित हैं । पहले मात्र 03 जिले प्रभावित हुआ करते थे नक्सिलयों से लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार मैदानी क्षेत्र जैसे धमतरी....

अध्यक्ष महोदय :- नीतियों के बारे में मत पूछिये, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद, धमतरी, महासमुंद जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार विस्तार हो रहा है तो सरकार के पास ऐसी कौन सी कार्ययोजना है जिससे नक्सली गतिविधियां कम हों, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इनकी सरकार में जिले कम थे । बस्तर संभाग जैसी जगह में बस्तर में एक जिला था, सरगुजा में भी हमने जिले का विस्तार किया है, बस्तर में भी जिले का विस्तार हुआ है, कवर्धा क्षेत्र में भी बढ़ा हुआ है, रायपुर संभाग में बढ़ा हुआ है तो जिले का विस्तार होने के कारण ही नक्सलियों की संख्या बढ़ी है लेकिन आज लगातार हमारी सर्चिंग हो रही है, दबाव होने के कारण ही कुछ जगहों में उनके विस्तार में कमी आयी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई ऐसे महीने का नाम बता दें जिस महीने में नक्सली हादसा न हुआ हो, इतना मंत्री जी बता दें कौन सा ऐसा महीना है जिस महीने में नक्सली हादसा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह एकदम स्पेसीफिक प्रश्न है । (हंसी)

								_					
							ዖ	f	r	य	П	7	 Ŧ

श्री बृहस्पत सिंह :- जवाब आने के पहले दूसरा यह भी बता दूं । मंत्री जी, एक ही बार में पूछ लेता हूं कि नक्सली मामले में बार बार सरकार का बयान आता है कि नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन अक्सर यह दिख रहा है कि सरकार बैंकफुट पर आ गई है । यह दो बातें बता दीजिए ।

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सली क्षेत्रों में लगातार दबाव बनाया गया है और उसके ही कारण नक्सलियों के पैर हिले हुए हैं । ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हुए हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- किसी एक महीने का नाम बताइए जिसमें नक्सली हादसा न हुआ हो ?

श्री रामसेवक पैकरा :- आपकी सरकार में आपने घर छोड़ दिया था । जब आपकी सरकार थी तो आप घर छोड़कर भाग गए थे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने वह नहीं पूछा । मैंने यह पूछा कि कोई ऐसा महीना का नाम बता दीजिए जिस महीने में नक्सली हादसा या नक्सली घटना नहीं हुई हो ?

श्री रामसेवक पैकरा :- हादसे का विषय अलग है, लेकिन मैंने कहा कि नक्सली लगातार दबाव में हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- मेरे घर छोड़ने, आपके घर छोड़ने की बात नहीं है ।

श्री रामसेवक पैकरा :- नक्सली लगातार दबाव में हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, दबाव की बात नहीं है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप किसी एक महीने का नाम बता दीजिए जिसमें नक्सली वारदात न हुई हो ?

श्री अमरजीत भगत :- श्रीमान्, आप यह बताइए कि आप जेल में क्या करने गए थे ? माननीय मंत्री जी जेल में किससे मिलने गए थे, क्या बात की ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरूआत कब हुई और उस पीरियड में किसका शासन था ?

श्री अमरजीत भगत :- मंत्री जी जेल में किससे मिलने गए थे, क्या बात हुई?

श्री रामसेवक पैकरा :- मैं तो एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, किसी एक महीने का नाम बता दीजिए जिसमें नक्सली वारदात न ह्ई हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने एक ही प्रश्न किया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरूआत कब हुई और उस समय किसका शासन था ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं हमेशा माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोगों के बहुत मुश्किल से तारांकित प्रश्न लगते हैं और उसमें अधिकतम लोगों के प्रश्न आ जाएं, इस बात की चिंता करनी चाहिए । यदि जिससे सचमुच में समस्या का समाधान हो, ऐसा कोई प्रश्न पूछें तो ठीक है । मैं अगला सातवें नंबर का प्रश्न लेता हूं । श्री अमित अजीत जोगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया है, उसका उत्तर नहीं आया है । मैंने आपकी अन्मति से प्रश्न किया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, वह बहुत ही स्पेसीफिक है, बहुत गंभीर है कि क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई महीना है जिसमें नक्सली घटना नहीं होती है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से प्रश्न किया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कोई भी महीना बता दीजिए जिस महीने में नक्सली वारदात नहीं हुई हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैंने आपकी अनुमित से प्रश्न किया है और मेरा प्रश्न बहुत स्पेसीफिक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सदस्य विषय को विष्यांतर न करें । अध्यक्ष जी, सिर्फ एक सीधी सी बात है, सिर्फ एक ही सवाल है कि कोई भी महीने का नाम बता दीजिए जिसमें नक्सली वारदात नहीं हुई हो ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमित अजीत जोगी ।

प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण

7. (*क्र. 329) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार के वन सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ में कितना वन क्षेत्र था ? वर्ष 2017 में प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना था ? (ख) उक्त अविध में वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में कितने पौधे रोपे गये हैं ? इनमें कितनी राशि व्यय हुई है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) भारत सरकार के वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित वनक्षेत्र 59772 वर्ग कि.मी. तथा वन आवरण के क्षेत्रफल 55586 वर्ग कि.मी. था. वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य में अधिसूचित वनक्षेत्र 59772 वर्ग कि.मी. तथा वन आवरण के क्षेत्रफल 55547 वर्ग कि.मी. था. (ख) उक्त अविध में वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के वनक्षेत्रों में 10 करोड़ 88 लाख 54 हजार 327 पौधों का रोपण किया गया. इसमें राशि रुपये 360 करोड़ 10 लाख 51 हजार रुपये व्यय हुआ.

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न है कि 2015 से 2016 के बीच प्रदेश के वन क्षेत्रफल में कितना वृक्षारोपण हुआ है ? करीब 361 करोड़ रूपए की लागत से 11 करोड़ पेड़ लगाए गए, उसके बावजूद जो दो वर्षों में 39 वर्ग किलोमीटर वनों में कमी हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय है कि श्रीमती रेणु जोगी जी का प्रश्न है और माननीया रेणु जोगी जी ने अमित जोगी जी को अधिकृत किया है । शायद उनको अपनी पार्टी में कोई सदस्य अधिकृत करने के लिए नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल में यह सब नहीं होता । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- प्रश्नकाल में कोई राजनीति नहीं होती । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस पार्टी की माननीया विधान सभा सदस्य पार्टी के निष्काषित सदस्य को अधिकृत कर रही हैं । अध्यक्ष महोदय, बड़ी चिंता का विषय है, सोचने का विषय है ।

🗝 श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको अधिकृत कर देतीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता प्रतिपक्ष जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । क्या श्रीमती रेणु जोगी को पार्टी के अंदर अधिकृत करने के लिए और कोई विधायक नहीं मिला था ? कांग्रेस से निष्काषित सदस्य को अधिकृत क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति है कि प्रश्नकाल में यह राजनीति कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो हम लोग यह बोलते थे कि ये जोगी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, लेकिन कल से देख रहे हैं कि जोगी कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी भी अगली बार उसी पार्टी से लड़ने की तैयारी में हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कोई भी माननीय सदस्य अपनी अनुपस्थिति में किसी भी माननीय सदस्य को प्रश्न करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं और श्रीमती रेणु जोगी जी ने अमित जोगी जी को अधिकृत किया है इसलिए वह प्रश्न कर सकते हैं । माननीय मंत्री जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक पार्टी द्वारा एक सदस्य को निष्काषित किया गया, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आपको पत्र लिखा गया और उनकी ही पार्टी की सदस्य उनको प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत करती हैं, इस विषय में तो नेता प्रतिपक्ष जी को जवाब देना चाहिए । नेता प्रतिपक्ष जी को स्थित स्पष्ट करना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे याद है कि कई बार कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी अधिकृत किया है । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ गई, लेकिन सदन में एक शासकीय बेंच होती है, ट्रेजरी बेंच और उसके बाद(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\04-07-2018\a17\.-.5

शासकीय बेंच होता है-ट्रेजरी बेंच और उसके बाद सारे सदस्य अशासकीय सदस्य कहलाते हैं। यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है और वरिष्ठ सदस्य होकर इस प्रकार से बात कह रहे हैं, यह तो अशोभनीय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने निश्चित रूप से व्यवस्था दी है।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आ जाए। अध्यक्ष महोदय :- हॉ, जवाब आ रहा है। श्री सत्यनारायण शर्मा :- गाय-बछड़े का स्वाभाविक प्रेम भी तो है। (हंसी)

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह का वन आवरण है, एक तो अधिसूचित वन हैं और दूसरा जहां प्लांटेशन करते हैं जिसको TOF (TREE OUT OF SIDE FOREST) कहते हैं। जो फारेस्ट एरिया कम होने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह नोटीफाईड फारेस्ट में कमी आई है और कमी आने का कारण भी बता देता हूं क्योंकि वह बाद में पूछेंगे तो जो विकास कार्य हुए हैं, सड़क, रेल, सिंचाई, बिजली, खनन आदि परियोजनाओं के कारण 39 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है।

श्री अमित अजीत जोगी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही आपके विभाग के कुछ अधिकारियों ने शायद इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए प्रेस कांफ्रेंस ली थी और ये कहा गया कि फारेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में प्रदेश में वनों में 165 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसका क्या आधार है? जब वर्ष 2011 से लेकर अब तक लगातार वन घट रहे थे तो पिछले दो वर्षों में ऐसा क्या जादू हो गया कि 165 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की आपके विभाग ने कल घोषणा की?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि एक तो नोटीफाईड फारेस्ट है और दूसरा नॉन नोटीफाईड फारेस्ट है जिसमें प्लांटेशन का कार्य किया जाता है।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न का पूरा उत्तर तो सुन लो।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 से लेकर अभी तक जो प्लांटेशन हुए हैं उसमें जो वृद्धि हुई है उसे उत्तर में भी बताया है कि करीब 10 करोड़ से अधिक प्लांटेशन किये गये हैं। आज अभी विधानसभा में भी किए हैं, रायपुर के आसपास और पूरे प्रदेश में लगातार जो प्लांटेशन कर रहे हैं उस कारण आवरण में जो वृद्धि हुई है, जो नॉन नोटीफाईड एरिया है जो प्लांटेशन एरिया है उसमें वृद्धि हुई है।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितना वृक्षारोपण किया गया है उसमें काम्पनसेटरी फारेस्ट के अंतर्गत उद्योगों और खनन कारोबारियों द्वारा कितना प्रतिशत वृक्षारोपण किया गया था?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी विभाग से ही लेकर आये हैं। अलग-अलग वर्ष में करते हैं, वर्ष 2015-16 में हमने करीब 7 करोड़ के आसपास वृक्षारोपण किया था। श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं िक काम्पनसेटरी फारेस्ट्री के अंतर्गत उद्योगों और खनन कारोबारियों ने िकतना िकया? आपके विभाग ने कुल िकतना िकया उससे मुझे वास्ता है, आपने जवाब दे दिया है पर कृपया यह बताईये िक उसमें आपने काम्पनसेटरी फारेस्ट्री के अंतर्गत उद्योगपितयों और खनन कारोबारियों से िकतने रूपये के िकतने वृक्षारोपण करवाये?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम्पनसेटरी फारेस्ट्री है वह वन विकास निगम करता है। इससे पहले माननीय दिलीप लहरिया जी के प्रश्न में उत्तर आ चुका है। जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं चाहे वह रायपुर का सिलतरा हो, रायगढ़ या कोरबा हो इन क्षेत्रों में जो राजस्व भूमि है या अन्य जो औद्योगिक भूमि है उसमें वूक्षारोपण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री भूपेश बघेल ।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा गंभीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका तो हमेशा गंभीर प्रश्न रहता है। (हंसी) आप बिल्कुल अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है तो मैं थोड़ा सा प्वाईटेड पूछूंगा। वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक ने छत्तीसगढ़ में जो वृक्षारोपण किया गया है उसमें 9 बिन्दुओं पर फंड का अनुचित उपयोग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, साथ ही उच्च न्यायालय ने भी इस बात का संज्ञान लिया और आपके विभाग को नोटिश भी जारी किया। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है? जो काम्पनसेटरी फारेस्ट्री चल रही है उसकी मॉनीटरिंग के क्या प्रावधान हैं, जो पेड़ लगाये जा रहे हैं उनकी सिंचाई के लिए क्या प्रावधान हैं और वर्ष 2001 में जो वन नीति प्रस्तावित की गई थी उसको सरकार ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया है?

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन नीति है, विभाग उसकी अपनी नीति के अनुसार काम करता है। जो एक गाईडलाईन है, बीच-बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के भी गाईडलाईन आते हैं उसमें भी काम करता है और काम्पनसेटरी फारेस्ट्री में लगातार विभाग करता है और जो सी.ए.जी. आडिट की बात कर रहे हैं उस ऑडिट में भी जो आपत्ति की गई थी और विधानसभा में भी तमाम जो आपत्तियां आती हैं, निश्चित तौर पर हम उसका परीक्षण करते हैं और उसके अनुसार भविष्य में कार्ययोजना बनाते हैं।

श्री कुरैशी

अध्यक्ष महोदय :- श्री भूपेश बघेल । श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया ।

श्री अमित अजीत जोगी :- मैं केवल एक ही दिन के लिए आया हूं, अध्यक्ष महोदय । एक अंतिम प्रश्न । माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिस रिपोर्ट का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि इट इज़ एट्टीब्यूटेड टू माइनिंग एक्टिविटीज़, इल्लीगल डायवर्सन ऑफ लैंड ।

अध्यक्ष महोदय :- अमित जी, धन्यवाद् प्रस्ताव पास कराउँ क्या यहां पर, एक दिन के लिए आए हो तो (हंसी) ।

श्री अमित अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फॉरेस्ट रिसर्च की रिपोर्ट है, उसमें तीन कारण गिनाए गए थे । एक तो इल्लीगल माइनिंग एक्टिविटी, दूसरा इल्लीगल डायवर्सन्स ऑफ लैंड और तीसरा रोटेशनल फेलिंग । ये तीन कारण बताए गए हैं । क्या आप इन कारणों से सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप उनको अपने कक्ष में बुला लीजिए और उनकी जो-जो शंका है उनका निराकरण कर दीजिए ।

श्री अमित अजीत जोगी :- मेरी शंका नहीं है, भारत सरकार और मोदी जी की शंका है । इन्होंने तीन बिंद् गिनाए हैं ।

श्री महेश गागड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मैं पुस्तक लेकर आया हूं, पूरी रिपोर्ट हैं, मैं सारी चीजें बता सकता हूं ।

श्री अमित अजीत जोगी :- अवैध खनन, गलत तरीके से डायवर्सन और उद्योगों के द्वारा जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं ये तीन कारण गिनाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में लिमिटेड प्रश्न होते हैं ।

श्री अमित अजीत जोगी :- मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आकलन से सरकार सहमत है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश जी ।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया । अध्यक्ष महोदय :- चलिए, हो गया । आप बाद में बता देंगे, चलिए ।

बीयर की बिक्री से प्राप्त आय

8. (*क्र .500) **श्री भूपेश बघेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में किस ब्राण्ड की बीयर कितनी मात्रा में बिकी? (ख) बीयर ब्राण्ड की खरीदी का मूल्य एवं बिक्री का मूल्य क्या था? वर्ष 2016-17 में बीयर बिक्री से कुल राजस्व प्राप्ति का विवरण बतावे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बीयर की ब्राण्डवार बिक्री की मात्रा की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) बीयर ब्राण्ड की खरीदी का मूल्य एवं बिक्री का मूल्य की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. वर्ष 2016-17 में बीयर की बिक्री से 197.52 करोड़ रु. राजस्व प्राप्त हुआ है .

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रदेश में बीयर खरीदी के बारे में था । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें लैंडिंग रेट 40 रूपए का है और बिक्री रेट 110 से 130 रूपए तक का है । अध्यक्ष महोदय, लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर सरकार पैसा कमा रही है । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2015-16 में आपने कितनी पेटी बीयर बेची और 2017-18 में कितनी पेटी बीयर बेची और बिक्री में जो कमी आई है उस कमी का क्या कारण है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बता दूं कि जो लैंडिंग प्राइज़ है, वह उन्हें जो कीमत देनी है, उसकी है । उसके बार सरकार की इयूटी और लायसेंस फीस जुड़कर फिर मूल्य तय होता है । जहां तक लायसेंस फीस और इयूटी का सवाल है, यह इस सरकार में प्रावधान नहीं हुआ है, जब से सरकारें चल रही हैं, तब से यह प्रावधान है । रेट तय होता है कि आने के बाद वे किस रेट पर देंगे और उस पर इयूटी क्या होगी, उस पर लायसेंस फीस क्या होगी, उस पर एक्सपेंसेस क्या होंगें, कार्पोरेशन का कमीशन क्या होगा, इन सबको मिलाकर फिर लैंडिंग प्राइज़ आती है । यह सरकार को कह रहे थे लेकिन यह अनादिकाल से चला आ रहा है । वह अलग बात है कि आपको मौका नहीं मिला, सत्तू भइया अच्छे से समझा देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अनादिकाल से कैसे हो गया, उस समय तो ड्यूटी लगती नहीं थी (हंसी) ?

श्री अमर अग्रवाल :- जब से सरकार बनी, तब से ।

श्री भूपेश बघेल :- जब से सरकार बनी तब से होगा ना (हंसी) ।

⁶ † परिशिष्ट ''चार''

श्री अमर अग्रवाल :- 2016-17 में टोटल 26 लाख, 50 हजार, 652 पेटी बिकी और 2017-18 में 19 लाख, 52 हजार, 639 पेटी बीयर की बिकी । कमी के जो कारण हैं वह बता दूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि हाईवे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया इसलिए हमारे यहां जो ढाई सौ बार थे वे घटकर सवा सौ बार पर आ गए, बाकी सारे बार बंद हुए । दूसरा कारण यह है कि इस बार जो नीति परिवर्तित हुई, क्योंकि जब प्रायवेट ठेकेदार चलाते थे तो गांव-गांव में कोचिए बेचते थे और सहजता के साथ सुलभ थी । चूंकि इस बार कार्पोरेशन चला रहा है इसलिए सहजता के साथ सुलभ नहीं थी और यही तो इस नीति का उद्देश्य था कि कोचियाबंदी करना और सहजता से उपलब्ध न होना, इसके कारण कमी आई है ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\04-07-2018\a19\11.45-50

जारी...श्री भूपेश बघेल :- उसमें इनका प्रतिशत कितना है ? टोटल जो बीयर की खपत हो रही है, जो दूसरे ब्राण्ड है और उसमें उसमें सिंबा और सुमों का प्रतिशत कितना है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन साल का पूछा है कि कौन-कौन से ब्राण्ड की कितनी मात्रा बिकी । मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है...

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं, स्पेसीफिक प्रश्न है ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देख लीजिए । इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बीयर के कौन-कौन से ब्राण्ड हैं । मैंने तीनों साल की जानकारी दे दी, आप प्रतिशत निकाल लें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछना मेरा काम है, उत्तर देना इनका काम है। अब ये उस मोड़ में आ गए हैं कि अब ये प्रश्न पूछने वाले की तरफ आ जाएंगे और हम उत्तर देने की तरफ आ जाएंगे। मैं आपको उत्तर दे देता हं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वैसे मांग कैसे चल रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हर तीन दिन में बाटल का रंग बदल जाता है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सरकारी आंकड़े भले कहें कि 40 प्रतिशत है, लेकिन 80 से 90 प्रतिशत बीयर केवल इसी ब्राण्ड के सिंबा और सुमो बिक रही है और जो कमी आई है, केवल एक ही ब्राण्ड के बीयर पिलाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, इसलिए ये कमी आई है। आपके प्रदेश में एक ही ब्राण्ड के बीयर क्यों बिक रहे हैं और दूसरे ब्राण्ड के बीयर क्यों नहीं बिक रहे हैं?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी बड़े घटिया किस्म का बीयर है । (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कैसे मालूम ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब हम लोग मंगवाते हैं तो हर दो दिन में बीयर का जायका बदल जाता है । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- और कुछ सुनना चाहते थे । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और 40, 60 रूपए के बीयर का 110 रूपये देना पड़ता है, ये आज हमको पता चला ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताइए कि लखमा जी तो बोल नहीं रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लखमा जी इनके घर खाना खाने के लिए जाते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर में इनका घटिया बीयर नहीं चलता है, हम लोग तो आंध्रा से लेते हैं । इनके माल के बारे में हमको क्या मालूम, पता ही नहीं है । (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- दादी, असत्य मत बोलो, मैं निजी बोलना नहीं चाहता कि आप कहां से लेते हो ।

श्री अमरजीत भगत :- कुछ भी हो, आपकी दुकान बढ़िया चल रही है ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास तीन साल 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के पूरे फिगर हैं । वे जिन ब्राण्डों का उल्लेख कर रहे हैं कि कितना बिका ? मैंने टोटल बता दिया । उनको भी मालूम है कि सरकार भले 40 प्रतिशत कहे तो जो आंकड़े हैं, सरकार तो वही कहेगी तो 80 प्रतिशत कहां से आ गया, ये नम्बर-एक । नम्बर दो-कारपोरेशन का काम है कि

रेट कान्ट्रेक्ट करना, उसके बाद ब्राण्ड, डिमांड और सप्लाई पर चलते हैं कि अब ग्राहक कौन सा ब्राण्ड मांगेंगे, उसके हिसाब से मांग आयेगी, उसके बाद प्रदाय होगा । मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, आपके उत्तर में भी है । 2015-16 और 2016-17 में सरकार नहीं चलाती थी । हां, 2017-18 में सरकार का कारपोरेशन चलाता है । मैं दो, तीन ब्राण्डों का जिक्र करूंगा । 2015-16 में कार्ल्सबर्ग 1 लाख, 70 हजार पेटी उठी थी और वहीं ब्राण्ड 2016-17 में 41 हजार पेटी उठी । तो ये जो ब्राण्ड हैं, उस समय ठेकेदार चलाते थे, जो ग्राहक की मांग आये, उसके हिसाब से वे उठाते थे । अब सरकार का कारपोरेशन चला रहा है । तो हमेशा अगर देखें तो उनके पास सारा उत्तर है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर की बात छोडिए, आप ये बताइए कि शराब बंदी करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मूल प्रश्न का उत्तर आ रहा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सब बातों को छोड़ दीजिए, आप यही बता दीजिए कि क्या आप शराबबंदी करने जाएंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अब सरकार शराब बेचने का विधेयक बना लिया, कानून बना लिया तो अब क्या है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड और सप्लाई पर होता है और जो ग्राहक पसंद करता है, उस ब्राण्ड का जो रेट कान्ट्रेक्ट रहता है, वह प्रदाय किया जाता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से स्पष्ट कहा है कि जो डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई होती है । अब सरकार जब बेच रही है, जब प्राईवेट था, तब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ब्राण्ड मंगाया जाता था, लेकिन अब सरकार बेच रही है तो फिर डिमांड के हिसाब से सप्लाई क्यों नहीं हो रही है और केवल एक ही ब्राण्ड का बीयर क्यों बेचा जा रहा है ?

जारी...श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\b10\11.50-11.55

जारी.. श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का शेयर तो नहीं है? (शेम शेम की आवाज) इसलिए एक ही ब्राण्ड की सप्लाई हो रही है। श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए उसी बीयर को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उत्तर सुना नहीं। 2015-16 में भी यह स्थिति आयी है कि ब्राण्ड बदलते रहे हैं और जहां तक शेयर का सवाल है, इस प्रकार से बिना आधार के तथ्यहीन आरोप लगाना उचित नहीं है। क्या उनके पास प्रमाण है?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि इसमें किसी की भागीदारी है क्या ? आप इसे आरोप कैसे बोल दिये, यह तो मेरा प्रश्न है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी की भागीदारी नहीं है और ये प्रमाण दें तो मैं निश्चित तौर पर उस भागीदार के ऊपर कार्रवाई करूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, सरकार स्वास्थ्य की कीमत पर पैसे कमा रही है । सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, क्या सरकार इस सदन में पूर्ण शराबंदी की घोषणा करती है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं विधान सभा में अनेकों बार वक्तव्य दे चुका हूं कि ये व्यापक परीक्षण का विषय है। अध्ययन दल बना हुआ है और जब तक विचार-विमर्श नहीं हो जाता, हम आंशिक प्रतिबंध करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

समय:- 11.52 बजे)

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

विधानसभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत हैण्डपंप खनन का लक्ष्य

9. (*क्र. 407) श्री रामलाल चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सरायपाली अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 30-5-18 तक कितने ग्रामों में हैण्डपंप खनन कार्य किया गया है ? वर्तमान में कितने हैंडपंप प्रारंभ एवं कितने अप्रारंभ हैं. (ख) उक्त अविध में कितने हैण्डपंप खुदाई का लक्ष्य है एवं कितनी खुदाई की गई ? विकासखंडवार बतायें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) विधानसभा क्षेत्र सरायपाली के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 30-05-2018 तक 133 ग्रामों में 188 हैण्डपंप (नलकूप) खनन कार्य किया गया है. वर्तमान में 141

सफल नलकूप में हैण्डपंप चालू है एवं 47 असफल नलकूपों में हैण्डपंप नहीं लगाये गये हैं. (ख) विधानसभा क्षेत्रवार विकासखण्डवार नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है अपितु जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य से ही नलकूप खनन का कार्य किया जाता है. प्रश्नांश अविध में सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड बसना में 54 नलकूपों एवं विकासखण्ड सरायपाली में 134 नलकूपों की खुदाई (खनन) की गई है.

श्री रामलाल चौहान :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से हैण्डपंप खनन के संबंध में प्रश्न लगाया था। माननीय मंत्री महोदय जी का उत्तर आया है कि 188 हैण्डपंप (नलकूप) खनन कार्य किया गया है. जिसमें 141 सफल हैं एवं 47 असफल नलकूप हैं. मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि ये 47 नलकूप जो असफल हैं, इसमें पुनः यहां पर कब तक नलकूप खनन करवायेंगे?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर असफल है, वहां पर तो ...

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पाण्डेय जी, आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या शराबबंदी के खिलाफ हैं?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष जी, आज इधर इस पक्ष को दिन में बीयर कैसे चढ़ गयी? आज दिन में आप लोग बीयर कैसे ले ली? उठा दिये? (हँसी) बीयर तो छोड़ो, क्यों कवासी जी?

श्री कवासी लखमा :- हमको तो बीयर काम नहीं करती । (हँसी) देशी चाहिए।

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जहां पर 47 असफल है, उन क्षेत्रों में पानी का स्त्रोत कम होने के कारण पानी मिला ही नहीं इस कारण वह असफल माना गया है। शेष 141 हैण्डपंप सफल हैं, वहां पर लगा दिये गये हैं।

श्री रामलाल चौहान :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे द्वारा यह जानकारी चाही गयी थी कि विकासखण्डवार लक्ष्य क्या है? माननीय मंत्री जी के द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि विकासखण्डवार नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है अपितु जिले के लिए होता है. जिले में हैण्डपंप का क्या लक्ष्य है ?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की उपलब्धता के आधार पर हम जिले में हैण्ड पंप का लक्ष्य देते हैं। विधानसभावार उसका टारगेट बनाकर दिया जाता है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, ये रोशनदान है या रोशनलाल हैं ?

श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\b11\11.55-11.60

दुर्ग जिले में पानी टंकी निर्माण की स्वीकृति

10. (*क्र .429) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले अंतर्गत छ.ग .शासन के द्वारा पिछले 4 वर्षों में कितनी पानी टंकी के निर्माण की स्वीकृति मिली है ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) उक्त टंकी निर्माण के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई है? कितनी राशि व्यय की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) दुर्ग जिले अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पिछले 04 वर्षों में नलजल योजनाओं में 43 पानी टंकी एवं जिला खनिज मद में 01 पानी टंकी, इस प्रकार कुल 44 पानी टंकी के निर्माण की स्वीकृति मिली है.

विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.	विकासर	ਭੂਹਤ	पिछले 4 वर्षों में स्वीकृत पानी टंकी का निर्माण कार्य									
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल						
1.	दुर्ग	06	03	निरंक	07	16						
2.	धमधा	05	01	निरंक	08	14						
3.	पाटन	06	03	निरंक	05	14						
	यं	गि 17	7	निरंक	20	44						

(ख) टंकी निर्माण के लिए पृथक से राशि प्राप्त नहीं हुई है, अपितु स्वीकृत नलजल योजनाओं के अंतर्गत टंकियों के निर्माण में कुल रुपये 485.67 लाख की राशि व्यय की गई है .ग्राम थनौद, विकासखण्ड दुर्ग में 01 पानी टंकी निर्माण हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा जिला खनिज मद में रुपये 12.00 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से रुपये 1.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है .उक्त कार्य में व्यय-निरंक है.

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहा था कि विगत 4 वर्षों में दुर्ग जिले में नल जल योजना के तहत कुल कितने पानी टंकी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी के खूबसूरत जवाब मिले हैं। नल जल योजना के तहत 43 और डी.एम.एफ. के तहत 01, कुल 44 पानी टंकी स्वीकृत हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि धमधा ब्लॉक में 14 पानी टंकी की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से कितने पूर्ण हुए हैं और कितने अपूर्ण हैं? और अपूर्ण जो हैं उसको कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम चल रहा है। पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है, वह काम प्रगति के आधार पर होगा।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 पानी टंकी स्वीकृत है उसमें पूर्ण कितने हुए हैं और अपूर्ण कितने हैं मैं यही जानना चाह रहा था?

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 पानी टंकी में से 06 पूर्ण हो चुके हैं और एक निर्माणाधीन है, प्रगति पर है और 07 अप्रारंभ है उसकी निविदा प्रक्रिया जारी है।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

जिला बालोद में पेयजल समस्या के प्राप्त आवेदन

11. (*क्र .89) श्री राजेन्द्र कुमार राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत इस ग्रीष्मकाल के समय पेयजल की समस्या के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ख) प्राप्त आवेदन के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा): (क) बालोद जिला अंतर्गत इस ग्रीष्मकाल अविध) 15 फरवरी से 15 जून 2018 तक (पेयजल की समस्या के संबंध में मांग के 913 आवेदन तथा शिकायत के 29 आवेदन इस प्रकार कुल 942 आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) प्राप्त आवेदनों में से मांग के आवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण †संलग्न प्रपत्र (अ) में दर्शित अनुसार है. प्राप्त आवेदनों में से शिकायत के आवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण †संलग्न प्रपत्र (ब) में दर्शित अनुसार है.

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बालोद जिला में पेयजल समस्या के संबंध में प्रश्न किया था तो माननीय मंत्री जी का केवल आंकड़ों में जवाब आया है, स्पष्ट जवाब नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल प्वाईंटेड प्रश्न करूंगा। मेरे क्षेत्र में हीरूखपरी, भटगांव और कुम्हली तीन ऐसे गांव हैं जहां 30-40 साल से पानी की समस्या है इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

श्री रामसेवक पैकरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षण कराया जाएगा और अगर परीक्षण के बाद पानी मिलता है तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न और करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय :- आप आराम से प्रश्न करिए।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम हीरूखपरी, भटगांव में पानी नहीं है, लेकिन उससे कुछ दूरी में करीबन 3 किलोमीटर के आस-पास पानी हैं तो उसको माननीय मंत्री जी पैसा स्वीकृत कर दें तो निश्चित वहां तक पानी पहुँच जाएगा। मेरे क्षेत्र में तीन गांव हैं जो लगातार 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इसमें माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इसमें अतिशीघ्र करें, क्योंकि वहां ग्रामीणों को आने वाले समय में और दिक्कत न हो।

श्री रामसेवक पैकरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि परीक्षण करायेंगे, पानी की उपलब्धता होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार राय :- माननीय महोदय, परीक्षण हो चुका है इसको आदेश कर दीजिए कि तत्काल बनवा दें ? बाकी सब आश्वासन चलता रहेगा। जी धन्यवाद।

दुर्ग जिले में नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना एवं भागीरथी नल जल योजना हेतु स्वीकृत राशि

12. (*क्र .202) श्री विद्यारतन भसीन : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि) क (दुर्ग जिले में वर्ष 2016-17, से मई 2018 तक नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना एवं भागीरथी नल जल योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? निकायवार एवं वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अविध में जल प्रदाय योजना एवं भागीरथी नल जल योजना में किन-किन निकायों में कौन से कार्य कितनी लागत से किये गये ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी † संलग्न प्रपत्र (अ) पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र (ब) पर है.

श्री विद्यारतन भसीन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से दुर्ग जिले में नगरीय निकायों के अंतर्गत जल आवर्धन की योजनाओं के बारे प्रश्न किया था। मुझे मंत्री जी का जवाब मिला है। भिलाई नगर पालिक निगम में सेकेण्ड फेस के जल आवर्धन की योजना लागू है उस संबंध में मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जल आवर्धन योजना का काम हो रहा है उसके लिए निश्चित ही मंत्री जी, सरकार और केन्द्र की सरकार साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भिलाई की इस मांग को पूरा किया। मगर वास्तव 277 एम.एल.टी. के बाद 66 एम.एल.टी. का जो काम हो रहा है, उसमें थोड़ी कोताही हो रही है उस पर माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भिलाई नगर निगम के सेकेण्ड फेस की बात कर रहे हैं उसकी जो प्रगति है लगभग 55 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और ये 31.03.2019 तक समाप्ति की तरफ है और तेजी के साथ काम चल रहा है।

श्री विद्यारतन भसीन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डी.पी.आर. है वह 77 एम.एल.टी. से जो छूट हुए क्षेत्र हैं उसके लिए 66 एम.एल.टी. का प्रोविजन किया गया था, मगर जो वास्तव में देखने को मिल रहा है 66 एम.एल.टी. में वह पूरे क्षेत्र जो छूटे हुए हैं, उनको पूरी तरह से नहीं लिया जा रहा है ?

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन में लक्ष्य ही वही है कि पूरे निकाय सेवा में एक-एक घर तक पानी पहुँच जाए और अगर कहीं छूटा हुआ होगा तो हम उसको शामिल करवा देंगे।

श्री विद्यारतन भसीन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों

हेतु स्वीकृत राशि

13. (∗क्र .537) श्री लखेश्वर बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि) क (वर्ष 2014-2015 से मई 2018 तक बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण एवं मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख (कितने कार्य पूर्ण हुये ? कितनी राशि भुगतान की गई ? कितनी शेष है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क (वर्ष 2014-2015 से मई 2018 तक बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन मार्गों के डामरीकरण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं है. नवीनीकरण (डब्ल्यू.बी.एम.) एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि की वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांकित अविध के सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. उपरोक्त कार्यों हेतु 61 लाख 75 हजार 739 रु .का भुगतान किया गया. कोई भुगतान शेष नहीं है.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहुंगा...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\b12\12.00-12.5

समय

पत्रों का पटल पर रखा जाना।

12.00 बजे

01. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 पटल पर रखता हं।

02 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूं।

03. अधिसूचना क्रमांक एफ 16-1/गृह-दो/विविध/2007, दिनांक 20 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचित शौर्य पदक नियम, 2017

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 50 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 16-1/गृह-दो/विविध/2007, दिनांक 20 नवम्बर 2017 द्वारा अधिसूचित शौर्य पदक नियम, 2017 पटल पर रखता हूं।

04. छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखता हं।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां गोबरा नवापारा नगरपालिका और अभनपुर नगर पंचायत में पेयजल की काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। जिस एनीकट से पानी आपूर्ति के स्त्रोत से योजना बनाई गई है, वह एनीकट ही पूरी तरह से फेलुअर है। उसमें एक बूंद पानी नहीं है। दोनों नगर की जनता को पेयजल की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसमें मैंने ध्यानाकर्षण दिया है, कृपया ग्राह्य करें।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा जी के साथ जो कृत्य हुआ है, उसके लिए विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई थी। इस पर कम से कम पूरी कार्यवाही हो। एक विधायक के साथ इस तरह का कृत्य करना।

अध्यक्ष महोदय :- आपने ध्यान में ला दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान में तो है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही हो रही है? माननीय विमल चोपड़ा जी को मैंने कल भी कहा था कपड़े उतरवाकर दिखाये कि कहां-कहां चोट लगी है, कहां-कहां मार लगी है, इसमें क्या दिक्कत है, कमीज उतारने का मामला है।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार की सूचना दी गई, बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कैसे जाओगे, मैं हड्डी-पसली तोड़ दूंगा। इस प्रकार से एक आई.पी.एस. अधिकारी किसी विधायक को धमकी दे रहा है, इससे ज्यादा गंभीर मामला हो नहीं सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं इसकी चर्चा करायें और जो अधिकारी इस प्रकार से धमकी दिया है, उसको दंडित करें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा।

श्री कवासी लखमा :- (XX)⁷

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट रूक जाईए। इसको रिकार्ड नहीं करेंगे। अभी उनका नाम पुकारा है, आप बैठिये। इनके बाद आप बोलियेगा।

^{7 (}XX)7 अध्यक्षीय पीठ के आदेशान्सार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की भिलाई की हमारी एक बहन द्वारा एन.एस.यू.आई. के राष्ट्रीय अध्यक्ष (XX)⁸ पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि उसने ये पत्र (XX) को लिखा है। उस पत्र की कापी मेरे पास है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपको कोई सूचना दी गई है? ... (व्यवधान)..

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की बालिका के साथ न्याय होना चाहिए।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- देखिये इस सदन में ये परंपरा भी नहीं है कि हम समाचार पत्र को प्रदर्शित करें। दूसरा पूर्व में भी मैंने व्यवस्था दी है कि जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं तो उनके बारे में आरोप लगाना है तो उसके बारे में पूर्व सूचना दी जाये। माननीय शिवरतन जी ने सूचना जरूर दी, लेकिन मैंने उस सूचना को अमान्य कर दिया है, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की एक बालिका की अस्मिता का सवाल है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है ... (व्यवधान).. छत्तीसगढ़ की एक महिला के साथ यौन शोषण का प्रयास किया गया है ... (जारी)

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\b13\12.10-12.15

.......जारी श्री शिवरतन शर्मा एक महिला के साथ यौन शोषण का प्रयास किया गया है।(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पत्र को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।(व्यवधान) (xx)⁹

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विरष्ठ सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी के द्वारा नियमों के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए मैंने पूर्व में भी व्यवस्था दी कि मैंने उस सूचना को अग्राहय कर दिया है। इसलिए इस विषय पर जो भी बातचीत आई होगी, उसको रिकार्ड से विलोपित कर दिया जाये।

^{8 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशान्सार विलोपित किया गया।

^{9 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला का पत्र पटल पर रखने को तैयार हूँ।(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य के साथ घटना हो जाती है, उस पर चर्चा नहीं होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- $(xx)^{10}$

अध्यक्ष महोदय :- कोई रिकार्ड नहीं करेंगे।

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था दी है कि अभी शोरगुल में जिसने जो भी बोला है, उसको रिकार्ड नहीं करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य के साथ मारपीट हो जाती है। हमने सूचना दी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वे इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, यह एक गंभीर विषय है।जारी

श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\b14\12.10-12.15

अध्यक्ष महोदय :- आप शून्यकाल की सूचना दे रहे हैं ना, ध्यान में वह आ गया । (व्यवधान)

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की एक बेटी के बारे में, जिसका रोज शोषण हो रहा है । (व्यवधान) एक बड़े नेता कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अभी छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, एक महिला ने एफ.आई.आर. कराया है । उस पर आज तक कोई कार्यवाही किये हो क्या । व्यवधान

प्रकाश बजाज के खिलाफ एफ.आई.आर. हुआ है, यहीं छत्तीसगढ़ की महिला ने बेटी ने एफ.आई.आर. किया है । (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई रिकार्ड में नहीं आना चाहिये । (व्यवधान)

^{10 (}xx) अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- जिनका नाम मैंने लिया है, उनका रिकार्ड करें । बोलिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी एक व्यवस्था आई है, जो भी चर्चा हुई, वह विलोपित कर दी जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको उसमें कुछ कहना है। चर्चा स्वीकार करना, नहीं करना, यह आपका विशेषाधिकार है । हम उसको मानेंगे । लेकिन जो विषय की नोटिस माननीय शिवरतन शर्मा जी ने आपको दी है, सचिवालय को दी है, उसमें वह पीड़िता तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़ की है । वह सही है या नहीं है, समाचार पत्रों में आया है.......(व्यवधान) यदि आपका निर्देश हो(व्यवधान) यदि हम चर्चा नहीं करते हैं तो इस विषय में गलत संदेश जायेगा(व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- इस संबंध में माननीय शिवरतन शर्मा जी के सूचना के संबंध में मैंने पूर्व में व्यवस्था दी है । अब इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी । अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचनायें लेता हूँ । नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनायें लूंगा । श्री मोतीलाल देवांगन सदस्य ।

श्री भूपेश बघेल :- इस प्रकार का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय ? विमल चोपड़ा जी की पिटाई हुई है, आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते है ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी विमल चोपड़ा जी के द्वारा प्रस्तुत(व्यवधान)समर्थन में (व्यवधान)......

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं, यह सब विधायक से बने हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नियम के अंतर्गत रिनक्वेस्ट करेंगे तो बात करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी को बोलने दो ना ।

श्री भूपेश बघेल :- विमल चोपड़ा जी, इस मामले में वक्तव्य देना चाहते हैं । आपसे निवेदन है कि ...

अध्यक्ष महोदय :- उनका सचिवालय में या अध्यक्ष के पास किसी प्रकार का कोई ऐसा पत्र नहीं है । जब उनका कोड्र पत्र आयेगा तो विचार किया जायेगा । श्री मोतीलाल देवांगन ।

श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\b15\12.15-12.20

समय :

ध्यानाकर्षण स्चना

12:15 बजे

(1) जिला-जांजगीर-चांपा में सीपत से बलौदा होते हुए उरगा तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की जाना ।

श्री मोतीलाल देवांगन (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दिनांक 28 जून, 2018 की स्थिति में जांजगीर-चांपा जिलांतर्गत छत्तीसगढ़ रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. के द्वारा 90.73 करोड़ रूपये की लागत से सीपत से बलौदा होते हुए, उरगा तक 41.26 किमी लंबी सड़क निर्माण में निर्माणकर्ता ठेकेदार ने जमकर लापरवाही बस्ती है। लगातार हिदायत देने के बाद भी उनके द्वारा निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। उप परियोजना प्रबंधक द्वारा भी कार्य की गुणवत्ता पर आपत्ति हुई है। परियोजना प्रबंधक द्वारा मई, 2018 में सड़क निर्माण में बस्ती जा रही अनियमितता के संबंध में महाप्रबंधक सी.जी.आर.डी.सी. रायपुर तथा बिलासपुर को सूचना दी है किंतु जून, 2018 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

समय: (सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए ।)

12.16 बजे

सीपत बलौदा उरगा मार्ग निर्माण में ठेकेदार द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है । मार्ग के निर्माण में अनियमितता प्रारंभ से ही की जा रही है । मार्ग के दोनों ओर 100-100 मीटर के अंतराल में पत्थर नहीं लगाए गए हैं । कलवर्ट ले आउट देकर खुदाई कर दी गई है । डायवर्सन बोर्ड, रिफलेक्टिंग रोप व टेप सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । हैंडसोल्डर के लिए डाली गई मिट्टी को हटाया नहीं जा रहा है । नाली के निर्माण में वाल की ऊंचाई व मोटाई निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं बनाई गई है । कार्य की शिकायत मई, 2016 में किए जाने पर जांच करने वाले अधिकारियों के ऊपर सरकार/ठेकेदार का अत्यधिक दबाव है । निम्न गुणवत्ता के निर्माण कार्य करने के बाद भी ठेकेदार पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है । पुरानी सड़क को बिना उखाड़े ही उस पर नई सड़क का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है । मार्ग निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया जाकर अनियमितता की जा रही है इससे क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

लोकनिर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- माननीय सभापति महोदय, दिनांक 28 जून, 2018 की स्थिति में जांजगीर चांपा जिले में छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सीपत-बलौदा-उरगा मार्ग लंबाई 41.26 कि.मी. लागत 90.73 करोड़ ठेकेदार मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्रा.लि. एवं मेसर्स स्निल क्मार अग्रवाल(जेवी) द्वारा निर्माण किया जा रहा है । यह सत्य नहीं है कि सड़क के निर्माण में निर्माणकर्ता ठेकेदार ने जमकर लापरवाही बरती है एवं उनके द्वारा लगातार हिदायत देने के बाद भी घटिया कार्य किया जा रहा है । सत्य यह है कि मार्ग के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेत् प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेंट नियुक्त है तथा उनके इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक स्तर पर उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं किये गये कार्य की निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जांच की जाती है । समय-समय पर मार्ग का निरीक्षण छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अभियंताओं द्वारा भी किया जाता है । सत्य यह है कि उप परियोजना प्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक द्वारा समय-समय पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान यदि कोई ऐसी कमी पायी गयी जिससे भविष्य में सड़क की की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो उसका उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया गया है एवं ठेकेदार से उपरोक्त कार्य का सुधार कराया गया है । उल्लेखनीय है कि मार्ग के कि.मी. 1 एवं 2 में पटरी पर बिछाने हेत् जो मिट्टी लायी गई थी वह टेस्ट में मानकों के अन्रूप नहीं पायी गयी अतः उक्त मिट्टी को कार्यस्थल से हटाया गया एवं निर्धारित गुणवत्ता की मिट्टी से पटरी निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया ।

यह सत्य नहीं है कि मार्ग निर्माण में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की लारवाही बरती जा रही है जिला कलेक्टर द्वारा गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार का संज्ञान लेने की जानकारी भी प्राप्त नहीं है ।

मार्ग निर्माण के दौरान रिफरेंस पिलर निर्धारित मानकों के अनुरूप लगाये गये हैं । निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कि.मी. पत्थर मापदण्डों के अनुसार लगाये जायेंगे ।

कवलर्ट निर्माण के लिए डायवर्सन निर्माण कार्य कर खुदाई की गई है एवं मार्ग दर्शन हेतु संकेत पटल लगाये गये हैं । अतएव यह कथन सही नहीं है कि डायवर्सन बोर्ड, रिफलेक्टिंग रोप व टेप सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । नाली के निर्माण में वाल की उंचाई व मोटाई भी निर्धारित मापदंड के अनुरूप बनाई गई है, जिसका अनुमोदन प्रोजेक्ट कंसलटेंट द्वारा किया गया है ।

मई, 2018 में मार्ग के निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: जांच करने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है । यह भी सत्य नहीं है कि ठेकेदार द्वारा बिना सड़क को उखाड़े नयी सड़क का निर्माण किया जा रहा है । सत्य यह है कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पुरानी सड़क से डामर उखाड़ने के बाद ही नयी सड़क का निर्माण किया जा रहा है ।

छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वाराजारी

.....शी यादव

यादव\04-07-2018\b16\12.20-12.25

......(जारी श्री राजेश मूणत) :- छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा गुणवत्ता एवं प्रगति का पालन नियमानुसार किये जाने हेतु अलग से कंसलटेंट नियुक्त है एवं कार्य में सामग्री परीक्षण किये जाने हेतु अलग से प्रयोगशाला स्थापित है । समय समय पर आवश्कतानुरूप नेशनल हाईवे द्वारा अनुमोदिन प्रयोगशालाओं में सामग्री परीक्षण अलग से किया जाता है एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्रियों का उपयोग कंसलटेंट द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन दिये जाने पर ही उपयोग में लाई जाती है ।

मार्ग निर्माण में न तो गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग हुआ है और न ही किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आई है अत: क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मार्ग का निरीक्षण छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अभियंताओं द्वारा किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंजीनियर द्वारा कब कब निरीक्षण किया गया और उसमें क्या कमी पाई गई है?

श्री राजेश मूणत :- सभापित महोदय, मैंने बताया कि निरीक्षण के उपरांत हमारे जो टेक्नीकल चीफ इंजीनियर मिस्टर क्षत्री हैं, जो गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जब वह निरीक्षण करने गए तो साईट की रोड के बाद में जो पचरी भराई होती है, उसकी मिट्टी में, उसकी गुणवत्ता को लेकर बात थी, उसको वही रिजेक्ट करके एक किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर के बीच में वह मिट्टी गई थी, उसको रिप्लेस करने के लिए आदेश दे दिए गए और वह त्तकाल रिप्लेस हुई है।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय सभापित महोदय, रोड अच्छे ढंग से बने, इसके लिए प्रयोगशाला भी बनाई गई है, कंसलटेंट भी नियुक्त किए गए हैं फिर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मिट्टी लाई गई थी, वह मानक अनुरूप नहीं थी तो इसके लिए ठेकेदार को क्या पनिशमेंट दी गई ? आपके कंसलटेंट ने उसे उठाने के लिए कह दिया गया

और उसको बदल दिया गया, लेकिन जो गलत काम हो रहा था, उसमें किसी को पनिश किया गया, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापित महोदय, मैंने कहा है कि जो मिट्टी डाली उसको प्रयोगशाला के अंदर टेस्ट किया । हमारे जो कंसलटेंट हैं, हमारे जो चीफ इंजीनियर है, एडवाईजर हैं, जो तकनीकी रूप से देखने जाते हैं, उन्होंने देखा तो उसके मानक के अनुरूप नहीं था, उसके अंदर रेसियों कम था, हमने उसको तत्काल रिप्लेस करने के लिए आदेश दिया और वह तत्काल रिप्लेस हुई है ।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सड़क को बनते एक साल हो गए । आपने प्रयोगशाला से जो परीक्षण कराया है, इसमें पिछले तीन महीनों में कब कब, क्या क्या टेस्ट कराए गए हैं, इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापित महोदय, प्रयोगशाला में लगातार टेस्ट होते हैं । हमारे मानक के अनुसार वहां प्रयोगशाला गठित है, वहां पर खासतौर से मुख्म की टेस्टिंग होती है । जब भी हमारा काम चलता है उस मुख्म की टेस्टिंग के लिए हमारी प्रयोगशाला गठित है, उसके अंदर हर महीने नहीं बल्कि हफ्ते में दो दिन, तीन दिन, पांच दिन जितना भी होता है, उसकी टेस्टिंग लगातार होती है। हमारे पास उसकी पूरी मिनट बुक है ।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि हफ्ते टेस्टिंग होती है फिर ऐसा कौन सा कारण है कि वह गलत मिट्टी लाई गई थी, जिसको आपने रिप्लेस कराया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अप्रैल, मई, जून में उस जगह की मिट्टी की कितनी बार टेस्टिंग कराई है और उसमें क्या पाया गया ?

श्री राजेश मूणत :- सभापित महोदय, सब जगह ठीक है, किलोमीटर एक से दो के बीच में मेरे ही यहां के चीफ इंजीनियर ने जाकर जांच करके उस मिट्टी को देखा है, कोई शिकायत नहीं है । वह जब साईट की विजिट पर जाकर स्वयं देखते हैं और उन्होंने उसमें कमी पाई तो तत्काल उसको रिजेक्ट किया । मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है ।

श्री मोतीलाल देवांगन :- माननीय सभापित महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि हर हफ्ते टेस्ट करते हैं, आप बताने की कृपा करेंगे कि पिछले अप्रैल, मई, जून में उस मिट्टी की कितनी बार टेस्टिंग की गई?

श्री राजेश मूणत :- सभापित महोदय, मेरा कंसलटेंट, टेक्नीशियन लगातार वहीं रहता है । मेरी लेब वहीं साईट प्रोजेक्ट में स्थापित है । आपको पूरी डीटेल मिल जाएगी । यदि चाहिए तो मैं पूरी उपलब्ध करवा दूंगा कि किस, किस दिन किसने निरीक्षण किया, कौन कब गया, वह भी दे दूंगा ।

श्री मोतीलाल देवांगन :- ठीक ।

श्री राजेश मूणत :- और कुछ ?

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था। सभापति महोदय :- हो गया । श्री देवजी भाई पटेल ।

<u>(2) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बीपीएल बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाना ।</u>

श्री देवजी भाई पटेल (धरसींवा) :- माननीय सभापित महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- 26 जून, 2018 की स्थित में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते निजी स्कूल प्रबंधन बेलगाम हो गया है, वहीं शासकीय स्कूलों में शासन के नियम कानून की धिज्जियां उड़ाई जा रही हैं । राज्य शासन ने शैक्षणिक सत्र 2018 के शैक्षणिक कैलेण्डर में 15 जून से स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया, मगर नामी गिरामी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित सभी निजी स्कूल 01 माह पूर्व ही मई, 2018 में खुल गए । जहां एक और स्कूलों द्वारा 12 महीने का शुल्क वसूला जा रहा है, वहीं हर क्लास में प्रत्येक बच्चे से प्रवेश शुल्क के नाम पर 10000 रूपए से 35000 तक की फीस वसूल कर रहे हैं । शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) की धिज्जियां उड़ाई जा रही है ।(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\04-07-2018\b17\.-.5

जारी.... श्री देवजी भाई पटेल :- शिक्षा के अधिकार कानून आर.टी.ई. कानून की धिज्जयां उड़ाई जा रही हैं। रायपुर क्षेत्र के 35 स्कूलों ने अल्पसंख्यक वर्ग का छूट का बहाना कर आर.टी.ई. के तहत बी.पी.एल. बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया। ना तो इनके पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग दिल्ली का और ना ही संचालक आदिम जाति विभाग का प्रमाण पत्र है। जिन 35 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग आर.टी.ई. के दायरे से अलग माना है, वहां अल्पसंख्यक के बच्चों की प्रवेश संख्या नगण्य है। विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी केवल नोटिस थमाकर मामले को रफादफा करने में लगे हैं। राज्य बाल सुधार संरक्षण आयोग के निर्देशों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यही नही निजी/शासकीय स्कूली बच्चों से क्रीड़ा शुल्क के नाम पर प्रतिवर्ष 08 से 10 करोड़ रूपये की वसूली की जा रही है। शासन ने

इस सत्र में 200 मिडिल, हाई स्कूलों का उन्नयन किया है, मगर आज तक संबंधित स्कूलों को न तो सूचना दी गई है, न ही आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। शासन के नियम/निर्देश का पालन नहीं होने से प्रदेश की आम जनता में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापित महोदय, यह कहना सही नहीं है कि 26 जून, 2018 की स्थित में स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते निजी स्कूल प्रबंधन बेलगाम हो गया है, वरन् सही यह है कि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक क्रियाकलापों का संचालन शैक्षिक समय-सारणी के अनुसार किया जा रहा है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सत्र 2018-2019 के लिए शिक्षण कार्य 18 जून 2018 से प्रारंभ है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन एवं ग्रीष्मावकाश में समर कोर्सेस हेतु कार्यवाही की गई है जिससे छात्रों में शैक्षिकेत्तर गतिविधियों के अंतर्गत उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व शाला खोलने संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। अशासकीय निजी विद्यालय जो अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित हैं, उन्हें संविधान की धारा-29 एवं 30 के अंतर्गत आर.टी.ई. एक्ट के क्रियान्वयन से छूट प्राप्त है। अतः यह कहना कि अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित शालाओं के द्वारा आर.टी.ई. एक्ट की धिन्जयां उड़ाई जा रही हैं सही नहीं है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित संस्थाओं को संवैधानिक रूप से शासन के निर्देश के क्रम में छूट की पात्रता है एवं उन संस्थाओं के पास अल्पसंख्यक प्रबंधन से संचालित संस्था होने का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध है। निजी अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को आर.टी.ई.एक्ट के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित फीस लेने का अधिकार है। फीस की अधिसूचना की प्रक्रिया में संस्थाओं में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहते हैं एवं इस अधिसूचित फीस को सर्व संबंधितों के लिए सार्वजनिक किया जाता है। राज्य बाल सुधार संरक्षण आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। माह के द्वितीय मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जिलों के शिक्षा अधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेन्सिंग की भी व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शासन द्वारा हाईस्कूल में 50 रूपये एवं हायर सेकेण्डरी में 65 रूपये प्रतिवर्ष की दर से क्रीड़ा शुल्क लिया जा रहा है एवं उक्त शुल्क को नियमानुसार खेलकृद संबंधी गतिविधियों पर ही व्यय किया जा रहा है।

छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र में 127 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी एवं 53 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन का आदेश जारी किया जा चुका है, 74 पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु आदेश संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। अत: यह कहना कि शासन के नियम/निर्देश के पालन न होने से आम जनता में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है सही नहीं है।

श्री कुरैशी

कुरेशी\04-07-2018\b18\12.30-12.35

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलैंडर का पालन करना बाध्यकारी है ? बाध्यकारी है तो इसकी कब-कब जांच की गई और किन-किन स्कूलों में इसकी जांच की जा रही है ? इसके साथ ही निजी स्कूलों में इसके तहत प्रवेश प्राप्त करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है, यह बताएं ?

श्री केदार कश्यप :- सभापित महोदय, निजी स्कूल आरटीई एक्ट का पूरा पालन कर रहे हैं । उसी के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख, 8 हजार, 804 विद्यार्थियों को उनमें प्रवेशित कराया गया है और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उन निजी स्कूलों को दी गई है । जो शिक्षा सत्र प्रारंभ होना है, जिला शिक्षाधिकारी के माध्यम से इस बात की कोशिश की जाती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और आरटीई एक्ट का पालन हो या उन बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों का विकास हो, सारी व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से की गई है । जहां तक सीजी बोर्ड का सवाल है, सीजी बोर्ड और सीबीएसई के पाठ्यक्रम अलग-अलग हैं, उनके कैलैंडर अलग-अलग है । सीबीएसई का 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और सीजी बोर्ड का 16 जून से प्रारंभ करवाया था लेकिन 16 और 17 जून को छुट्टियां थी इसलिए 18 जून से शिक्षा सत्र का प्रारंभ करवाया ।

श्री देवजी भाई पटेल :- सभापित महोदय, मैंने पूछा कि निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू किये ? निजी स्कूलों के लिए कोई फीस बाध्यकारी है या निजी स्कूलें मनचाही फीस वसूल करती हैं । शासन के द्वारा कोई शुल्क निधीरित है कि निजी स्कूलों में भी उससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकेगी ?

श्री केदार कश्यप :- सभापित महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को बताया है कि निजी स्कूल वहां पर दी जा रही सुविधाओं के आधार पर फीस निर्धारित करेगा और उसका निर्धारण वहां बच्चों के पालक, जो अपने बच्चों को प्रवेशित कराना चाहते हैं । हमारे जिला शिक्षाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के सामने इस बात को सार्वजनिक किय जाएगा कि इतनी हमारी फीस होगी और उस

फीस की पूर्ति पालक के द्वारा की जाएगी । ऐसा नहीं होता कि मिड सेशन में किसी बच्चे के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाए, उसके लिए पहले से पहले से प्रावधान किया जाता है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आरटीई के तहत प्रवेश में अल्पसंख्यक स्कूल और धार्मिक स्कूल मानकर उसको इस नियम की बाध्यता से छूट दे दी गई है। केन्द्र सरकार ने भी इसमें संशोधन किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन-कौन सी स्कूलें हैं, जिनको आपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर छूट दी है और उसका आधार क्या है? क्या वहां पर धार्मिक पढ़ाई होती है? केवल मदरसों को छोड़कर, किसी को भी अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उसकी प्रबंधन समिति अल्पसंख्यक है, इसका यह मतलब नहीं कि वहां आरटीई लागू नहीं होगा। धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आपने ऐसी कितनी अल्पसंख्यक स्कूलें तय की हैं और क्या विभाग के द्वारा कभी उनकी जांच की गई है कि उस धार्मिक या अल्पसंख्यक वर्ग के कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं?

श्री केदार कश्यप :- सभापित महोदय, मैंने अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा जो स्कूलें संचालित हैं, ऐसी स्कूलों का प्रबंधन समिति, अल्पसंख्यक समुदाय की हो, आईटीई एक्ट में इस बात का प्रावधान है । हमारे यहां 23 स्कूलों को यह सुविधा मिली है । जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से, संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से उनको पात्रता दी गई है । मेरे पास इसकी सूची है, आप कहें तो मैं पढ़कर बता देता हूं । यदि हम रायपुर की ही बात करें तो रायपुर में हीजारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\04-07-2018\b19\12.35-40

जारी...श्री केदार कश्यप :- यदि हम रायपुर की ही बात करें, रायपुर में ही 23 विद्यालय हैं, उनको अलग-अलग माध्यम से पात्रता दी गई है-जैसे कांकेर वैली, एकेदमी, रायपुर को आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से दिया गया है । उसी तरीके से रायपुर में सेंट जोसेफ हायर सेकेण्डरी स्कूल, अमलीडीह है, जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के द्वारा नई दिल्ली के माध्यम से पात्रता दी गई है और उसी तरीके से सेंट मैरी हिन्दी मीडियम स्कूल, अमसेना को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है । उसी तरीके से दिल्ली पब्लिक स्कूल, नरदहा, हाई स्कूल, नरदहा, रायपुर को भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है ।

सभापित महोदय :- माननीय मंत्री जी, उनका जो प्रश्न था कि कितने स्कूल ऐसे हैं, जिनको अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की संख्या उन्होंने पूछा है । अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है क्या, ये आप स्पष्ट कर दें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापित जी, आर.टी.ई. एक्ट में जो प्रावधान है, उसमें इस बात का विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है कि जो संस्था संचालित है, जो शैक्षणिक संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, वह अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित हो, उसमें कौन से बच्चे प्रवेशित होते हैं, इस बात का उल्लेख नहीं है और इसके तहत में कोई भी संस्था उसके नियम के विरूद्ध में नहीं कर रही है। मेरे पास उसकी पूरी सूची है। आप कहें तो मैं माननीय सदस्य को पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय सभापित महोदय, आर.टी.ई. एक्ट के तहत 2012 में जो संशोधन हुआ था, उसमें 10 में नियम 5 में इस अधिनियम के तहत निहित प्रावधान मदरसे, वैदिक पाठशाला और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता । डी.पी.एस. कौन सी धार्मिक शिक्षा वहां करवा रही है कि उनको छूट दी गई ।

समय :-

12:37 बजे (अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे ये आग्रह है कि अगर ये स्कूल दिल्ली से छूट लेकर आये हैं तो आप इनकी जांच करवाएं और अगर ये इस प्रकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसके तहत नहीं आते हैं तो दिल्ली को उसके प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए पत्र लिखना चाहिए, तािक उन गरीब बच्चों को भी उसमें प्रवेश मिल सके। केवल अपनी छूट प्राप्त करके आर.टी.ई. से वे मनमाने ढंग से वहां प्रवेश दे रहे हैं और लाखों रूपये वसूल रहे हैं इसलिए आपसे आग्रह है कि धार्मिक आधार पर, जो संशोधन में दिया हुआ है, उसमें बहुत संक्षिप्त है। अगर उसके आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे तो वहां कोई भी धार्मिक बच्चे नहीं पढ़ते, न धर्म की पढ़ाई करते। इसलिए आपसे है कि आपके विभाग के माध्यम से एक बार इसका पुनरीक्षण कर ले, तािक प्रदेश के अन्य बच्चों को उसमें लाभ हो, ये आप भी चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डी.पी.एस. में अल्पसंख्यकों वर्ग की बात करते हैं, वहां पर हम सिक्ख बच्चों को भेजते हैं तो उसको प्रवेश नहीं देते हैं तो क्यों सिक्ख समुदाय की बात करते हैं इसलिए आप उनकी जांच करके आर.टी.ई. संस्थान, दिल्ली को इसकी मान्यता रद्द करने के लिए, इसका प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए लिखेंगे क्या ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया है कि आर.टी.ई. एक्ट में जो प्रावधान है, उसके तहत में जो अल्पसंख्यक् समुदाय के द्वारा जो भी संचालित इंस्टीट्यूट है, जो भी शैक्षणिक संस्थान् हैं, उसमें हम आर.टी.ई. एक्ट में किसी के ऊपर हम कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के द्वारा इन्होंने प्रमाण-पत्र लिया है तो माननीय सदस्य ने इसकी जानकारी दी है, मैं इसको देखता हूं।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने नए स्कूलों का उन्नयन किया है, उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है ? अभी भी स्कूलों में आदेश नहीं पहुंचा है, जिसके कारण आज वहां पर प्रवेश नहीं हो रहा है, बच्चे दूसरी जगह प्रवेश ले रहे हैं तो क्या ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द आदेश हो जाए । आपने कहा है कि हमने आदेश जारी कर दिया, मगर आजतक स्कूलों में आदेश नहीं पहुंचा है कि उन्नयन हो गया है । बजट में आ गया तो विभाग को उन्नयन करना चाहिए, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के पहले आपको उन्नयन करना चाहिए था । इसलिए माननीय मंत्री जी बताएं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल उन्नयन होने थे, उसमें से अभी हायर सेकेण्डरी में ट्राईवल के माध्यम से 53 संस्थाओं का उन्नयन हुआ है और एजुकेशन का उन्नयन अभी बाकी है, जो प्रक्रिया में है और उसको भी जल्द से जल्द उन्नयन कर दिया जायेगा । शेष को हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचना दे दी है, तािक वहां पर तत्काल इसी सत्र में प्रवेशित कराएं ।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरा वही कहना है कि अभी प्रक्रिया में है तो आप प्रवेश देने के लिए आदेश जारी करें क्योंकि ये सत्र प्रारंभ हो गया, बच्चे दूसरी जगह प्रवेश ले लेंगे इसलिए आप से आग्रह है कि जल्द से जल्द उसका आदेश जारी कर दें।

श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\c10\12.40-12.45

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के कितने प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया तो उन स्कूलों के ऊपर क्या कार्रवाई की गयी? श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा अभी तक कोई स्कूल नहीं है, जो आर.टी.आई. के नियमों का उल्लंघन किया हो या जिन्होंने पालन न किया हो। अगर ऐसी सूची माननीय सदस्य के पास है तो वे हमें जानकारी दें, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री केशव चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर.टी.आई. के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में जिन बच्चों को प्रवेश देते हैं, और उसकी फीस का भुगतान सरकार करती है तो क्या उन समस्त प्राइवेट स्कूलों को भुगतान हो चुका है? अगर नहीं हुआ है तो कितने दिनों का नहीं हुआ है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ फीस की राशि अभी बाकी है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो फीस की राशि है, उसको फण्ड की उपलब्धता के आधार पर दें, यह हमारी कोशिश है।

श्री केशव चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से शैक्षणिक जिला सक्ती में छोटी-छोटी स्कूलों का विगत 4 सत्रों का बाकी है। ध्यानाकर्षण में भी यह बात आयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जरा भुगतान करा दें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो स्कूलें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो रही हैं, वहां शिक्षा का आर.टी.आई. लागू नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्कूलें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, उनको शिक्षा विभाग ने जो मान्यता प्रदान की है, वह मान्यता प्रदान करते समय क्या उनने ये बातें लिखी है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के हित में काम करेंगे ? क्या उसमें ऐसी कोई बात आवश्यक है या खाली संचालित है इसलिए हम उसमें छूट दे देंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया है कि आर.टी.आई. में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जिन शैक्षणिक संस्था का संचालन किया जा रहा है, उसको छूट का प्रावधान है क्योंकि यह एजुकेशन विभाग इसको छूट प्रदान नहीं करता, इसमें जो छूट का प्रावधान है, वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से है और दूसरा हमारे अनुसूचित जनजाति के संचालक या फिर कमिश्नर के माध्यम से इनको छूट का प्रावधान है।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2012 में जो प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम में निहित प्रावधान मदरसा, वैदिक पाठशाला और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। मदरसा, वैदिक

पाठशाला और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर। यहां की स्कूलें ऐसी हैं कि कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रही हैं और बड़े बैनर तले वह स्कूलें चल रही हैं और वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है इस आधार पर छूट मिल रही है। माननीय मंत्री जी, क्या ऐसी शालाओं की आप जांच करायेंगे, जिनको आप छूट प्रदान कर रहे हैं और जहां धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी शालाओं के माध्यम से कोई धार्मिक शिक्षा अभी वर्तमान में नहीं दी जा रही है। उनको हमारे सी.जी. बोर्ड या सी.बी.एस.सी. पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे लगता है कि आर.टी.आई. में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो मैं उसको देख लेता हूं। यदि इसमें हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे उसके तहत यदि पात्रता में आते हैं तो उनको हम वहां पर प्रवेशित भी करायेंगे।

डॉ. विमल चोपड़ा (महासमुंद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी स्कूलों में तो प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन जो छोटी स्कूलें हैं, वहां सरकार को उनकी जो फीस देनी चाहिए, उसमें शायद बहुत सारी राशि बची हुई है। छोटी स्कूलों में जो आर.टी.आई. में प्रवेश देते हैं, उनका कब तक निपटारा कर देंगे या उनको जो राशि है, वह कब तक दे दी जायेगी ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करेंगे।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

सविता\04-07-2018\c11\12.45-12.50

समय

12.45 बजे नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मैंने सदन में 08 सूचनाएं लिये जाने की अनुजा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य

- 2. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
- 3. श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य
- 4. श्री संतराम नेताम, सदस्य
- 5. श्री कवासी लखमा, सदस्य
- 6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
- 7. श्री दीपक बैज, सदस्य
- 8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

समय

12.46 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) याचिका समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन

सभापति याचिका समिति (श्री श्रीचंद सुंदरानी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(2) <u>गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां, पन्द्रहवां,</u> सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां प्रतिवेदन.

सभापति (श्री अशोक साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समय

12.47 बजे वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगां पर चर्चा होगी। परम्पराअनुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि:-

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 67, 71, 76, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौवन लाख दो हजार, नौ सौ सड़सठ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत ह्आ-

श्री मोहन मरकाम।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात है एक बाबा घुस कर आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय :- आप कभी भी थोड़ी खड़े होंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए तो लाल-लाल पूरा है, उसको दिखवा लिया जाये। वे घुस गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने दिखवा लिया है मैं उनके साथ फोटो भी खिंचवाया हूँ। वे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागाँव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक मांग की विभिन्न मांगों में चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौवन लाख दो हजार, नौ सौ सइसठ रूपये की अनुपूरक राशि की मांग की है। हम वर्ष 2018-2019 का बजट देख रहे थे तो 87 हजार, 463 करोड़ का मूल बजट था, उसमें अगर इसको जोड़ देते हैं तो लगभग 51 हजार करोड़ का बजट हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 12 वर्षों से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैं बैंकिंग क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर से आया हूँ। मैंने समझने का प्रयास किया पिछले 12 वर्षों का वित्तीय प्रबंधन जानने का प्रयास किया इसमें मुझे जो लगा कि मदक्रमांक 01 मुख्य शीर्ष 2 हजार, 49 बाजार ऋणों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंकों को ब्याज भुगतान 337 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में ऋण को बोझ बढ़ते जा रहा है। वर्ष 2003 में जब हम सरकार में थे

उस समय कोष में लगभग 600 करोड़ रूपये शेष थे, 15 वर्षों में राज्य में 43 हजार, 449 हजार करोड़ रूपये का ऋण भार ह्आ है। जब छत्तीसगढ़ में बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 17 हजार रूपये का ऋण बोझ पड़ता है। सरकार वर्ष 2018-2019 में ये दावा कर रही थी कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 92 हजार रूपये है। मैं तो देखता हूँ हो सकता है आज कुछ लोगों का जो सत्ता के इर्द-गिर्द घूमते हैं, उनकी आय हो सकती है मगर हम गाँवों में देखते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। आज छत्तीसगढ़ गरीबी के मामले में पूरे देश में अव्वल है । हम अक्सर उड़ीसा और बिहार की तुलना करते थे

जारी श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\c12\12.50-12.55

पूर्व जारी... श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, हम अक्सर उड़ीसा और बिहार की त्लना करते थे, मगर उड़ीसा और बिहार की त्लना में भी जब छत्तीसगढ़ बना था, उस समय 37 प्रतिशत गरीबी थी, मगर आज छत्तीसगढ़ में 39.9 प्रतिशत गरीबी है। मुख्य बजट में भी 4284 करोड़ ऋणों की ब्याज अदायगी के लिए प्रावधान था, छत्तीसगढ़ में लगातार ब्याज का बोझ बढ़ रहा है। 2018-19 में 9997 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है जो कि जी.डी.पी. से 3.07 प्रतिशत के बराबर है, जबकि 14वें वित्त आयोग में 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कहीं न कहीं हमारे माननीय म्ख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय प्रबंधन में फेल्अर साबित हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या- 3 मद क्रमांक-13 से 14 पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अत्यन्त नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 366 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे पुलिस के जवान के ऊपर प्रदेश की जनता की स्रक्षा, हमारे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बह्त बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस्तर, सरगुजा जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में हमारे पुलिस के जवान डयूटी करते हैं, मगर देश में छत्तीसगढ़ में ऐसा नजारा देखने को मिला, पहली बार छत्तीसगढ़ के प्लिस जवानों के परिजनों को सड़क में आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ा। छत्तीसगढ़ में माननीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार प्लिस कर्मियों के हितों के लिए कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाई है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया हुआ है, सरकार के प्रति अविश्वास है और जब तक सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर लेती है, इस अन्पूरक बजट में कैसे चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये आप सवेरे से चर्चा में भाग ले रहे हैं, व्यवस्था का प्रश्न अभी उठा रहे हैं। और ऐसी परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता रहा है और इस बीच में चर्चा चलती रही है, इसलिए आप चर्चा जारी रखें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मंहगाई के इस भयावह दौर में पुलिस कर्मियों को 200 रुपये चिकित्सा भत्ता, 100 रुपये पोषक आहार भत्ता, 60 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता, 18 रुपये सायिकल भत्ता, 600 रुपये आवास भत्ता दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक डॉक्टर भी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आज डॉक्टर को दिखाने के लिए 200 रुपये फीस लगती है तो बाकी दवाई और चीजें कहां से लेगा? पोषक आहार के लिए महीने में 100 रुपये दिया जाता है, हमारा जवान 3 रुपये, 4 रुपये में क्या खायेगा? 3, 4 रुपये में तो चाय भी नहीं मिलती है। आज कोन्डागांव जैसी जगह में लगभग 3000 रुपये में किराये का आवास मिलता है और आप हमारे पुलिस कर्मियों को 600 रुपये आवास भत्ता दे रहे हैं। कहीं न कहीं जो आवाज, चिंगारी उठी है, सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों को है, उनका मनोबल न टूटे और ऐसी स्थित न निर्मित हो, इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या- 8 असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल योजना अंतर्गत 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि असंगठित श्रमिकों के लिए सायिकल, सिलाई मशीन, अन्य सामग्री प्रदाय की जाती है। मगर अक्सर हम कई जगह देखते हैं जो हमारे असंगठित श्रमिक भाई हैं, मैं कोनई गांव का उदाहरण दूं, हमारे कई श्रमिक पंजीयन कराने के लिए कार्यालय में जाते हैं, उनसे 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लिये जाते हैं। हमने इसकी शिकायत माननीय राज्यपाल महोदय से, सरकार से भी की है। सरकार इस पर संज्ञान लेकर... (जारी)...

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\c13\12.55-12.60

..........जारी श्री मोहन मरकाम सरकार इस पर संज्ञान लेकर जिनको सचमुच में लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 मद क्रमांक-1, सरकार ने छत्तीसगढ़ के 01 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों के लिए वादा किया था। यह वर्ष 2003 के संकल्प-पत्र में था कि अगर हम सरकार में आयेंगे तो 24 घंटे के अंदर शिक्षाकर्मियों का संविलियन करेंगे। मगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इसमें 15 साल लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों में अक्सर कहा करते थे कि संविलियन तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर आज किस मजबूरी में माननीय

मुख्यमंत्री जी को संविलियन का निर्णय लेना पड़ा। आखिर अपने वादों पर, अपने बयानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुकरना पड़ा। उनको भी पता चला कि हमारी गद्दी अब खिसक रही है, इसलिए कुछ नहीं सही तो भागते भूत के लंगोट सही, यह कह सकते हैं कि मजबूरी में माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रथम वक्ता हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो माननीय सदस्य अनुपूरक बजट में जिस चीज के लिए सरकार पैसा मांग रही है, वह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, इस विषय पर केन्द्रित रखेंगे तो सार्थक चर्चा होगी और समय पर ही कार्यवाही पूर्ण कर पायेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर ही मांग संख्या-27 पर ही बात करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- क्योंकि आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, चुनावी वर्ष होने के कारण निश्चित ही हार देखकर संविलियन करना पड़ा। अगर संविलियन करना होता तो सभी 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन करना चाहिए था। क्योंकि वे लगातार संघर्ष किए हैं उसके बाद आज हम देखते हैं कि इन 15 वर्षों में 38 शिक्षाकर्मियों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है ? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी जवाबदेही निश्चित करना चाहिए कि जिन 38 शिक्षाकर्मियों की संघर्ष के दौरान मौत हुई है, उसके लिए भी कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 के घोषणा-पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प-पत्र और घोषणा-पत्र में कहा था कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन विसंगति, भर्ती, क्रमोन्नति, पदोन्नति में युक्तियुक्त करने के लिए आयोग का गठन किया जायेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान कम से कम 4 स्तरीय पदोन्नति वेतमान दिया जायेगा। शासकीय कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवाकाल के स्थान पर 25 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर पेंशन दिया जायेगा। शासकीय शालाओं में या उनके निकट शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के आवास हेतु भवन का निर्माण किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 का संकल्प-पत्र और घोषणा-पत्र है। 5 साल पूरा होने जा रहा है मगर इस अनुपूरक बजट में इन कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना मांग संख्या-64, इसके लिए भी 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आज कई प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी बातें आई। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छी योजना है। इसमें गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है, मगर कई जगह ठेकेदारी प्रथा हो रही है। सरकार को उस पर कहीं न कहीं

अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है, अभी बरसात के दिनों में कोण्डागांव नगर पालिका क्षेत्र में भी कई मकानों को तोड़ा गया है। अभी बरसात के दिनों में वे हितग्राही इधर-उधर भटक रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ उन लोगों की उचित व्यवस्था हो। अक्सर यह देखा जाता है कि अपने चहेते व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच जो गरीब व्यक्तित है, सचमुच में जिसको आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को भी प्रधानमंत्री आवास देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, अनियमित अधिकारी- कर्मचारी जो लगभग 50 से 60 हजार थे, वे लगातार हड़ताल में थे।जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\c14\01.05-01.10

जारी...श्री मोहन मरकाम

लगभग 50-60 हजार कर्मी, आज हड़ताल में थे। आज लगातार सरकारी विभागों में, जो सेट अप है, जो पद स्वीकृत है, उसी के आधार पर अनियमित कर्मचारी जो संविदा के तौर पर रखा जाता है, जब सरकार के पास सेट-अप हैं, इतने पद स्वीकृत हैं, रेगुलर पदों पर क्यों नियुक्ति नहीं दी जाती ? लगातार उन कर्मचारियों को, उनके अधिकारों का न्कसान हो रहा है । अध्यक्ष जी, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आज प्रत्येक वर्ष प्रशासकीय स्वीकृति बजट के नाम पर सेवा वृद्धि एवं सेवा से पृथक किये जाने का भय समाप्त कर 62 वर्ष की आयु वृद्धि तक उनको प्रदान किया जाये, क्योंकि हम अन्पूरक बजट में देखते हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है । शासकीय सेवाओं में आऊट सोर्सिंग, ठेका प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाये, समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के दैनिक वेतन भोगी , अनियमित, संविदा, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में कार्यरत, कलेक्टर के मानदेय दर पर कार्यरत, प्लेसमेंट, अंशकालीन, जॉब दर आदि कर्मचारियों को नियमित करने की सरकार व्यवस्था करे ताकि कर्मचारियों में जो असंतोष की भावना है, वह दूर हो सके । माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में 7043 पंचायतों के राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण योजना के तहत सहायक डाटा आपरेटर की नियुक्ति की गई थी, उनको दो साल से निकाल दिया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, उनके भविष्य की चिन्ता करते ह्ये माननीय म्ख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, उनके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये और उनको लिया जाये । माननीय अध्यक्ष जी, आज मध्यान्ह भोजन की बात होती है, 15-15, 20-20 सालों से 1200 रूपये में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले हमारे रसोईया भाई कार्य कर रहे हैं । जबिक स्प्रीम कोर्ट का भी गाईड लाईन है, श्रम मंत्रालय का भी गाईड लाईन है, कम से कम 6 घण्टा काम करने वाले कोई भी कर्मचारी को कम से कम 325 रूपया मेंहनताना, रोजी मिलना चाहिये। मगर आज उस हिसाब से हम देखें तो कम से कम 8500 रूपये उनका महीने का सेलरी बनता है । मगर सरकार ने लगातार उनके आंदोलन को दबाया गय,

उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया, मैं चाहूंगा कि उस पर विशेष ध्यान दें । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, विद्या मितान, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सफाई कर्मचारी, कोटवार, पटेल, ये भी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के संज्ञान में बात ला रहे हैं, मगर उनके लिए भी इस अन्पूरक बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी मांगों पर भी विशेष ध्यान दें । माननीय अध्यक्ष जी, आज हम लगातार देखते हैं, जो सामाजिक स्रक्षा एवं कल्याण, मांग संख्या-4 केन्द्रीय पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 14 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, अक्सर हम देखते हैं, बस्तर से आते हैं, जो नक्सली पीडि़त है, जिनके लिए सरकार ने 14 करोड़ का प्रावधान किया है, मगर कई ऐसे नक्सली पीडि़त हैं, उनको राहत राशि नहीं मिल पाती है । माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में भी कई ऐसे आवेदन मेरे पास है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अवगत कराऊंगा, उनको लाया जाता है, फोटो खिंचाया जाता है, सहायता देते हैं, मगर उनके खाते में राशि नहीं मिल पाती है, सरकार को, जिनको-जिनको वाकई में मिलना चाहिये, उनको नहीं मिल पाता है। आज मांग संख्या 13 मद क्रमांक 1 चना फसल उत्पादन कृषकों को फसल प्रोत्साहन राशि हेत् 60 करोड़ का प्रावधान है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितने किसानों को लाभ दिया गया है ? छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान चना लेते हैं, मगर बह्त से किसानों को इसका प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाता है । हमारे कींडागांव में भी बह्त सी शिकायतें आई है । उनका भी सरकार से निवेदन करेंगे कि उस पर लाभ मिले । सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोह, मेले और मर्ड़् के लिए 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि गांव में जो उत्सव होते हैं, गांवों में, हमारे विधान सभा क्षेत्रों में, अन्य विधान सभा क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है, कई बार मांग करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो सरकार से निवेदन है कि उन योजनाओं के लिए भी ध्यान देना चाहिये । आज हम देखते हैं कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेत् आकस्मिकता निधि में 4 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप 15 साल से छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं

श्रीमती यादव

जारी..........शी मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहूंगा कि आप 15 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं । सभी योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है तो फिर 4 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था करने की क्या जरूरत है ? सब योजनाओं का प्रचारप्रसार ऑलरेडी हमारा जो फील्ड का तंत्र है, जो हमारे कर्मचारी हैं वे ऑलरेडी करते हैं तो फिर अतिरिक्त व्यय करने की इसमें क्या आवश्यकता है, यह नहीं देना चाहिए । जब छत्तीसगढ़ बना तब छत्तीसगढ़वासियों को बहुत ज्यादा अपेक्षायें थी, यह अपेक्षायें थीं कि छत्तीसगढ़ बनेगा तो छत्तीसगढ़वासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे लेकिन आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन 15 सालों और अर्थात् इन 18 सालों में हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है । छत्तीसगढ़ में आज पंजीकृत 25 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है । छत्तीसगढ़ में बाहर से युवाओं को बुलाकर आऊटसोर्सिंग के माध्यम से यहां की नौकरियां, यहां के रोजगार दिये जाते हैं। सरकार ने इन पिछले 15 वर्षों में चाय से लेकर पकौड़ों तक ही विकास किया है । आज कोई एम.बी.ए. का छात्र, कोई इंजीनियर का छात्र अगर नौकरी मांगता है तो उनको कहा जाता है कि आप पकौड़ा बेचिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई छात्र एम.बी.ए. करता है, 30 लाख-40 लाख तो एम.बी.ए. करने में लगता है अगर उसको पकौड़ा बेचना ही था तो वह एम.बी.ए. क्यों करता, इंजीनियरिंग क्यों करता ? अगर वह 30-40 लाख रूपये बैंक में रखता तो बैंक के ब्याज से ही वह अपना जीविकोपार्जन करता और सरकार के आगे हाथ क्यों फैलाता तो कहीं न कहीं सरकार हमारी केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो हर साल 02 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे ऐसा बोले थे लेकिन.....

अध्यक्ष महोदय :- यह जो अनुपूरक बजट है इसमें जो पैसा सरकार मांग रही है वह देना चाहिए कि नहीं, यह बताईये न ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अभी भूमिका बांध रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी में बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो अनुपूरक बजट है । कुछ बातों के लिये सरकार ने पैसा मांगा है, आप तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और पूरा तो थोड़ा सा संक्षेप में करें। श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2003 के घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि.....

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों से और श्री मोहन मरकाम जी से यह कहना चाह रहा था कि अभी विकास के लिये राशि क्यों दी जानी चाहिए, नहीं देना चाहिए ऐसी बातें आ रही हैं और विकास खोजो यात्रा भी निकाले हैं । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये अपने क्षेत्र में जब मीडिया इनसे पूछने जाती है तो ये विकास गिनाते हैं और ये उसको खोजने भी निकलते हैं और गिनाते भी हैं, भूमि पूजन भी करते हैं और उसका लोकार्पण भी करते हैं, यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बजट का विरोध इसलिये करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आपका नंबर नहीं आया है, अभी उनका नंबर है । आपका भी नंबर आयेगा ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुन लीजिये । वर्ष 2016-17 में मेरे.....

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम जी आपका नाम बजट भाषण में है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, जो रोजगार की बात है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2003 में संकल्प पत्र में कहा था कि हम प्रत्येक बारहवीं पास पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने से बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन इन 15 वर्षों में न रोजगार मिला न तो बेरोजगारी भत्ता मिला । न इस अनुपूरक बजट में कोई बेरोजगारी भत्ता युवाओं को रोजगार देने का कहीं प्रावधान नहीं किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इन 15 वर्षों में बहुत समय होता है । इन 15 वर्षों में आपके पास पर्याप्त छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को आपने ठगा है । कहीं न कहीं उसके लिये अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 6 तारीख को क्या भाषण देंगे ? (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- जी, बहुत सी बातें हैं । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात कहते थे । विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आया है कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तर दिया है कि प्रदेश में पिछले 04 सालों में 02 अरब

07 करोड़ 47 लाख रूपये का कालेधन के रूप में सामने आया है । भ्रष्टाचार के प्रकरणों मेंजारी

.....शी यादव

यादव\04-07-2018\c16\1.10-1.15

......(जारी श्री मोहन मरकाम) :- 02 अरब 07 करोड़ 47 लाख रूपए कालेधन के रूप में सामने आया है । भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रदेश के 313 सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण कायम हुए हैं, जिसमें 03 आईएएस अधिकारी, 03 राज्य प्रशासनिक अधिकारी, 307 अन्य कर्मचारी हैं । छत्तीसगढ़ में जीरो टालरेंस की बात कही जाती है । आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कालाधन तो यही पड़ा हुआ है । कालाधन किस किसके पास जा रहा है, यह आप सब सम्माननीय सदस्यों को पता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, सेहत की बात है तो हम देखते हैं कि सरकार इसके लिए बजट में, मूल बजट हो या अनुपूरक बजट हो, अनुपूरक बजट में तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, मगर मूल बजट में 1748 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उसमें से मात्र मात्र 1447 करोड़ ही खर्च किए गए, जो कि 14 प्रतिशत कम है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सेहत के राष्ट्रीय रैंकिंग में 12वां स्थान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों को लेकर नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों में पहली बार रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग के सीईओ अभिकांत ने स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत में केवल केरल, पंजाब और तिमलनाडु जो भारतीय जनता पार्टी राज्य नहीं हैं, वह राज्य पहले तीन नंबर में हैं। उसके बाद इंडिया ने एक सर्व जारी किया है, उसमें 21 राज्यों में छत्तीसगढ़ 20वें नंबर में है। सालाना इंक्रीमेंटल रैंकिंग में झारखंड हमारे साथ राज्य बना था, वह इसमें 6.87 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है और छत्तीसगढ़ इंक्रीमेंटल रैंकिंग में 3.6 प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है। जब हम छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पैसा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कल आपको उत्कृष्ट विधायक का पुरूस्कार भी माननीय राज्यपाल के हाथों से मिलना है तो अनुपूरक बजट में क्या बोलना है, यह तय कीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, अपन जो पैसा देते हैं उसी पर वह खर्च होना चाहिए । उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए । छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का सरकार में बैठे हुए लोग सदुपयोग न करें तो आप कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं । क्योंकि आज हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, आज कहीं न कहीं हमको नहीं लगता कि वित्तीय अनुशासन है । आज स्थापना व्यय लगातार बढ़ रहा

है जिसके कारण निर्माण में तीन, चार साल का विलंब हो रहा है । मेरे क्षेत्र के ऐसे कार्य हैं जिनको तीन, चार सालों से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पा रही है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के रूप में आज जो अनुपूरक मांग की है, उसका हम कहीं न कहीं विरोध करते हैं । हम पैसा क्यों दें, क्या फिजूलखर्ची के लिए दें ? आज छत्तीसगढ़ की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे कामों में उपयोग, सदुप्योग होना चाहिए ताकि उसका लाभ छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को मिल सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्कूल शिक्षा की बात होती है । मूल बजट में 12472 करोड़ रूपए स्कूल शिक्षा विभाग में दिया जाता है । यह सबसे ज्यादा बजट है । उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की क्या स्थिति है। आज भी 50 हजार से अधिक पर आज भी खाली हैं । उसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षकों की कमी है । सरकार को भी स्कूल शिक्षा में विशेष ध्यान रखना चाहिए । खासकर बस्तर के तरूणाइयों को, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो स्कूल शिक्षा पर विशेष ध्यान दें तािक वे आगे बढ़ सकें । साथ ही साथ हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को जो विश्वास दिलाया कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, मगर आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है । अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज छत्तीसगढ़ का यह पवित्र सदन यदि आपको पैसा दे रहा है, सहमित दे रहा है तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तभी सफल वित्त मंत्री होंगे, जब पैसे का सदुपयोग होगा । आज लगातार पैसों का बंदरवाट हो रहा है । छत्तीसगढ़ के खजाने का दुरूपयोग हो रहा है उस पर नियंत्रण लगे । माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, मुझे और भी बोलना था, मगर आप इशारा कर रहे हैं, में आपके इशारों को समझ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- यह अनुपूरक बजट है इसलिए थोड़ा सा...।

श्री मोहन मरकाम :- जी । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री मिश्रा

मिश्रा\04-07-2018\c17\.-.5

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे (अहिवारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की कुल 39 अनुदान मांगों के समर्थन में यहां पर खड़ा हुं जिसके द्वारा 4877 करोड़ 54 लाख 2967 रूपये की अनुपूरक राशि की मांग की गई है। मैं प्रारंभ में ही सदन से निवेदन करता हूं कि पूरे ध्वनिमत के साथ एकमत होकर इस अनुदान मांग को समर्थन दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया का भाव हो।

श्री दीपक बैज :- डाहरे जी, ईदगाहभाठा में सब सर्वे भवन्तु सुखिन: हो रहा है, वहां लाखों लोग बैठे हैं।

श्री संतोष उपाध्याय (राजिम) :- जो देगा उसी से तो मांगेंगे ना।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश के मुखिया का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास हो, जो अंत्योदय की भावना को लेकर चलने वाले हों, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के हृदय में पूरे प्रदेश की जनता के प्रति जो भाव है उनका हृदय गांव के गरीब, किसान, मजदूर के लिए तड़पता हुआ दिखता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सांवला जी, अब आपकी टिकट पक्की। (हंसी)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा :

हमें तो जिन्दगी के तर्जुबों ने सिखाया है,

हमें तो जिन्दगी के तर्जुबों ने सिखाया है,

इरादें हों जवां तो मंजिलें ठोकरों पर रहती हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां कृषकों की दशा क्या होनी चाहिए, प्रदेश के अन्नदाता कैसे होना चाहिए, उनकी बेहतरी किसमें हैं इन तमाम चीजों का न केवल उन्होंने सपना देखा बल्कि अपने सपने को उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। लोग बोनस की बात पर चिल्लाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के इदय में वह बात थी कि एक न एक दिन मुझे बोनस देना है और उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और गंभीर चिन्तन का परिचय देते हुए प्रदेश के 12 लाख 06 हजार किसानों को 2100 करोड़ रूपये का बोनस देने का अद्भुत और चमत्कारिक काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दीपक बैज :- डाहरे जी, किसान सब समझ रहे हैं।

समय: 1.19 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)**

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में न केवल धान की फसल पर काम करने वाले किसानों की चिन्ता वरन जो किसान चना की फसल पर काम करते हैं उन किसानों के लिए उनका एक अद्भुत निर्णय कि उन किसानों को 1500 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन देने के लिए 120 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। यह अपने आप में अद्भुत है जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, आम जनता के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में सोचा। ऐसे सहदय और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जशपुर जिला, राजनांदगांव में छुईखदान, कोरबा जिला कोरबा, कुरूद जिला धमतरी, महासमुंद जिला महासमुंद तथा गरियाबंद के लिए 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए इस अनुपूरक बजट में मांग की है। इसी तरह हमारा छत्तीसगढ़ और हिन्दू प्रदेश जो गौ को माता का दर्जा देता है ..

श्री कुरैशी

कुरेशी\04-07-2018\c18\01.20-01.25

जारी......शी राजमहंत सांवलाराम डाहरे :-

हमारा छत्तीसगढ़ और हिन्दू प्रदेश जो गौ को एक माता के रूप में दर्जा देता है, उसका सम्मान करता है, उसकी पूजा करता है । इसीलिए इन संवेदनशील विचारों को रखते हुए गौ सेवा आयोग का गठन हुआ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सांवला जी, राजनांदगांव की एक गौ-शाला में क्या हुआ था, आपने देखा था? कितनी गौ-माताओं की हड्डी बेची गई थी ।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- गौ-शाला के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, यह गौ-माता के प्रति सरकार का समर्पण भाव और सम्मान का भाव परिलक्षित हुआ है । सभापित महोदय, पशुधन मित्र योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान की दिशा में काम करने वाले मित्रों के लिए 2 करोड़, 82 लाख रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए जो काम किया जा रहा है । इसी तरह हमारे कवर्धा जिले में शक्कर का कारखाना है, उस कारखाने में इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । सभापित महोदय, विपक्ष कहता है कि इन्हें बजट न दिया जाए । हम पूछते हैं कि क्यों न दिया जाए ? यह बजट विकास का है, प्रदेश के लोगों को विकास दिख रहा है । जनता विकास को बड़े स्पष्ट तौर पर देख रही है और उसका माप भी कर रही है । सभापित महोदय, ग्राम दतरेंगा में पशुओं के आवास की व्यवस्था की जा रही है, ऐसे पशु जो रूगावस्था में आ जाते हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था पहली बार की जा रही है इसके

लिए 60 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में, हर संवेदनशील मामले में बड़ी गंभीरता के साथ चिंतन करते ह्ए कार्ययोजना प्रारंभ की है। जो शिक्षाकर्मी हैं, जो गुरू हैं उनके चेहरे को देखने से साफ जाहिर होता है कि उन गुरूओं का आशीर्वाद एक बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा । उन्हें ग्रू दक्षिणा मिल च्का है । शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रानी मांग थी । काफी लम्बे समय से सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही थी कि वास्तव में शिक्षा कर्मियों के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, ये रेग्युलर शिक्षक का काम कर रहे हैं तो उनके साथ दोहरी नीति क्यों ? इसको देखते हुए हमारी सरकार ने, डॉ. रमन सिंह जी ने शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया है । मैं तो पूरे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षा कर्मियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रिमण्डल को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए 1 हजार 25 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । यह अपने आपन में बह्त बड़ा और संवेदनशील निर्णय है । हमने शिक्षा कर्मियों के मर्म को समझा, शिक्षा कर्मियों की ब्नियादी मांग को समझा, ऐसे संवेदनशील मामले में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है । माननीय म्ख्यमंत्री जी को करोड़, करोड़ बधाईयां और शुभकामनाएं मैं शिक्षा कर्मी साथियों की ओर से देना चाहता हूं । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के कोरबा में जो एनसीसी की बटालियन प्रारंभ हो रही है, छत्तीसगढ़ बटालियन कोरबा के लिए 1 करोड़, 80 लाख, 52 हजार रूपए का अनुपूरक प्रावधान इस बजट में लिखा गया है

-- जारी श्री अग्रवाल -

अग्रवाल\04-07-2018\c19\1.25-30

जारी...श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- इसके लिए 1 करोड़, 80 लाख, 52 हजार रूपए का अनुपूरक प्रावधान इस बजट में किया गया है । इससे न केवल एन.सी.सी. करने वाले हमारे प्रदेश के नौजवानों को इसमें सहयोग मिलेगा, बल्कि प्रदेश के हित के लिए भी अपने आप में बेहतर होगा।

माननीय सभापित महोदय, पंचायती राज में गांव के पंचायतों को कैसे सबल बनाया जाए, गांव के लोगों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अपने आप में एक अद्भूत योजना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एक अभूतपूर्व और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना और वह संकल्प, उनका सपना है कि 2022 तक इस देश में कोई ऐसे गरीब बंधु नहीं रहेंगे, जिसका अपना पक्का मकान नहीं होगा और केन्द्र सरकार की इस सपने को साकार करने की दिशा में हमारे राज्य सरकार और मंत्रिमंडल ने अभूतपूर्व निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 6 लाख, 23 हजार, 824 का लक्ष्य दिया गया था। जब किसी गरीब का अपना पक्का मकान होता है, हम लोग उनके घरों में जाते हैं, जिनका आवास बना हुआ

है, उनके घरों में जाते हैं, उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके जीवन में एक चमत्कार हो गया, उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया, उसके जीवन शैली में एक बदलाव आ गया, ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं और इसीलिए 2016-17, 2017-18 में 4,39,275 जो निर्धारित लक्ष्य था, उसके विरूद्ध बड़े तेजी के साथ काम करते हुए हमारे राज्य सरकार ने 3,81,040 आवासों का निर्माण पूर्ण कर दिया है । ये सरकार की गरीबों के प्रति उनकी क्या अवधारणा है, सरकार की क्या सोच है, ये प्रदर्शित करता है । क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को बड़े करीब से देखा है, उन्होंने गरीबी को बहुत भोगा है, उन्होंने गरीबी को जीया है और जिसने गरीबी को जीया हो, जिसने गरीबी को भोगा हो और जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा हो, वास्तव में गरीबी की सही रूप से वही परिभाषित कर सकता है ।

माननीय सभापित महोदय, योजना के क्रियान्वयन में शासन ने बड़ी तत्परता दिखाई और इस प्रथम अनुपूरक में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को तत्काल लाभ दिलाने के लिए काम किया । हम लोग को गांव, खेड़े में जाते हैं, जिनके आवास बन रहे हैं, उनको जाकर देखते हैं तो उनके चेहरे की चमक साफ-साफ कहती है और इसीलिए इस अनुपूरक बजट में 1269 करोड़, 17 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । मैं तो पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि एक मत होकर, एक स्वर में इस अनुपूरक बजट की मांग को स्वीकृत करें ।

माननीय सभापित महोदय, नगरीय प्रशासन में जो प्रवेश करके, आगम करके क्षितिपूर्ति अनुदान मद 375 करोड़, 20 लाख का अनुपूरक में अतिरिक्त प्रावधान है । 2018-19 में इस मद में 1000 करोड़ का प्रावधान है । नगरीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए, उनके जीवन में कैसा बदलाव लाया जाए, इन सब चीजों को सोचते हुए प्रदेश की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिया है । सम्पूर्ण सदन को इसको स्वीकार करना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, वाणिज्य और उद्योग विभाग में...

श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\d10\01.30-01.35

जारी... श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :-

माननीय सभापित महोदय, वाणिज्य और उद्योग विभाग में इज ऑफ डुइंग बिजनेस के अंतर्गत उठाये गये जो कदम हैं, जिससे औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित हुआ है, इस कड़ी में औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। ये तमाम कार्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है, प्रदेश के विकास की दिशा को निर्धारित करता है। राज्य को एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में जो काम करते हैं, वह काम हमारे मंत्रिमण्डल और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया है।

माननीय सभापित महोदय, जो लघु वानोपज है, उनके जो उत्पाद होते हैं, उसके प्रसंस्करण और उनकी गुणवत्ता एवं मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य से जो हाट-बाजार क्षेत्र हैं, वहां पर भंडारण, सहभंडारण केन्द्र, गोदाम का जो निर्माण होना है, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपये का अनुपूरक प्रावधान इस बजट में किया गया है।

माननीय सभापित महोदय, उसी तरह बांस पहले वन श्रेणी में आते थे। अब वन श्रेणी से हटाकर के उसको कृषि उत्पाद में रखा गया है। कृषि उत्पाद में रखने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश के बांस से संबंधित काम करने वाली जाति के जो लोगों के जीवन को बेहतर करे और इसीलिए बांस से संबंधित कामों को प्रोत्साहित करने के लिए उस क्षेत्र के रहवासियों के जीवकोपार्जन के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बांस विकास योजना का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही बेहतर और सुंदर योजना है। बीच-बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः यह बात आती थी कि जो बांस से संबंधित काम करने वाली जाति या समुदाय के लोग होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में बांस नहीं मिल पाती थी और बांस उनके लिए एक पारंपरिक आजीविका का एक साधन था। इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो मुख्यमंत्री बांस विकास योजना लायी है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है।

माननीय सभापित महोदय, राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या नगरीय क्षेत्र से हो, प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उन प्रतिभाओं को रेखांकित करते हुए, उन प्रतिभाओं को तराशते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने की दिशा में रायपुर में टेनिस अकादमी की स्थापना की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर और सुंदर सोच है। इसके लिए इसमें 1 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा । मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आमदी-धमतरी जिले में, आमदी एक बहुत बड़ा गांव है, जिसका आधा हिस्सा रायपुर जिले में आता था और आधा हिस्सा बालोद जिले में आता था। यह पूर्व में दुर्ग जिले में हुआ करता था। एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव में आपने महाविद्यालय प्रारंभ

करने का जो निर्णय लिया है, यह एक बहुत ही बेहतर निर्णय है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में न केवल सुरक्षा की दृष्टि से, बल्कि एक बेहतर वातावरण और बेहतर राज्य स्थापित करने की दिशा में भी पुलिस विभाग अपनी अहम भूमिका रही है।....

जारी ... श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\d11\01.35-01.40

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, और इसलिए जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापित महोदय, आदरणीय आप बोल क्या रहे हैं, मालूम है ? कि पूरे प्रदेश में ये जो पुलिस परिवार के लोग आन्दोलित हैं और माननीय गृहमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उनको बहुत हतोत्साहित करने वाला है और कोई मिस्टर यादव को अंदर कर दिये है, आप उनसे जेल में मिलने गये है, क्या -क्या बात हुई ?

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे:- माननीय सभापति महोदय, आप तो हाथी से ही आतंकित हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के थाना-चौकियों को ...।

श्री अमरजीत भगत : माननीय सभापति महोदय, आप जेल में गये थे। उनसे क्या-क्या बात हुई?

सभापति महोदय :- आप बैठिए। आप अपने उद्बोधन में बोलिए, आपको बोलना है। आप उस समय बोलिएगा, वे जवाब देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं। पुलिस परिवार आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, आन्दोलित है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग पहली दफा देखे हैं।

सभापति महोदय :- आप माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आपको तो बाद में बोलना है आप उस समय बोल लीजिएगा।

श्री कवासी लखमा:- माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष को ये कहना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। आप लोगों को देने वाले हैं करने वाले हैं।

सभापति महोदय :- आपको भी बोलना है। आप बैठिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पहले अंदर करवाते हैं फिर मिलने जाते हैं । फिर टर्न डिक्टेट करते हैं ये कौन सा भल मनसाहत का काम है। पुलिस ने कोई आन्दोलन नहीं किया। पुलिस के परिवार के लोगों ने आन्दोलन किया।

श्री रामसेवक पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जेल विभाग भी है। मैं निरीक्षण करने गया था। मैं उनसे भेंट करने नहीं गया था, जो आपने संकेत किया है।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, अमरजीत जी अपनी वरिष्ठता का बड़ा बेहतर परिचय सदन में देते हैं। काबिले तारीफ है, आपका परिचय देना।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, में तो शुरू से ऐसा ही हूँ।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- जब अपनी बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं सकते हो। यही आपका परिचय है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या है कि जो बदला, वह बदल ही गया।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापित महोदय, अधोसरंचना, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उन क्षेत्रों के थाना और चौकी की सुरक्षा और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया और इसी तरह महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध जो होने वाले अपराध हैं और उनको नियंत्रित करने के लिए एक फोरेंसिक लैब व ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जायेगी और इसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार, डॉ. रमन सिंह जी और गृह मंत्री पैकरा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इसके लिए 2 करोड़, 30 लाख रूपये का अनुपूरक बजट इसमें किया गया है। यह अपने आप में एक बेहतर ट्रेनिंग सेन्टर है जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी इसको अति वरिष्ठ लोग, बुद्धजीवि लोग महसूस कर रहे थे। आपने इसको रेखांकित, चिन्हांकित करते हुए फोरेंसिक लैब और ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना करने का जो निर्णय लिया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय :- सांवला राम जी पूरे अनुपूरक पर आप ही बोल देंगे तो बाकी सदस्य क्या बोलेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, इतने दिन में तो बोले नहीं, अब बोलने से क्या फायदा ? अब तो चला चली की बेला है।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे:- माननीय सभापति महोदय, जो प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास और उसके प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए वर्ष 2018-2019 में 230 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी कार्य हेतु...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय डहरे जी,टिकट कटने वालों की सूची में आपका भी नाम है क्या ? तो करने से क्या फायदा ? बताईये।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे:- माननीय सभापति महोदय, 30 करोड़, 64 लाख का अनुपूरक मांग में प्रावधान किया गया है और यह अपने आप में बहुत बेहतर है।

माननीय सभापित महोदय, इसी तरह राज्य के जो 12 जेलें हैं उन 12 जेलों में ई-गर्वनेंस लागू करने हेतु ई-प्रिजन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत चीज है। और इसके लिए 1 करोड़, 20 लाख का अनुपूरक प्रावधान इस बजट में किया गया है और इसी तरह मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा।

माननीय सभापित महोदय, लोक निर्माण विभाग ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल, माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से पूरे प्रदेश में सड़कों का एक जाल बिछ गया है। जहां भी जाये, गांव, खेड़े, मजरे-टोले सारे क्षेत्रों को ...।

श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\d12\01.40-01.45

श्री अमरजीत भगत :- कभी विधायक कालोनी आया करो और वहां की सड़क देखा करो, ये ऊर्जावान मंत्री पूरा दम लगा दिये, लेकिन उस सड़क को नहीं बना पाये। आज राजधानी आने वाली लगभग सभी सड़कें खराब हैं।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति सड़कों से गावों को जोड़ना, ये अपने आप में बहुत ही बेहतर और पवित्र कार्य है। श्री अमरजीत भगत :- रायपुर, सरगुजा, जशपुर, सीतापुर सब जगह की रोड़ खराब हैं।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- यह अमरजीत जी बार-बार बोल रहे हैं, आपके गांव को नहीं जोड़ा जाता तो आप यहां तक नहीं पहुंचते। अभी आप धन्यवाद दीजिए कि आपके गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया जिसका आपने कितनी सड़कों का लोकार्पण और भूमिपूजन का काम किया है।

डॉ. खिलावन साहू :- अमरजीत जी, अभी तो आप माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे कि बह्त सुन्दर सड़क बनवाये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- वहीं तो पूरे प्रदेश की आपको जानकारी नहीं है। सड़क इतनी खराब है, माननीय मंत्री जी, केवल रायपुर का विकास करने से पूरे प्रदेश का विकास नहीं होगा। आपको हम लोगों की कालोनी का कितनी बार बोलते हो गया, विधायक कालोनी की सड़क क्यों नहीं बन रही है?

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापित महोदय, पूरा प्रदेश जानता है कि विकास कितना हुआ है, केवल आपके कहने से नहीं होगा। सच बोल नहीं सकते, यही तो आपमें और हममें अंतर है। हम सच बोल नहीं सकते और असत्य स्न नहीं सकते, आप सच को कभी नहीं बोल पायेंगे।

माननीय सभापित महोदय, आर.आर.पी. फेस-2 के अंतर्गत 44 सड़क निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। इसी तरह आर.आर.पी. फेस-2 अंतर्गत 9 पुल के निर्माण का काम भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं तो पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि दिल खोल करके और पूरी तन्मयता के साथ इस बजट को पास करें।

सभापति महोदय :- चलिये आप समाप्त करिये।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापित महोदय, दो मिनट लूंगा। माननीय सभापित महोदय, 6 तहसीलों का निर्माण इस बजट में राजस्व डिपार्टमेण्ट ने लिया है, राजनांदगांव जिले में गंडई, बलौदाबाजार जिले में लवण एवं भटगांव, जिला कोरिया में चिरमिरी, जिला कबीरधाम में रेंगाखारकला, जिला जांजगीर-चांपा में शिवरीनारायण 6 नवीन तहसीलों की स्थापना हुई है, मैं तो प्रदेश सरकार और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देता हूं। उन क्षेत्रों में खुशियों की क्या लहर होगी जिन क्षेत्रों में तहसीलों का निर्माण हो रहा हो। कितने वर्षों तक आस लगाये बैठे थे कि तहसीलों का निर्माण हो, लेकिन आपने 6 तहसीलों का निर्माण करके उस क्षेत्र की जनता के लिए एक बेहतर काम किया है।

श्री अमरजीत भगत :- 6 तहसील का निर्माण करके क्या तीर मार लिये, वहां पहले से तहसील चल रही थी ? श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- इसके साथ-साथ रायपुर और कोरबा में 100 बिस्तर का चिकित्सालय।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप यह भी बता दीजिए कि जाति प्रमाण पत्र कितने दिन बाद बन पा रहा है, लोग तहसील का चककर काटते-काटते थक जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की हालत यह है।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति जी, 100 बिस्तर युक्त चिकित्सालय के सृजन के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर सिम्स के चिकित्सकीय उपकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। यह अपने आप में बहुत बेहतर है। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन ऐसे अनुपूरक बजट को एक ध्वनिमत से पास करे। जैसे कि मेरी अपनी तासीर है बात का प्रारंभ भी दो कविता से करता हूं और अंत भी दो लाईन से करता हूं और इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा।

हजारों मंजिलें होंगी, हजारो कारवां होंगे

निगाहें त्मको ढूंढेगी, न जाने त्म कहां होंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ में आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बह्त-बह्त धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- कल न जाने तुम कहां रहोगे, हम तो यहीं रहेंगे और निगाहें तुमको ढूंढेगी और तुम दिखोगे नहीं।

श्री बृहस्पत सिंह :- यहीं नहीं रहेंगे, वहां रहेंगे, आप कहां जाओगे, यह आप तय कर लो, हम लोग तो उधर दिखेंगे।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा।

श्री अरविन्द

अरविंद्र\04-07-2018\d13\01.45-01.50

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- सभापित महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापित जी, पहले के बजट का पैसा जनता के पास नहीं गया है, कुछ काम नहीं हुआ है आखिरी में दो माह बचा है तो इस अनुपूरक को लाने की क्या जरूरत है ? यह दारू बेचने के काम के लिए तो नहीं है? इसलिए हम लोगों को शक है कि अगर हम लोग सरकार में आयेंगे तो और बचे हुए पैसे को हम लोग जनता के बीच में खर्च करेंगे इसलिए इसको रखे रहने से अच्छा है, खर्च हो जाए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- दादी, इस बजट में जो आया है न, अगर क्षमता है तो उसको आप डंके की चोट में विरोध कर दो। इसमें शिक्षाकर्मियों के संविलियन का है, इसमें स्वास्थ्य वाला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- श्याम बिहारी जी, आपको हाथियों ने दौड़ाया है फिर भी आप चेते नहीं हो। उसको सरकार कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है, उनके नाम से करोड़ो रूपया जा रहा है।

श्री कवासी लखमा :- थोड़ा आपके बारे में बता देता हूँ। कल-परसों शिक्षाकर्मी हड़ताल पर बैठने वाले हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र घेरने आ रहे हैं। उसको रोकोगे ?

सभापित महोदय, अनुपूरक बजट के पैसे का, जनता के पैसे को बरबाद करने का काम है। ये दो महीने में कुछ होने वाला नहीं है। सभापित जी, आप तो 15 साल से एम0एल0ए0 हैं मैं तो 20 साल का एम0एल0ए0 हूँ। लेकिन इस छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को क्या हो गया ? कल रायपुर की सड़कों में व्यापारी, बाजार करने वाले लोग जा नहीं पा रहे थे। चारों तरफ आपातकाल लगे टाईप का पूरा बेरिकेट लगा हुआ था। वह चाहे बूढ़ा तालाब हो, चाहे ईदगाह मैदान हो, चाहे मण्डी हो, पूरे शहर में आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है। ये रमन सिंह को क्या हो गया है ? इस सरकार को क्या हो गया है ? आजाद भारत में देश की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मी, उनकी पिल, उनके बाल-बच्चें सड़क में आ गए हैं तो बजट देने का क्या मतलब ? पैसे का जनता के लिए उपयोग नहीं होगा, किसान के लिए उपयोग नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी-बड़ी बात करती थी, चुनाव के समय वर्ष 2018 में 2100 रूपया धान का समर्थन मूल्य देंगे तो वह दिया क्या ? तो फिर बजट क्यों देना ? यह छत्तीसगढ़ नक्सलाईट क्षेत्र है, उनके बच्चें सुरक्षित नहीं हैं, उनको ठीक से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसलिए बजट क्यों देना है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

सभापित महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि बस्तर हो या सरगुजा हो, हमारे खासकर बस्तर में नक्सलाईट चरम पर हैं। ये बड़ी-बड़ी बात करते हैं, फर्जी नक्सलाईट के नाम पर आदिवासी को मारना, कल दोरनापाल में एक ठेकेदार को घर से बुलाकर मारे हैं। आज बस्तर सुरक्षित नहीं है तो ये पैसा देने का क्या मतलब है ? सभापित जी, सुरक्षा वाले आदमी को पेट में खाने को नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, इसलिए हिन्दुस्तान में यह पहला राज्य होना चाहिए, जहां पुलिस के परिवार के लोग हैं, उनको मजबूरी में धरना करना पड़ा। ये लोग जगह-जगह रूककर देखे। उन्हीं के पित उन्हीं की पित्न को पकड़-पकड़कर ले गए। बस उतारकर ले गए, लेकिन वे लोग माने नहीं है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कोई भी कर्मचारी, पुलिस से लेकर, कोटवार से लेकर, चपरासी से लेकर, शिक्षाकर्मी से लेकर बैंक में काम करने वाले हों, चाहे असंगठित् क्षेत्र में काम करने वाले हो, आंदोलन के बिना बात नहीं हो रहा है। क्योंकि यह सरकार खाली झूठ बोलते गया है। किसान को झूठ बोले, शिक्षाकर्मियों को झूठ बोले,

मजद्रों को झूठ बोले, पुलिस को झूठ बोले, आप किसको-किसको झूठ बोलेंगे। इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है। राजधानी में कोई स्रक्षा नहीं है।जरी श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\d14\01.50-01.55

जारी....श्री कवासी लखमा

इस देश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है । राजधानी में कोई आदमी स्रक्षित नहीं है । कभी सी.डी. कांड में रातों-रात प्लिस दिल्ली चली जाती है, यहां रायप्र में, बस्तर में, रोज मर्डर हो रहे हैं, उसको ढूंढ नहीं रहे हैं ? रोज हत्यायें हो रही है, उसको ढूंढ नहीं रहे हैं ? यहां पत्रकार सुरक्षित नहीं है ? हिन्दुस्तान में यह पहला प्रदेश है, राहुल शर्मा जैसा एस.पी. आत्महत्या कर लेता है, क्यों करता है ?प्लिस कर्मी क्यों हड़ताल करता है ? इस प्रदेश में रमन सिंह के चेहरे से विश्वास उठ गया है, बोलता क्छ है और करता क्छ है । इस कानून को खत्म करने वाले राज्य की हम यहां बात कर रहे हैं । चाहे नेता हो या मुख्यमंत्री हो, आम आदमी हो, पुलिस हमें सुरक्षा देती है, लेकिन पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश का क्या होगा ? इस बजट के माध्यम से मैं यह चाहता हूँ कि बस्तर में प्लिस कर्मी यदि नौकरी कर रहा है तो उनको बस्तर भत्ता मिलना चाहिये । तत्कालीन म्ख्यमंत्री अर्ज्न सिंह जी ने बस्तर में नौकरी करने वाले प्लिस कर्मी को बस्तर भत्ता दिया था, लेकिन 15 साल में इस रमन सरकार ने बस्तर में निक्स्लयों से लड़ने वाले पुलिस को एक रूपया का चार आने भी नहीं बढ़ायें है। सी.एम. हाऊस में नौकरी वाले पुलिस वाले को 50 रूपया का भत्ता मिलता है । क्यों मिलता है ? म्ख्यमंत्री के साथ जो हेलिकाफटर में घूमते हैं, उनको तो जंगल जाना नहीं है । बस्तर जायेंगे तो हेलिकाफटर में जायेंगे, उनको भत्ता मिल रहा है । लेकिन हमारे पास जो स्रक्षा के लोग हैं, अनेक लोगों के पास सुरक्षा के आदमी है, जंगल में रहने वालों को क्यों नहीं देते ? इसलिए इनको बजट क्यों देना चाहिये ? माननीय सभापति जी, किसानों की आपने बड़ी-बड़ी बातें की । हिन्द्स्तान में पहला म्ख्यमंत्री होगा, (X X)¹¹ उस समय से तेंदूपत्ता तोड़ते हैं । तेंदूपत्ता के बोनस के लिए करोड़ों रूपये खर्च किये, यह कौन सा काम है ?

सभापति महोदय :- इसको विलोपित करवा दीजिए ।

🔫 श्री कवासी लखमा :- क्यों विलोपित करेंगे सभापति महोदय ?

श्री वृहस्पत सिंह :- उसमें कौन सा आपित्तिजनक शब्द है ? आपित्तिजनक कौन सा शब्द आ गया ? तेंद्रपत्ता संग्रहण का कार्य देश की आजादी से पहले हो रहा है ।

^{11 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सभापति महोदय :- हमारे यहां परम्परा है । कम से कम सम्माननीय शब्द का उपयोग करना चाहिये ।

श्री वृहस्पत सिंह :- आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है ना ?

सभापति महोदय :- विलोपित कर दो ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, हमारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था । हमारे दादा के जमाने से तेंद्रपत्ता तोड़ रहे हैं । उनका मजाक उड़ाने के लिए त्यौहार क्यों मनाया ? त्यौहार मनाने के लिए कौन बोला ? बस्तर में अभी बिजली नहीं है, मेरा बाप, मेरा दादा, आपके दादा भी पैदा नहीं ह्ये थे, दिल्ली में तब बिजली था, मुंबई में बिजली था, रायप्र में बिजली था । बस्तर में मजाक करने के लिए बिजली त्यौहार ? वहां पर बड़े-बड़े डोम बनते हैं, वही पैसा गरीब लोगों को देते ? गरीब के विकास में डालते ? वहां बिजली लगा देते ? डोम बनाते हैं, विकास यात्रा निकालते हैं, हिन्द्स्तान में पहली बार विकास यात्रा निकाले हैं । विकास यात्रा के लिए टेंट लगाने वाला जो जगदलपुर का व्यापारी है, हमारे दंतेवाड़ा में भी तो है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, क्या वह दिल्ली के आर.एस.एस. का डोम है ? विकास यात्रा के डोम में कितना खर्च हुआ है उसे इस विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिये। हम लोग भी तो धर्मशाला में हड़ताल करते हैं, टेंट लगाते हैं, डोम लगाने का इतना पैसा लगता है क्या? उसमें ए.सी. का अलग लगता है । हेलिकाफटर से स्कमा जायेंगे ? माननीय सभापति महोदय, इस देश में तीन लोगों को हेलिकाफटर से जाने का अधिकार है । माननीय सभापति महोदय, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस देश के तीन लोगों का प्रोटोकाल है, देश में प्रधानमंत्री को प्रोटोकाल हवाई जहाज में घूमने का है, प्रदेश में मुख्यमंत्री को है और जिला में कलेक्टर को हेलिकाफटर में घूमने का प्रोटोकाल है । तीन लोगों को पॉवर है । कलेक्टर के पास लॉ एण्ड आर्डर का अधिकार होता है, एस.पी. के पास बंदूक रहता है, लेकिन ला एण्ड आर्डर का अधिकार कलेक्टर के पास होता है । जिला में उनको फुल पॉवर रहता है, लेकिन इस तरह से हेलिकाफटर का उपयोग करना, जनता के पैसे का द्रूपयोग नहीं है ? स्कमा तीन हेलिकाफटर से जा रहे हैं, क्या यह जनता के पैसे का द्रूपयोग नहीं है ? एक मुख्यमंत्री को लेकर तीन हेलिकाफटर सुकमा जा रहे हैं, यह क्यों ? हमारा मुख्यमंत्री एक हेलिकाफटर में जाये, हमको अच्छा लगता है,लेकिन तीन-तीन हेलिकाफटर । हेलिकाफटर में आने के लिए थोड़ी-थोड़ी दूर में बस चलता रहा । उसमें बाथरूम अलग, सोने का अलग, जनता के पैसों का क्यों द्रूपयोग कर रहे हो भाई ? मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस पैसे को राजीव गांधी जी ने जो इस देश का पहला प्रधानमंत्री था श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\d15\02.20-02.25

जारी........शी कवासी लखमा :- उसमें भी बाथरूम अलग, सोने का अलग आखिर जनता का पैसा क्यों दुरूपयोग करना है ? उस पैसे को श्री राजीव गांधी जी ने जो इस देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी और पी.वी. नरिसम्हा राव ने लोकसभा में, इस सदन में पास किया था कि एक एम.एल.ए. चुनाव होता है, एक सांसद का चुनाव होता है और सांसद दिल्ली जाता है । एम.एल.ए. रायपुर में या भोपाल में रहता है लेकिन गांव में कोई देखने वाला नहीं होगा इसिलये त्रिस्तरीय पंचायती राज का कानून लागू किया है । पंचायत के पैसे में मुख्यमंत्री को चेक काटने का पावर नहीं है, मंत्री को पावर नहीं है, कलेक्टर को पावर नहीं है । पंचायती राज के माध्यम से एक चुने हुए सरपंच को चेक काटने का पावर है लेकिन पीने का पानी, सड़क, सीसी रोड, बोरिंग उनको अधिकार दिया हुआ है तेरहवें वित्त आयोग का पैसा, उस पैसा का विकास यात्रा में काफी दुरूपयोग किया गया है । सचिव को बोलते हैं अगर इसमें इतने लोग नहीं लाओगे, अगर कुकरा नहीं काटोगे, बकरा नहीं काटोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे पहली बार इस तरह से देश के कानून की धिज्जियां उड़ाई गयी है ।

माननीय सभापति महोदय, इस कानून में कोटवार, सरपंच से लेकर सचिव तक, पटवारी तक प्लिस, प्लिस भी झंडे बांध रहा था मैं रात को देख रहा था। हमारी विकास यात्रा में यह झंडे बांधने का काम क्या प्लिस करेगी ? त्म्हारा कार्यकर्ता गांव में जायेगा तो मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष उनको तो गांव में घ्सने नहीं दे रहे थे, बोनस नहीं दिये, राहत कार्य का कोई पैसा नहीं दिये । हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सभी पार्टी में कार्यकर्ता रहते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष लेकिन आपके इसमें ऐसा है कि बह्त भीड़ होनी चाहिए । आप लोग विकास यात्रा में कलेक्टर को एजेंट बना दिये । जगदलप्र में भीड़ नहीं आयी, यहां हमारे दोनों प्रभारी मंत्री बैठे हैं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय और लोकनिर्माण मंत्री जी हैं । बस्तर में आकर रात भर सोना नहीं है कलेक्टर को धमकाना, एसपी को धमकाना, पटवारी को धमकाना है कि इतनी भीड़ लाओ नहीं तो तुम्हारी अदला-बदली होगी, तुम्हारा सस्पेंड होगा या ट्रांसफर होगा, कितना डरा रहे हैं, यह पूरा बस्तर के लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि यह विकास यात्रा नहीं है, विनाश यात्रा है । जनता के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है । गांव में सरपंच को जो विकास करना था, उसको दारू पिलाने में लगा दिये, बकरा काटने में लगा दिये, भीड़ लाने में लगा दिये क्या इसीलिये पैसा देना है? हम लोग प्रश्न लगाये थे वह अग्राह्य हुआ है, पूरे विकास यात्रा का पैसा, जनता के पैसे का कितना दुरूपयोग हुआ है ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है । ये कानून के राज को खत्म किये हैं । यहां आदिवासी लोग स्रक्षित नहीं हैं । आप क्यों एक आदिवासी का बिल लाये थे ? हम लोग विधानसभा में चिल्ला-चिल्लाकर बोले । राष्ट्रपिता महातमा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चूंकि कौन सा आदमी कमजोर रहता है, एस.टी., एस.सी. उनके लिये कानून लागू ह्आ है उस कानून को भी तोड़ने का काम, आदिवासियों की जमीन को उद्योगपितयों को देने काम छत्तीसगढ़ की सरकार

ने किया है इसके लिये हम आदिवासी लोग इनको माफ नहीं करेंगे । आज भी हमारे गले में रस्सी लटकी है, आखिर उस कानून को क्यों लाया ? एनएमडीसी का जो नगरनार में स्टील प्लांट खोला है उसे केवल उद्योगपितयों को देने के लिये खोला था । आज चाहे सर्वसमाज हो, कांग्रेस पार्टी हो लगातार सड़क से लेकर विकास यात्रा तक विरोध किया है तब उस कानून को वापिस लिया है आज हमारे आदिवासी लोग इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं । पत्थलगढ़ी की हमारे आदिवासियों की परम्परा है । हम लोग सीमा बांधते हैं यह फलाना गांव, यह फलाना गांव यहां कोई गाय नहीं चरायेगा, इधर कोई नहीं जायेगा, जो कुछ भी नहीं किये थे उनको जेल भेजा गया, यह कौन सा कानून है ? क्या आपातकाल लगा हुआ है ? माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इस साल तेंदूपत्ता

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- दादी, आराम से बोलों न, जोश में क्यों आ रहे हो ? श्री कवासी लखमा :- अब आप आ गये हैं तो मैं आराम से बोलूंगा । सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

.....शी यादव

यादव\04-07-2018\d16\2.00-2.05

समय :

2:00 बजे

.....(जारी श्री कवासी लखमा) :- इस साल तेंदूपत्ता समिति में तेंदूपत्ता नहीं टूटा है । जैसे धान पानी में सड़ जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है । सूखा होता है तो सूखा राहत का मुआवजा

मिलता है । तेंदूपत्ता हमारी वनोपज है, यदि यह आदिवासी हितैषी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री आदिवासियों की बात करते हैं ...।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, परसों अविश्वास प्रस्ताव है, उसके लिए गला ठीक करके रखो । अभी बस्तर, कोंटा का बोल रहे हो तो उस दिन फिर क्या बोलोगे ? अभी मैं और मूणत जी एक साथ जांगला गए थे । पूरा पूछकर आए हैं कि दादी का क्या हाल है । पूरा जनताना सरकार वाले बताए... (ट्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, मेरे पास 24 घंटे बोलने के लायक मटेरियल है।

श्री धनेंद्र साह् :- आज यह तो ट्रेलर है, उस दिन पूरा देखना ।

श्री अजय चंद्राकर :- उस दिन आपको महेश गागड़ा जी आपको पूरा ठीक कर देंगे । आप चिंता मत करो । आपके लिए महेश गागड़ा जी की ड्यूटी लगी है ।

श्री कवासी लखमा :- आपकी ड्यूटी हमारे साथ हो तो अच्छा रहेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापित महोदय, वैसे भी यह सही बात कह रहे हैं कि बोलने के लायक नहीं रहे मतलब विमल चोपड़ा जी के साथ तो कर दिये । अब इनको साथ भी करना है ?

श्री कवासी लखमा :- ऐसा मेरे साथ मत करो भाई । ऐसा सब मत करना । माननीय सभापित जी, हमारे यहां पर इंद्रावती बहुत बड़ी नदी है । बस्तर में इंद्रावती पर जोरा नाला के लिए 15 साल से रमन सिंह जी की सरकार आने के बाद प्रयास कर रहे हैं । अभी यह सरकार जाने वाली है उसके बाद भी जोरा नाला पर एक पत्थर लगाने के लिए पानी का बटवारा हो रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं । यह ऐसी सरकार है । हमारे बस्तर के साथ अन्याय कैसे कर रहे हैं ? इस सरकार ने विमल चोपड़ा जी को तो मारा है, लेकिन हमारे बस्तर में बीजेपी के आदमी लोग सुरक्षित नहीं हैं । हमारा परिवहन संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवहन संघ है, वह परिवहन संघ आज बंद है । वहां गाड़ी, घोड़ा वाले, परिवहन संघ में जीने वाले लोग कैसे जी रहे हैं ?

श्री दीपक बैज :- दादी, मंत्री जी सुन रहे हैं ।

सभापति महोदय :- दीपक जी, बोलने वालों की सूची में आपका भी नाम है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, परिवहन संघ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । साल भर तीन महीने हो रहे हैं...।

सभापति महोदय :- माननीय, अनुपूरक मांगों की बजट चर्चा के लिए तीन घंटे का समय

निर्धारित है । लगभग सवा घंटे हो चुके हैं और 18 सदस्यों को और बोलना है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समाप्त कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री कवासी लखमा :- आपके आदेश का पालन होगा तो एक दिन और बढ़ा देंगे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप वहां पर बड़े सुशोभित रहते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- शर्मा जी, आप वहीं अच्छे लगते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- बस्तर परिवहन संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवहन संघ है । एक साल तीन महीने हुए हैं, वह ठप्प पड़ा हुआ है । भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो वहां बड़े बड़े ठाकुर लोग हैं, वह सदन के आदमी नहीं है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, वह फरारी काट रहा है । उसके बाल बच्चे का क्या होगा ? आज वे हड़ताल में बैठे हैं । परिवहन मंत्री को मालूम है या नहीं ? महीनों, दिन हो गए परिवहन संघ के लोग हड़ताल पर बैठे हैं । वह ट्रक बेच रहे हैं, कुली, हम्माली, ड्रायवरी का काम करने वाले लोग वहां पर बेरोजगार हो गए हैं । मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री को निवेदन करूंगा कि वह परिवहन संघ का जल्दी से जल्दी ताला खोल दें तािक बस्तर का विकास हो, बस्तर के लोगों के हित की बात हो । सभापित महोदय, बस्तर में रात को जाएंगे तो आदिवासी लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है । सड़क में घूमेंगे, मुर्गा बाजार जाने वाले, शादी, मेला जाने वाले को पुलिस मारेगी । थोड़ा बहुत पैसा वाला है, नेता है तो उसको नक्सलाईट मारता है । यह बस्तर कैसा हो गया है ? बड़ी बड़ी बात करना कि इतने लोग समर्थन कर रहे हैं, इतने लोग नक्सलवाद को छोड़ रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत बात है । आज सिद्ध हुआ है कि बीजेपी की सरकार ने पूरा आंतक मचा रखा है, दबाने का काम कर रही है । पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं । रायपुर सुरक्षित नहीं है ।

माननीय सभापति जी, दूसरी बात आरएसएस की रिपोर्ट भी आई है कि 40 से 50 लोग हारने वाले हैं । हम लोग आने वाली सरकार में मत करें ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो, ऐसा सोचते हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय लखमा दादा, 45 सिटिंग एमएलए हारने वाले हैं ।

श्री कवासी लखमा :- उसमें मंत्री हैं ? उसमें राजेश मूणत जी का नंबर है या नहीं? यह सी डी कांड़ में इनका भी टिकट काटने वाले हैं, फिर क्या होगा ?....(जारी)

श्री मिश्रा

श्री मोहन मरकाम :- उसमें मंत्री भी हैं।

श्री कवासी लखमा :- उसमें राजेश मूणत का नंबर है या नहीं है? सी.डी. कांड में इनका भी टिकट काटने वाले हैं, तो क्या होगा फिर? मैं शिक्षाकर्मी की हड़ताल में गया था, कर्मचारियों की हड़ताल में गया था, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ और हमारा नियमितीकरण करो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है कि वह कभी जूता की बात करते हैं, कभी साड़ी की बात करते हैं और अभी वह मोबाईल की बात कर रहे हैं। मोबाईल देने से किसी का पेट भरता है क्या? अगर आदिवासी, गरीब लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार होगी तो उनको नौकरी देनी चाहिए। उनको चपराशी, गुरूजी बनाये, गुरूजी लोगों को अच्छी तनख्वाह दे। मोबाईल देकर क्या करेंगे? सब लोग मोबाईल का विरोध कर रहे हैं। आज 1 करोड़ और 100 करोड़ रूपये का नहीं बल्कि 1200 करोड़ रूपये का मोबाईल क्यों बांटेंगे? इसलिए यह बजट जो मोबाईल वाला बजट है।

श्री बृहस्पत सिंह :- दादी, अब क्या मोबाईल वाले बाबा बनेंगे?

श्री कवासी लखमा :- कभी दारू वाले बाबा हो गये, कभी चावल वाले बाबा हो गये और अभी मोबाईल वाले बाबा होंगे। इस द्निया में आदमी यदि एम.एल.ए. च्नाव लड़ेगा, कोई निर्दलीय च्नाव लड़ता है तो वह बोलता है कि हम बिजली लगा देंगे, तुम्हारे बेटा की नौकरी लगा देंगे, तुम्हारे यहां सिंचाई का डेम बना देंगे, त्म्हारे यहां सड़क बना देंगे, कोई तो यह नहीं बोला कि हम जीतेंगे तो मोबाईल बांट देंगे। ये उल्टा काम क्यों करते हैं? इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिरी-आखिरी में यह बोलना चाहते हैं कि वह मोबाईल बांटना बंद करें, जो नौकरी वाले हड़ताल में बैठे हैं उनके प्रति सहानुभूति बताये। आऊटसोर्सिंग में हम लोग चिल्ला-चिल्लाकर बोले कि आऊटसोर्सिंग से भर्ती मत करो। हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको लगाओ लेकिन आऊटसोर्सिंग में दूसरी तरह से विद्या मितान की भर्ती किए। विद्या मितान से क्या हुआ? हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के पैसे का बजट, आम आदमी के गाढ़ी कमाई का पैसा, किसान-मजदूर के पैसे से उनको 28 हजार रूपये के हिसाब से देने के लिए ठेकेदार/कंपनी को पैसे दिये हैं और उस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है और उन विद्या मितानों को 13 हजार, 15 हजार रूपये मिल रहा है और आधा पैसा कौन-कौन बांटकर खा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आर.एस.एस. के नागपुर में पैसा जा रहा है या (XX)¹² के पास यह पैसा जा रहा है या डॉ. रमन सिंह के पास जा रहा है? इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए, आपने बार-बार टोंकने का कार्य किया और बोलने का समय दिया इसके लिए बधाई देते ह्ए और इस बजट का विरोध करते ह्ए कि इस बजट का पैसा बर्बाद न हो, आने वाले दो महीने के बाद

^{12 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस पैसे का सही उपयोग होगा, पैसा जनता के पास जायेगा, किसान के पास जायेगा, धान बेचने वाले के पास जायेगा, कुली के पास जायेगा, गोदी खोदने वाले के पास जायेगा। बस्तर में पहली बार गोदी खोदने वाले को पैसा नहीं मिल रहा है, लोग हिन्दुस्तान से पलायन कर रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों में बर्तन मांज रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है। इस सरकार को बस्तर के आदिवासी को भगाने का अधिकार नहीं है इसलिए वह इस पैसे का दुरूपयोग मत करे। यह पैसा हमारे पास रहे हम सही उपयोग करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

सभापति महोदय :- (XX)13 का नाम विलोपित कर दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोद्रया

श्री कवासी लखमा :- ये बिहारी, आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। थोड़ा ठीकठाक बोलो, मंत्री बनने का समय खत्म हो गया। अभी वहां से पटेल जी को टिकट मिलेगा। तुमसे पहले वही मोटेवाले थे, वह कल बोलते हुए घूम रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने इस देश का बंटवारा किया ताकि थोड़ा बहुत वोट मिले इसलिए उल्टापुल्टा बोल रहे थे। उन्हीं को टिकट मिलने वाला है, आपको नहीं मिलेगा।

श्री दीपक बैज :- क्या है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी ठीकठाक नहीं बोल रहे थे ना, वहां हाथी दौड़ रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल:- माननीय सभापित महोदय, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 67, 71, 76, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त कुल मिलाकर चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रूपये की अनुपूरक राशि का मैं समर्थन करता हूं।

श्री कवासी लखमा :- समर्थन करके छोंड़ देना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल:- माननीय सभापित महोदय, अभी मैं विपक्ष के साथियों की मैं बात सुन रहा था। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के 15 सालों के कार्यकाल में जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे विपक्ष के हमारी साथी घबराकर हमारे लोकहित में किए जा रहे कार्यों को भी जनविरोधी बता रहे हैं। अभी तक उधर से दो वक्ताओं ने बात की लेकिन ..

श्री कुरैशी

^{13 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

कुरैशी\04-07-2018\d18\02.10-02.15

जारी......शी श्यामबिहारी जायसवाल :-

लेकिन किसी ने भी इस अनुपूरक के बारे में बातचीत नहीं की । सभापित महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि इस अनुपूरक में एक भी ऐसा विषय नहीं है जिसका ये विरोध कर सकें । ये अभी मोबाइल की बात कर रहे थे । सूचना क्रांति योजना, स्काई योजना, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय और जनकल्याणकारी योजना होगी । इनको भय है कि कहीं मोबाइल के माध्यम से, जनता में जागरूकता न आ जाए।

श्री कवासी लखमा :- बिहारी बाबू, यह भय तुम्हारी पार्टी में है, हमारी पार्टी में नहीं है भाई । हम हारें या जीतें, हमारी टिकिट पक्की है । तुम लोगों को तो टिकिट मिलती ही नहीं है, कट जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारी पार्टी बोलते हो तो आपकी पार्टी कौन सी है ?

श्री कवासी लखमा :- हमारी पार्टी देखो किनारे बैठी है (नेता प्रतिपक्ष की ओर संकेत करते हुए) हमारा राजा हम पर भरोसा करके टिकिट देगा । तुम्हारा राजा नहीं देगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हरीश कहां है ? हरीश कौन सी पार्टी में है ?

श्री कवासी लखमा :- कांग्रेस में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कब आया ?

श्री कवासी लखमा :- आया, लेकिन हमको पता नहीं है ।

सभापति महोदय :- लखमा जी, 20 मिनट बोल चुके अब श्याम बिहारी जी को बोलने दीजिए ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय सभापित महोदय, ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहां स्कूल बने और शिक्षा का विकास हो । आप देखेंगे 2003 से अभी तक गांव-गांव में स्कूल खुल गए और लोग जागरूक हो गए । उसी का परिणाम है कि 15 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और उन्हें इस बात का इर है कि मोबाइल के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास, शहरों का विकास और लोगों के लिए जो योजनाएं चली हैं, उसकी जानकारी लोगों को न मिल जाए, इसलिए ये मोबाइल के नाम से खौफ खा रहे हैं । सभापित महोदय, अभी आजादी के 70 साल बाद भी मोबाइल नेटवर्क में छत्तीसगढ़ का 29 वां स्थान है । हमारे प्रदेश की सरकार कई योजनाओं में पूरे देश में अव्वल रही है । चाहे कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार हो । आज यहां की जनता मात्र 29 प्रतिशत मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करती है

। उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 1600 मोबाइल टावरों की स्थापना का लक्ष्य रखा है और उस पर काम चालू है । साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 50 लाख माताओं, बहनों को, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को, छात्र छात्राओं को, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को मोबाइल देने का संकल्प लिया है । इसमें कई योजनाएं जैसे 102, 108, महतारी एक्सप्रेस, पीडीएस की जानकारी, पुलिस की जानकारी, इनका बड़ा लाभ मिलेगा ।

श्री कवासी लखमा :- ये 608 और 708 में, चुनाव के समय दारू भी बांटते हैं क्या ? पता चला है कि पिछले चुनाव में बहुत दारू बांटे हो उसमें । (हंसी) 108 में।

सभापति महोदय :- कवासी जी, आप बार-बार खड़े न हों ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस बार हाथी में लादकर बांटना ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो कैसे होग ? इसके लिए 566 करोड़, 69 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं डॉ. रमन सिंह जी को और उनके पूरे केबिनेट को, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं । कर्मचारियों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा वर्ग शिक्षा कर्मी वर्ग है, वे हमारे प्रदेश में वर्षों से संविलियन की मांग कर रहे थे । प्रदेश में 1 लाख 51 हजार शिक्षाकर्मी भाई बहन हैं । उनका संविलियन कर प्रदेश सरकार ने उनके परिवार वालों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है । सभापित महोदय, 1 जुलाई से वे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो चुके हैं और अभी 1 लाख 3 हजार शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है ।

श्री केशव चन्द्रा :- और बाकी का, बाकी का ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- बाकी का बता रहा हूं । बाकी का जब आने वाले सालों में जब 8 साल पूरा होगा तो 10 हजार लोगों का संविलियन किया जाएगा और उसके बाद आने वाले समय में बचे हुए 38 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर दिया जाएगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप घोषणा कर रहे हैं क्या ? आपकी सरकार कर रही है या आप घोषणा कर रहे हैं ?

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी बैठिये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- घोषणा नहीं, यह बजट में है, आप लोग बजट की कॉपी पढ़ लें । इसके लिए 1 हजार 25 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । श्री कवासी लखमा :- घोषणा पत्र में 2100 रूपया लिखा था, उसका क्या हुआ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हमारे गांव में, शहरों में ऐसे तमाम लोग, ऐसे वृद्धजन, विधवा व पिरत्यक्ता बहनें, दिव्यांगजन जिनको सरकार की किसी भी योजना से पेंशन नहीं मिलता था। उनको हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री

-- श्री अग्रवाल

अग्रवाल\04-07-2018\d19\2.15-20

जारी...श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- उनको हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2011 के भारत सरकार के एस.ई.सी.सी. सूची में जिनके नाम शामिल हैं और वे पात्र हैं, उनको 1 अप्रैल से पेंशन देने की योजना प्रारंभ की गई है । इससे 4,89,000 परिवार लाभान्वित होंगे और ऐसे हितग्राहियों को बड़ा सहारा मिलेगा ।

सभापित महोदय, इस बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभी के समय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए आवास योजना चल रही है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनने वाले मकान हैं, उनकी गित और गुणवत्ता को देखकर भारत सरकार ने 3,48,960 अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य हमें दिया है। इसके लिए माननीय पंचायत मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सिक्रयता और क्षेत्र के विकास के प्रति सोच का परिणाम है कि हमको अतिरिक्त लक्ष्य मिला है। 2016-17 और 2017-18 में 4,39,275 मकानों का हमको लक्ष्य मिला था, उसके विरुद्ध में तेजी से काम करते हुए लगभग 4 लाख मकानों का निर्माण हमारी सरकार ने कर लिया है। अभी जो भारत सरकार ने अतिरिक्त लक्ष्य दिया है, उसमें राज्यांश के रूप में इसके निर्माण के लिए 1269 करोड़ रूपए का इस बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापित महोदय, स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं । हमारे प्रदेश में जगह-जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा रही है । उसको और अच्छे से जहां-जहां जनसंख्या बढ़ रही है जैसे रायपुर के गुढ़ियारी और खो-खो पारा क्षेत्र में शहरी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. का दर्जा देना, साथ ही गरियाबंद के जो सुपेबाड़ा क्षेत्र के निवासी हैं, वहां के लोग स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुझ रहे थे, उनके लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान के साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की, जो स्वास्थ्य के प्रति सबसे बड़ी योजना है-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से हर परिवार को, जिनका नाम 2011 की एस.ई.सी.सी. सूची में पात्रता है, ऐसे 40 लाख परिवारों को पांच लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है । मुझे लगता है कि विश्व के किसी भी सरकार ने आजतक इतनी बड़ी

योजना नहीं चलाई और इतनी बड़ी संख्या में उसको क्रियान्वित करने का हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को दर्शाता है, इसके लिए बजट में 305 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

माननीय सभापित महोदय, चिकित्सा शिक्षा की हम बात करें, उसको निरंतर बढ़ावा देने के लिए रायपुर तथा कोरबा में 100 बिस्तरयुक्त चिकित्सालय के सृजन हेतु इस बजट में प्रावधान है । साथ ही मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना एवं मेडिकल कॉलेज, सिम्स, बिलासपुर में चिकित्कीय उपकरणों की खरीदी हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापित महोदय, मैं राजस्व विभाग की बात करूं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साथ 6 तहसीलों के निर्माण की और इस घोषणा को इस बजट में पूरे सेट-अप के साथ देकर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है....

श्री बृहस्पत सिंह :- श्याम जी, घोषणा तो 21 सौ रूपए भी किये थे, उसका क्या हुआ ? 21 सौ रूपये घोषणा किये थे, कई साल बीत गए, उसका क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, बार-बार टोकिए मत, उनको बोलने दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- टोक नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं । घोषणा की बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आपको परसों पूरा अवसर मिलेगा । आपको जो बोलना है, वह परसों बोलना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चिरिमरी, जो तीन तहसीलों में बंटा था, वहां के लोग अपना काम-काज कराने के लिए मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर और खड़गवां आते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है और चिरिमरी में भी तहसील का शुभारंभ 1 जुलाई से हो चुका है और गंडई, लवन, भटगांव, रेंगाखार, शिवरीनारायण, इन 6 तहसीलों का हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा सौगात मिला है।

माननीय सभापित महोदय, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कि ऐसी कोई तहसील नहीं है, जहां कॉलेजों की स्थापना न हुई हो, फिर भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नगर पंचायत, आमदी, जिला धमतरी में एक नवीन कॉलेज के स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दी गई है। साथ ही हमारे प्रदेश में पुलिस विभाग की बात

करूं तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, हमारे यहां निरंतर नक्सली घटनाओं की कमी हो रही है । जैसा कि माननीय गृहमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि हमारा सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया, पूरा सरगुजा संभाग नक्सल की चपेट में था, ज्यादा दिन नहीं, 15 साल पहले हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज हमारा सरगुजा संभाग नक्सलमुक्त हो गया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, श्याम जी, मालूम है अभी एक सप्ताह पहले सामरी में कितने दिनों के लिए अपहरण हुआ था, कितने लोगों का अपहरण हुआ था ।

श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\e10\02.20-02.25

जारी...श्री बृहस्पत सिंह :- कितने लोगों का अपहरण हुआ था, यह आपकी सरकार नहीं बता पा रही है। गृहमंत्री जी से मैं वही पूछ रहा था कि किसी महीने का नाम बता दीजिए कि जिस महीने में नक्सली घटना न हुई हो।

सभापति महोदय :- अविश्वास प्रस्ताव में आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि लगातार अपहरण, आगजनी की घटना हुई और ऐसा कोई महीना नहीं गया हो, जिसमें नक्सली घटना न हुई हो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- बृहस्पत जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वे अपने घर में नहीं रहते थे। ये गाड़ी लेकर दूसरे गांव में, दूसरी जगह पर रहते थे, नक्सिलयों के डर से भागे-भागे फिरते थे। यह सत्य है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके जैसा मैं नहीं भाग रहा था। उसी गांव में रहता था।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आज आप अपने घर में सो रहे हैं, जा रहे हैं, आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- आप ज्यादा मत बोलना, एक विषय भर में बोलना बलरामपुर, रामानुजगंज जिला कब बना, किसने बनाया ?

श्री बृहस्पत सिंह :- बलरामपुर जिला हम लोगों ने कांग्रेस के समय में बनाया था। 2002 में पहले ही प्लिस जिला बना च्के थे। बाद में आप लोगों ने पोस्टर लगाया है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सब चीज आप ही लोग बनाये हैं, हम लोग कुछ नहीं बनाये हैं ? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थाना-चौकी एवं सुरक्षा कैम्पों के सुदृढ़ीकरण हेतु भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये, महिलाओं एवं बच्चों में होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए फोरेंसिक लैब और उसके सेंटर स्थापना के लिए 2 करोड, 30 लाख रुपये, साथ ही पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में प्रशासनिक सुदृढता लाने एवं आधुनिकीकरण के लिए इसमें 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों को ई-गवर्नेंस से जोड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापित महोदय, मैं हमारे लोक निर्माण विभाग की बात करूं तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है और अब नेशनल हाइवे और सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में सड़कों का निर्माण तीव्रगति से चालू है। इस बजट में भी सड़कों का जाल बिछाने के लिए 44 सड़क और 9 बड़े पुल का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बहुत कम राशि होते हुए भी समाज और क्षेत्र के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में प्रावधान हैं। स्काई योजना, शिक्षकर्मियों का संविलियन, तहसीलों का पुनर्गठन ऐसे बड़े काम इस सरकार ने किये हैं। इसमें मैं सभी अनुमान मांगों का समर्थन करते हुए चाहूंगा कि सर्वसम्मित से इसे पारित करें। माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धनेन्द्र साहू(अभनपुर) :- माननीय सभापित महोदय, आज इस अनुप्रक अनुमान की अनुदान मांग संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 67, 71, 76, 79, 80 एवं 81 इन सभी मांगों को मिलाकर लगभग चार हजार, आठ सौ सतहत्तर करोड, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रुपये की जो मांग की गई है, इस मांग का मैं विरोध करता हूं और इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापित महोदय, पिछली विधान सभा सत्र में ही लगभग 84 हजार करोड़ रुपये के आसपास मुख्य बजट पारित हुआ था और ये अभी फिर 5 हजार करोड़ रुपये का इस तरह से लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के आसपास का बजट आज पारित होने जा रहा है। माननीय सभापित महोदय, आज हम सब लोग देखते हैं, इस मांग का विरोध हम इसिलए कर रहे हैं कि आज इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बावजूद प्रदेश की जनता जहां-की-तहां खड़ी हुई है। विकास के प्रति सरकार की जो सोच है, उसको लेकर के तरस आता है। विकास की प्राथमिकता जो होनी चाहिए, वह इस सरकार में काफी अधिक कमी परिलक्षित होती है। जिस दिशा में काम होना चाहिए, आज हमारा 90 हजार करोड़ रुपये का बजट जिन कार्यों में खर्च होना चाहिए, उन कार्यों में खर्च न कर के अनावश्यक

जारी श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\e11\02.25-02.30

जारी श्री धनेन्द्र साहू: - उन कार्यों में न खर्च करके अनावश्यक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली अन्य और भी काफी जो सम्पन्न वर्ग है उन तक ये राशि का उपयोग हो रहा है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है जो हमारे समाज के सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है गरीब है, मजदूर है जो हमारे किसान हैं, जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं, सर्वहारा वर्ग तक इस राशि का फायदा पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुँच रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- भाटो साहब, आप आलोचना कर लीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सब नेता गये थे शिक्षाकर्मी लोगों के आन्दोलन में नेतागिरी करने गये थे। हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शासन ले आओ, ऐसा करके। तो आपके ही कथनानुसार वह नियमित कर्मचारी हो गए, उसका तो स्वागत कर दीजिए, क्योंकि आपने भी मांग की थी।

श्री रामदयाल उइके :- माननीय मंत्री जी, शिक्षा कर्मी लोग इतनी लाठी खाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे कल आप नहीं थे तो बात हुई थी माननीय सभापति जी ने उठाया था। जोगी जी के साथ हिसाब-किताब हो गया या नहीं हो गया ?कल सदन में विषय आया था, ये बताओ?

श्री रामदयाल उइके :- मैं था। शिक्षाकर्मी का वोट नहीं मिलने वाला है। आप ध्यान रखिए।

श्री धनेन्द्र साहू: ऐसा है खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आपने 14 सालों तक शिक्षाकर्मियों के ऊपर खूब डंडा बरसाया है और दिया है तो कितना दिया है ? उससे कोई खुश नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो कह रहा था कि जिस ...।

श्री अजय चन्द्रांकर :- उससे कोई खुश नहीं है लेकिन 15 सालों से जनता आप लोगों से खुश नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू: वह तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग किस तरह से यहां दुबारा बैठे हो। अब वह हो गया। आप लोगों ने बहुत बड़े-बड़े ब्रम्हास्त्र छोड़े हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है ऐसा कहते-कहते भांटो साहब, आप तो बहुत सीनियर हैं वर्ष 1990 से आ रहे हैं बाकी कई लोगों की जवानी निकल गई, आ रहा है, आ रहा है ऐसा करते-करते। जवानी निकल गई। वे जयसिंह जी विधान सभा में ऐसी आये थे क्या ?कुछ काम से आये थे। आप उनको विपक्ष में बैठा दिये।

श्री धनेन्द्र साह् :- जवानी निकल गई, लेकिन अभी जवानी का जोश बाकी है आप चिन्ता मत करिये।

माननीय सभापित महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि आज जिस दिशा में हमारे प्रदेश का विकास जाना चाहिए। जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस सरकार की धनराशि, राजकोष की राशि जिन गरीबों के कल्याण के लिए लगना चाहिए, उसमें कहीं कोई सोच नहीं है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसके बारे में पुन्नूलाल जी से पूछ लीजिए। श्री धनेन्द्र साहू :- वह तो आपको अकेले में और बता देंगे। (हंसी)

माननीय सभापित महोदय, अभी-अभी सोशल मीडिया में समाचार आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मात्र 200 रूपया क्विंटल धान की कीमत, समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की है मैं वहीं आना चाह रहा हूँ। आपने ही ये वादा किया था कि 2100 रूपये हम समर्थन मूल्य देंगे, एक-एक दाना धान खरीदी करेंगे। 300 रूपया क्विंटल हर साल देंगे, 5 सालों तक देंगे, आपने क्या किया। पूरे प्रदेश के किसान और पूरे प्रदेश के जनता इस बात को देख रही है। आज भी नहीं दे सके। पहले साल में 2100 रूपये समर्थन मूल्य नहीं दे सके, चिलए ठीक है पहला साल है देखा जाएगा, 5 साल बीत गये। 5 साल बीतने के बावजूद भी आपके धान की कीमत 2100 रूपये पहुंचना तो दूर की बात है माननीय पंचायत मंत्री महोदय जी अब मैं चाहूंगा कि आप इधर भी ध्यान दें।

माननीय सभापित महोदय, आज भी 1500 रूपये और 200 रूपये जोड़ दें तो 1700 रूपये क्विंटल पहुँच रहा है। 5 सालों में भी आप 2100 रूपये समर्थन मूल्य नहीं दे पायें। वे नहीं सुनेंगे। अभी वे नहीं सुनेंगे जो सच्चाई है, उसकी सुनने का साहस नहीं है। मैं आपकी ओर कुछ बोल रहा हूँ। जो आपने बोलकर सरकार बनायी कि हम 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, 5 साल बाद भी 2100 रूपये तो दूर 1700 तक नहीं पहुँच पाये। अभी 200 रूपये क्विंटल की घोषणा हुई है। ये आपकी असलियत है। जहां पैसा जाना चाहिए, वहां नहीं जा रहा है। एक-एक दाना धान खरीदेंगे, बोले उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपने मात्र 2 साल बोनस दिया। 3 साल का बोनस नहीं दिया। फ्री में बिजली देने की बात कहीं, उसके लिए पैसा नहीं है और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप भी किसान है एक चीज के कितने मूल्य हो सकते हैं माननीय मंत्री जी, कुरूद के बाजार में सोना उतने में ही बिकेगा, सोने के दाम रायपुर के बाजार में भी उतना ही है और मुम्बई के भी बाजार में उतना ही है। लेकिन हमारे किसान का जो धान है ये आपकी डबल मूल्य नीति के कारण जिस धान को 2400 रूपये क्विंटल में बिकना चाहिए था, 2100 रूपये और 300 रूपये बोनस मिलाकर, वह धान आपकी ही सरकार की मण्डी में जब सरकार सहकारी समितियों में धान खरीदी शुरू नहीं करती, तो उसी धान को किसान 1100, 1200 रूपये

जारी श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\e12\02.30-02.35

पूर्व जारी.. श्री धनेन्द्र साहू: - उसी धान को किसान 1100, 1200 रुपये क्विंटल में बेचते हैं। जब आपकी धान खरीदी शुरू नहीं रहती है, बोनस नहीं दिये रहते हैं, उसी धान को किराना दुकान में गांव का गरीब जो जरूरतमंद है, वह 8 रुपये, 10 रुपये किलो में बेचता है। यह क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- आप सही अर्थों में किसान हैं, इसको तो मैं स्वीकार कर लेता हूं।

श्री धनेन्द्र साह् :- क्या उसमें भी शक है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं बहुत लोग फर्जी किसान भी हैं। लेकिन एक बात है बोनस या अन्य विषय में जो इस सरकार ने किये हैं, आप एक चर्चा लगाईये और अनुमित लीजिए, बिल्कुल एकदम आरोप-प्रत्यारोप के बगैर उसमें आपसे बात करेंगे कि हमने किस-किस विषय में क्या-कया किसानों का लिया।

श्री धनेन्द्र साहू: - क्या किया जाना चाहिए, उसकी बात करिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस विषय में हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, आपको एक अनुभव सुना देता हूं। आपके समय में मैंने किसानी पर 139 की दो बार चर्चा लगाई, दोनों बार अस्वीकृत कर दिया।

श्री धनेन्द्र साह् :- आप कब तक 15 साल पहले की बात करते रहोगे ?

श्री अजय चन्द्रांकर :- आपको मैं अभी कह रहा हूं। आप कल अनुमित ले लीजिए, यदि आसंदी अनुमित देती है तो किसानों के मुद्दे पर आपकी बात पर बिना कोई आरोप-प्रत्यारोप के वास्तव में सरकार हर विषय में चर्चा कर लेगी।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं बिल्कुल तैयार हूं, पूरा एक दिन किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे, किसानों के मुद्दे पर दिन भर चला दीजिए।

🕪 अजय चन्द्राकर :- आप तथ्यों में नोटिस दीजिए, हम सरकार की ओर से समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय :- सुनिये न, अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होनी है, सारे मुद्दे में ओपन चर्चा होगी, उसमें अपने-अपने विषय सब कोई रख सकते हैं।

श्री धनेन्द्र साह् :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा धान 24 रुपये किलो में बिकना चाहिए, वह कोई धान 12 रुपये किलो में बिकता है, कोई 10 रुपये किलो में बिकता है, कोई धान 8 रुपये किलो में बिकता है, यह आपकी गलत नीति के कारण है। यदि आपकी नीयत सही है तो बोनस और सारी चीजों को मिला करके एक चीज निर्धारित करिये। साल भर हमारी धान, हमारे खून-पसीने की कमाई एक जगह एक दर में बिकनी चाहिए, हो सकता है मैं मान लेता हूं कि 10, 20 रुपये क्विंटल फर्क पड़ता हो, लेकिन आज दूर-स्दूर में जो गरीब आदमी है, स्दूर आदिवासी क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं, वह 8 रुपये किलो में धान बेच रहा है। वही सरकारी मंडी में 12 रुपये बिक रहा है और बाद में हमें खैरात की तरह 300 रुपये बोनस सिर्फ 12 लाख किसानों को दे रहे हैं। इस प्रदेश में 37 लाख किसान हैं, 37 लाख किसान में से मात्र 12 लाख किसानों को बोनस दे रहे हैं। यह आपकी जो व्यवस्था है, इसी के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं हैं। किसानों को न तो ठीक से बीज, खाद, कीटनाशक दवाई मिल रही है, उसमें सब्सिडी चाहिए। आज फसल क्षति होती है, आप भू-राजस्व संहिता की धज्जी उडा रहे हैं। आज जो अच्छी फसल है, वह अकाल घोषित है और जहां एक दाना नहीं हो रहा है उसको आप 16 आना फसल दिखा रहे हैं। आपका फसल बीमा का भी क्षति आकलन सही नहीं है। उसके कारण जिन गरीब किसानों तक फसल बीमा का फायदा पह्ंचना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। आप हमसे जबरिया प्रीमियम काट रहे हैं। यदि प्रीमियम नहीं कटेगा तो हमको बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। हम तरफ हमारा व्यक्तिगत बीमा का प्रीमियम पट रहा है, हमारे खेत का सर्वे नहीं होता, हमारे खेत की क्षति आकलन करने पटवारी नहीं जाता, कोई कृषि विभाग का अधिकारी नहीं जाता है। राजनीतिक रूप से बैठे-बैठे हमारा फसल बीमा का निर्धारण हो रहा है, नहीं यहां पर प्रभावशाली मंत्री का क्षेत्र है, यहां अकाल घोषित कर दो, यहां फसल बीमा का लाभ दे दो। वास्तविक में जो किसान हैं, जिनकी फसल खराब हुई है, उसका आपका आकलन नहीं है।

माननीय सभापित महोदय, अभी लगातार दो-तीन साल से अकाल पड़ रहा है, आपने किसानों की ऋण वसूली स्थगित कर दी, स्वागत है, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्जा दे रहे हैं, ऊपर से आपने ऋण वसूली स्थगित करके साढ़े 12 प्रतिशत ब्याज लगा दिया। ये कहां की किसानों की हितैषी सरकार हो गई कि आप साढ़े 12 प्रतिशत ब्याज की दर से किसानों के ऊपर में टैक्स लगा रहे हैं ? आपकी बिजली मंहगी हो गई है, सिंचाई मंहगी हो गई है, किसानों को सिंचाई मिलनी चाहिए, फ्लो एरिगेशन मिलना चाहिए, उसमें रकबा बढ़ाने में पूरी तरह से सरकार असफल रही है। भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गई। आपने जितने एनीकट बनाये हैं, उससे कहीं कोई सिंचाई नहीं हो रही है। आज जनता का हजारों-करोड़ रुपया राजकोष का बरबाद हुआ है। आज किसी भी एनीकट से ... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\e13\02.35-02.40

.............जारी श्री धनेन्द्र साह् आज किसी भी एनीकट से एक एकड़ की भी सिंचाई इस प्रदेश में नहीं हो रहा है। उसके कारण आज सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ सका है।

माननीय सभापित महोदय, विपक्ष से हम लोग लगातार चिटफण्ड कम्पनी का विरोध करते रहे हैं। इस प्रदेश से लगभग 50 हजार करोड़ रूपये इस चिटफण्ड कम्पनी के मालिक लोग लूटकर ले गए हैं। हम लोग यहां तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल तक विरोध करते रहे हैं, लेकिन आप इस पर रोक नहीं लगा सके। जब पूरी तरह से लोगों के खून-पसीने की कमाई को खंगालकर ले गए, तब जाकर यह सरकार जागती है और उस पर रोक लगाती है। यह तो पूरी तरह से सरकार के शहादत पर हुई, आज इस अनुपूरक बजट में पैसा क्यों नहीं रखा गया ? जब सरकार ने इसी सदन में घोषणा की है कि हम उन निवेशकों का पैसा लौटायेंगे और चिटफण्ड कम्पनी के मालिकों की सम्पत्तियों को कुर्क करेंगे। सरकार ने इस अनुपूरक बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया है ? यदि आपकी नीयत सही होती तो आप इन निवेशकों के लि ए बजट में प्रावधान करते। जिनका पैसा डूबा हुआ है, उनके पैसों को वापिस लौटाने की घोषणा की है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापित महोदय, आज आप यहां के युव पीढ़ी को शराब के नशे में डुबा रहे हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार का काम अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है, आपके पास स्कूल के लिए पैसा नहीं है। आज यहां शिक्षक के 50 हजार से ज्यादा के पद रिक्त हैं। शिक्षकों को नौकरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन शराब दुकान चलाने के लिए हैं। आज गांव के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं हैं। कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया है। आज ही सुपेबेड़ा की बात हुई है, सुपेबेड़ा में किड़नी की बीमारी से 55 से अधिक लोग मर चुके हैं। आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एन0एम0ए0 होती हैं, माननीय सभापित महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। कोई एम0बी0बी0एस0 डाक्टर नहीं होते हैं। आखिर आप इस प्रदेश की जनता को क्या बताना चाहते हैं ? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां एक साधारण स्वास्थ्य कर्मचारी पदस्थ होता है, आप इतनी गंभीर बीमारी के लिए डाक्टर पदस्थ नहीं कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि हमें उड़ीसा की नागरिकता दे दी जाए, हम उड़ीसा में जाकर बसने को तैयार हैं। सरकार पर इससे बड़ा कलंक और क्या होगा ? आज यहां की जनता का सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। दूसरे प्रान्त में जाकर बसने के लिए विवश हो रहे हैं।

आप उनके लिए 25 लाख रूपये का एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर, आज उनकी अच्छे चिकित्सा की आवश्यकता थी। लेकिन आपकी सोच नहीं है।

माननीय सभापित महोदय, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वास्तिवक हितग्राही हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, चाहे शहरों की बात हो, दूसरे के घर में किराये से रहते हैं। उनके पास पट्टा नहीं है, उनको घर नहीं मिलेगा। जिनके पास पहले से घर है, उनको घर मिल रहा है। वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है। जो वास्तिवक जरूरतमंद है, जिनके पास छांव नहीं है, कच्चा झोपड़ी भी नहीं है, उनका नाम सर्वे सूची में नहीं है। हम लोग लिख-लिखकर थक गए हैं, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। जो वास्तिवक जरूरत हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ रहे हैं। आज यहां पर बदतर स्थिति है। इसी विधानसभा में कल शौचालय के सम्बन्ध में जवाब दिया गया है। यदि हम पूरे ब्लाक को लें तो लाखों हितग्राहियों को शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं हुआ है। उसके लि ए पैसा नहीं है। यह एक क्या दूरसंचार क्रान्ति है। पिछले बजट में भी 1200 करोड़ रूपया पास किया इसमें फिर 600 करोड़ रूपये का प्रावधान है। लगभग 1800 करोड़ रूपया मोबाइल बांटने के लिए पैसा है, बोनस देने के लि ए पैसा नहीं है, मोबाइल बांटने के लिए पैसा है। समर्थन मूल्य देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है।

श्री चुन्नी लाल साहू (खल्लारी) :- बोनस तो मिल गया है।

श्री धनेन्द्र साहू :- पिछले तीन साल का ? आप लोग किसान होकर भी क्यों भूल जाते हो। पिछले तीन साल की बात हो रही है।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय सभापति जी, वही मांग करते हैं, जिन्होंने कभी दिया हो।

श्री चुन्नी लाल साह (खल्लारी) :- कभी दिए नहीं हैं।

श्री धनेन्द्र साहू: - इतना दिया है, मेरे पास रिकार्ड है। एक-एक साल का रिकार्ड बता दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने कितना बोनस दिया है। ...जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\e14\02.40-02.45

श्री देवजी भाई पटेल :- सभापति जी, वही मांग करते हैं, जिन्होंने कभी दिया हो ।

श्री धनेन्द्र साहू: - इतना दिया है, मेरे पास रिकार्ड है। एक-एक साल का रिकार्ड बता दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने कितनी बोनस दी है। माननीय सभापति महोदय, आज इनको किसानों के हितों के

लिए काम करने के लिए पैसा नहीं है, सड़क जहां आज हमें चाहिये, वहां के लिए पैसा नहीं है, सिंचाई योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, अन्य जितने भी महत्वपूर्ण योजनायें हैं, अस्पताल खोलने के लिए, डॉक्टर नियुक्ति करने के लिए, शिक्षा कर्मी नियुक्ति करने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है । मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है, शौचालय का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है, आज हमारे पुलिस सड़क में आकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन पूरे प्रदेश में गरीब, निसहाय लोगों को चार-चार, पांच-पांच महीने से नहीं मिल रहा है । शहरी क्षेत्र में तो और भी अधिक हो चुका है, आपके पास उसके लिए पैसा नहीं है । अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए, दो-दो साल से आपके पास पैसे नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें आज हड़ताल में जा रही है, उनका तनख्वाह बढ़ाने आपके पास पैसा नहीं है,

मितानिनों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सफाई कर्मियों के लिए पैसा नहीं है,

आपके पास दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आज चुनाव सामने हैं तो मोबाईल बांटकर वोट लेने के लिए आपके पास पैसा है । यह सरकार की दशा और दिशा है । शराब में डूबे रहो, चिटफंड में अपना पैसा डबल करने के चक्कर में घर-बार सब वहां डाल दो, सब कुछ बचा तो आप मोबाईल में उसको डुबा दो । माननीय सभापित महोदय, बातें तो कहने के लिए बहुत सारी थी, आज ही मेरे मोबाईल में एक वाटस एप आया है । छत्तीससगढ़ के विकास आज जिस दिशा में, एक गांव के आदमी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करके उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसे ध्यान से पढ़िये और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा है । माननीय सभापित महोदय, उन्होंने जो कहा है, एक उसका शीर्षक दिया है ।

बेटा छत्तीसगढिया

बेटा छत्तीसगढ़िया, तै जीयत रह तै दारू पी, मोबाईल चला, एक रूपया किलो म चांऊर ले, बैइठे-बईठे खा, स्कूल जा, भात खा, पढ़ मत, पास हो जा बड़े नौकरी मत मांग, नेता मत बन, सरकारी ठेका मत मांग, मनरेगा में कमा,
मजद्र बने रह,
तरक्की मत कर, तै जियत भर रह
पाउच खा, पच-पच थूक
मंजन घिस, माखुर रमंज, एक बत्ती जला
बेटा छत्तीसगढिया बस तेहां जियत रह
बड़े लोन मत मांग, बड़े बिजनेस मत कर,
साइकिल में चल, कार के शौक मत कर,
चिरहा कपड़ा पहिन, पौठ्या ले, वोट दे,
बेटा छत्तीसगढिया तै जियत रह

माननीय सभापित महोदय, आज इस प्रदेश के विकास की जो दुर्दशा है, आज जिस दिशा में इस छत्तीसगढ़ को जाना चाहिये, जिस दिशा में आज हमारे छत्तीसगढ़ की प्रगति होना चाहिये, इस सरकार के पास सोच नहीं है, उन चीजों के लिए ही आज इस सरकार की प्राथमिकता है, जो चाहिये हमें उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो चाहिये उसके लिए सोच नहीं है। माननीय सभापित महोदय, इसीलिए मैं तमाम इस अनुदान मांगों का विरोध करते हुये कि इसे बिल्कुल स्वीकृत न किया जाये। अपना विरोध व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री केशव चन्द्रा ।

सभापति महोदय :- श्री नवीन मारकण्डेय ।

श्री नवीन मारकण्डेय (आरंग) :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस सदन में वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक के सभी अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं सभी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ । माननीय सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी, उस समय हमारे पास संसाधन क्या थे, हमें विरासत में छत्तीसगढ़ किस पृष्ठभूमि पर और किस भौगौनिक स्थिति पर मिला था । जब हम उसके ऊपर नजर डालते हैं, उसको जब देखते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ बहुत दयनीय स्थिति में मिला था और दयनीय स्थिति में दिखता भी था । माननीय

सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसने उस 55 वर्ष में

श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\e15\02.45-02.50

जारी........शी नवीन मारकण्डेय :- हमें छत्तीसगढ़ बहुत दयनीय स्थिति में मिला था और वह दयनीय स्थिति में दिखता भी था । माननीय सभापित महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसने उस 55 वर्षों तक शासन किया और किसने शासन चलाया और उसके दिल-दिमाग में छत्तीसगढ़ के प्रति क्या ऐसी भावनाएं थीं जो उसने उसको दीनहीन छोड़कर यहां से गये और कहीं न कहीं उसी का नतीजा है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विकास की गित और बहुत तेज होनी थी वह कहीं न कहीं उस कालखंड को ठीक करते-करते आज इस स्थिति में आयी है । जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार बनी तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का बजट क्या था और उसके बाद अगर देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की स्थिति क्या थी उस समय सबसे प्रथम कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का पेट रोजी चलाना है, उनका पालन-पोषण करना है यह सबसे बड़ा यदि कोई काम किये हैं यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है और उसी समय छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो कहीं न कहीं एक टाईम भोजन करके पानी पीकर भी सो जाते थे ऐसे परिवारों का लालन-पालन भरण-पोषण किया है । मुझे याद है जब मैं जगदलपुर क्षेत्र में था और दौरा कर रहा था उस समय मैं जब एक गांव में गया तो वहां के लोग मुझे बताये कि किस तरह से वे कंदमूल को पेज बनाकर और कैसे पीते थे और कैसे रहते थे और कुपोषित स्थिति में....

श्री दीपक बैज :- श्री मारकण्डेय जी, आप जगदलपुर में कौन से गांव में गये थे बताईयेगा ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- ऐसी कुपोषित स्थिति हुआ करती थी । आज भी कई स्थानों पर....

श्री दीपक बैज :- आप जगदलप्र में कौन से गांव में गये थे ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- करपावन बकावन क्षेत्र में गया था ।

श्री दीपक बैज :- करपावन बकावन बड़ा संपन्न वाला क्षेत्र है ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- मैं वहीं गया था तो ऐसी जगहों पर और उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिला करतीं थीं उनको वहां से जगदलपुर आने में बहुत समय लगता था और इस तरह से ऐसे परिवार एक तो कुपोषित, बीमार और इस तरह से जीवनयापन करते थे और कई बार तो पेपरों में ऐसे इलेक्ट्रानिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में देखने को मिलता था कि भूख से मौत हो गयी तो इस पीड़ा

को समझकर डॉ. रमन सिंह जी ने इस तरह से चऊंर योजना निकालकर उनका लालन-पालन-पोषण करने का जो जिम्मा उठाये वह नारायण की भूमिका में है और जो नारायण की भूमिका में है वह भगवान की भूमिका में है और वही सबको बिना किसी भेदभाव के लालन-पालन कर सकते हैं । इस चीज को मैं समझता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी समझा और इसीलिये नर की सेवा करने वाले नारायण को बार-बार समय दिया । मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सदन को बताना चाहता हूं कि किस तरह से छत्तीसगढ सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना निकालकर किस तरह से उनकी सेवा करने की कोशिश की है । किसी व्यक्ति को कांग्रेस की उस समय जब सरकार थी, किसी व्यक्ति को एक रूपये के ईलाज के लिये लोगों ने लालन-पालन करने के लिये कभी दिया नहीं ।

श्री दीपक बैज :- स्मार्ट कॉर्ड में 50,000 मिलता था ।

यादव\04-07-2018\e16\2.50-2.55

......(जारी श्री नवीन मारकण्डेय) :- माननीय सभापित महोदय, केवल मुक्त कराना ही विषय नहीं है और किसानों को जीरो ब्याज दर पर ऋण उपलबध कराना ही विषय नहीं है, विषय यह है कि उन किसानों को जो कर्ज के तले दबे रहे थे, वह किसान अपनी जमीन जायदाद बेचकर भी उससे छूट नहीं पाते थे । वह किसान अपनी जमीन जायदाद तो क्या खेत के साथ अपना घर और घर में जो

दैनिक उपयोग की वस्तुएं हुआ करती थी, उसको भी उनको बेचना पड़ जाता था। मैं तो गांव में रहा हूं । मैंने कुर्की करने वालों को उनके घर में आकर उनके गाय, बैल को ले जाते देखा है। मैंने कांग्रेस की सरकार में उस समय लोटा, थाली की भी कुर्की करते हुए अपनी आखों से देखा है। छत्तीसगढ़ इस दंश को झेलते हुए, इस पीड़ा को सहते हुए चला है। उसी पीड़ा को समझत हुए डॉ.रमन सिंह जी ने किसानों की चिंता करते हुए उनकी सेवा करने का प्रयास किया। वह अद्भुत क्षमता के धनी हैं। इसलिए उनको उस श्रेणी में रखते हैं कि जनता उनको नारायण मानती है। यह सार्थक है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के अभाव में मातृ और शिशु मृत्यु ह्आ करती थी, उसमें भी काफी हद तक कमी आई है ।

माननीय सभापित महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की क्या स्थिति थी । स्कूल शिक्षा में हमारा छत्तीसगढ़ निम्न स्थिति में था । उसी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे और वह कहीं नौकरी नहीं कर पाते थे । वह कहीं आ जा नहीं पाते थे । कभी उनकी सोच नहीं बन पाती थी । इसके कारण वह पलायन करते थे । आज वह स्थिति खत्म हो गई है । पलायन भी खत्म हो गया और शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है । आज देखें तो छत्तीसगढ़ में 98 प्रतिशत शिक्षा सब जगह हुई है ।

श्री दीपक बैज :- मारकण्डेय जी, सब शिक्षा व्यवस्था को तो पूरा ठेके में दे दिये हो । सब ठेकेदारी में चला रहे हो ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय सभापित महोदय, मुझे गर्व है कि हमारी बहनें वह स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़कर सामने आ रही हैं । आप रिजल्ट भी देख रहे हैं तो आपको दिखता होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी बेटियां, हमारी बहनें सबसे बेहतर शिक्षा अध्ययन करके सामने आई हैं । केवल लोगों को शिक्षा देना ही नहीं है बल्कि नारी शिक्षा को प्रबलता, प्रमुखता से सामने लाकर हमारी आधी आबादी को जो सम्मान दिया है, ये सबसे बड़ी बात है । पहले छोटे छोटे बच्चे पांच किलोमीटर में जाकर प्राथमिक शिक्षा अध्ययन करते थे । आज की स्थिति यह है कि हर गांव में, यदि छोटा सा सौ, दो सौ की जनसंख्या का गांव है तो उस गांव में भी स्कूल है और उस स्कूल में वह अध्ययन कर रहे हैं । आज स्थिति देखें तो सभी जगहों पर स्कूल हैं ।

श्री दीपक बैज :- मारकण्डेय जी, यह आपकी सरकार की देन नहीं थी, यह केंद्र की कांग्रेस सरकार के सर्वशिक्षा अभियान की देन थी । आपने तीन हजार स्कूल बंद कर दी ।

सभापति महोदय :- दीपक जी, आपको बोलने वालों की सूची में नाम है।

डॉ. विमल चोपड़ा :- भाई, स्प्रीम कोर्ट का फैसला था।

श्री नवीन मारकण्डेय :- सर्वशिक्षा अभियान को कांग्रेस ने नहीं शुरू किया था, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने शुरू किया था और सर्वशिक्षा अभियान उन्हीं की देर है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- आपको मालूम होना चाहिए कि 2003 में प्राथमिक शालाओं की संख्या 15000 थी, वह आज बढ़कर 46000 है । आज लोगों को शिक्षकर्मी का रोजगार नहीं मिला क्या ? क्या शिक्षाकर्मी की भर्ती नहीं हुई ? यदि आज कांग्रेस 2003 की बात करें तो मिडिल स्कूल की संख्या मात्र 5600 थी, आज बढ़कर 16000 है । हाईस्कूल की संख्या, हायर सेकेण्डरी की संख्या 908 थी, आज वह बढ़कर 7000 हो गई है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बजट भी तो बढ़ा है । 83000 करोड़ से ज्यादा का बजट हुआ है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- यह स्कूलों की वास्तविक संख्या थी । आप लोग चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग निरक्षर रहे । यह आप लोगों की दशा थी । आज लोगों को रोजगार मिला है । (व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- आज देवजी भईया जो बोल रहे हैं, यह भी कांग्रेस की देन है । कांग्रेस स्कूल नहीं खोलती तो आज देवजी भईया इतना नहीं बोल पाते। (व्यवधान) आज कांग्रेस के राज में ही छात्र राजनीति करते थे ।(जारी)

मिश्रा\04-07-2018\e17\.-.5

श्री मनोज मण्डावी: सभापित महोदय, देवजी भैय्या जो बोल रहे हैं वह भी कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस स्कूल नहीं खोलती तो देवजी भैय्या इतना नहीं बोल पाते। आप कांग्रेस के राज में ही छात्र राजनीति करते थे और बोलना सीख गये, उसको आप भूल गये क्या?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जब केन्द्र में अटल जी की सरकार थी उस समय स्कूल नहीं खोली, जैसे ही वर्ष 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तब से पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या बढ़ी है।

श्री देवजी भाई पटेल :- कांग्रेस की सरकार करती तो आज आपकी ये दशा-द्र्दशा न होती।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- कांग्रेस के जाने के बाद इन चार सालों में आप लोगों ने क्या किया है? खाली भाषण और जुमला के सिवाय तो कुछ किया नहीं है। श्री बृहस्पत सिंह :- प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार कांग्रेस ने ही दिया है।

श्री मनोज मण्डावी :- सभापति महोदय, आज जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं इससे बड़ा क्या होगा? यह कांग्रेस की देन है।

श्री नवीन मारकंडेय :- माननीय सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ की सरकार जब डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई तब से शिक्षा का स्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि जो बच्चे और शिक्षक अध्ययन कर रहे थे उन लोगों का भी स्तर बढ़ा है और हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी लगातार उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता को खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 1998 में शिक्षकों की सीधी भर्ती बंद कर दी और शिक्षाकर्मियों की भर्ती निकाली और जनभागीदारी/ पंचायत की ओर से 300 रूपये, 500 रूपये और 700 रूपये देकर शिक्षकों की स्थित दयनीय कर दी थी। मजदूरों को भी उतनी मजदूरी नहीं मिलती जितना ये लोग शिक्षाकर्मियों को दिया करते थे। हमारे गुरूओं की दुर्दशा करने वाले विपक्ष के हमारे साथी उनकी दुर्गति कर दिये थे और आज डॉ. रमन सिंह जी ने शिक्षाकर्मियों को किस स्थान पर पहुंचा दिया है कि उनका संविलियन करके उन्हें 55 हजार, 50 हजार, 45 हजार रूपये की सैलरी दे रहे हैं और लगातार उन्हें सम्मानजनक स्थित में लाये। यह हमारे छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार है, डॉ. रमन सिंह की सरकार है। सभापित महोदय, यदि उनका संविलियन हुआ तो क्या उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है? अब जब पैसे की जरूरत है तो हमारे विपक्ष के कांग्रेसी साथी किस आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं?

समय: 2.58 बजे (सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सभापित महोदय, क्या ये लोग संविलियन का विरोध कर रहे हैं? क्या यह लोग सदन में कह रहे हैं कि संविलियन के बाद उनको वेतन नहीं देना चाहिए? हमार साथी क्या यह कह रहे हैं कि उनका संविलियन नहीं करना चाहिए? यदि इस तरह से हमारे गुरूओं की दुर्गति ये लोग बनाये रखेंगे तो ऐसी स्थित में हमारी शिक्षा बेहतर नहीं होगी और इसीलिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने उनका संविलियन करके उनको सम्मानित स्थान पर पहुंचाया और उनको शिक्षक बनाया। इस प्रकार से हमारे शिक्षा की स्थित को बेहतर किया जा रहा है। आज हर 07 किलोमीटर में हायर सेकंडरी स्कूल देकर हमारे बच्चों को सम्मान दे रहे हैं और जब हमारे बच्चे वहां साईकिल से पढ़ने जा रहे हैं तो उनको सायकल भी मुहैया कराई जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को वहां प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराकर उन स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिये हैं।

माननीय सभापित महोदय, यदि हम उच्च शिक्षा की स्थिति को भी देखें तो यहां पिछले बजट में ही 30 महाविद्यालय एक साथ खोले गये और लगातार हम उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय, आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे बड़े-बड़े उन्नत संस्थान आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाये हैं। इसमे साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास लाया गया है। माननीय सभापित महोदय, 15 वर्षों से आप भी जनप्रतिनिधि हैं यदि आप गांव में जाकर कंडिल लेकर भी इंदिरा आवास ढूंढेंगे तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा और यदि आप आज प्रधानमंत्री आवास देखेंगे तो गांव-गांव में आज नक्शा बदल गया है और खपने का छानी नहीं दिखता है। ..

श्री कुरैशी

कुरैशी\04-07-2018\e18\03.00-03.5

जारी......शी नवीन मारकंडेय :-

प्रधानमंत्री आवास देखेंगे तो आज गांव-गांव का नक्शा बदल गया है । आज गांव में खपरे की छानी नहीं दिखती है । उन आवासों में उनके रहने की सुविधा, उनके शौचालय की सुविधा, उनके स्वास्थ्य की स्विधा के साथ बेहतर वातावरण दिया जा रहा है ।

श्री दीपक बैज :- आपका प्रधानमंत्री आवास जितना बड़ा है ना, उतने में तो हमारे आदिवासी, सूअर पालते हैं । आपको गांव में इंदिरा आवास ही दिखेगा ।

श्री नवीन मारकंडेय :- यदि उस समय इंदिरा आवास स्वीकृत भी करते थे तो एक गांव में एक आवास भेजते थे, आज 100, 200 आवास बनते हैं । अगर हम तुलना करेंगे तो आज की स्थिति आते तक 100 साल लग जाते । आज की स्थिति आते युग बदल जाता ।

श्री दीपक बैज :- मेरे ब्लॉक में 100 प्रधानमंत्री आवास दिखा दीजिए ।

श्री नवीन मारकंडेय :- इस तरह की इनकी योजनाएं थीं । मुझे यह कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि जिस तरह से तालाब में जाते हैं तो जोंक खून चूसने के बाद ही छोड़ता है, उसी तरह से अविभाजित मध्यप्रदेश के समय छत्तीसगढ़ को जोंक की तरह विपक्ष के साथियों ने चूसकर छोड़ दिया था और इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था । उसको बेहतर बनाने का और छत्तीसगढ़ का निर्माण करने का काम हमारे शिल्पी डॉ. रमन सिंह जी ने किया है और छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया है । अगर माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया होता तो मैं समझता हूं कि हमें भी पलायन करना पड़ता । सभापित महोदय, इस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति थी जिसको हमारे शिल्पी डॉ. रमन सिंह जी ने गढ़कर, एक स्नदर छत्तीसगढ़, स्ग्घर छत्तीसगढ़,

सिरमौर छत्तीसगढ़ हम सबको दिया है । हमारे प्रदेश की जनता ऐसे शिल्पी को लगातार जिम्मेदारी देती रहेगी और हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ते रहेंगे । मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए इसको पारित करने का निवेदन करता हूं ।

सभापति महोदय :- श्री केशव चन्द्रा । पांच पांच मिनट में समाप्त करें ।

-- श्री अग्रवाल -

अग्रवाल\04-07-2018\e19\3.05-10

जारी...श्री केशव चन्द्रा :- उनकी जो वेतन विसंगति है, उसको भी आप दूर करें ।

माननीय सभापित महोदय, इस अनुपूरक में 6 नई तहसील खोलने का प्रावधान किया गया है । जहां तक मैं सोचता हूं कि प्रदेश में अगर सबसे पहले तहसील की घोषणा होनी चाहिए, बनना चाहिए तो मेरे जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के बम्हनीडीह क्षेत्र में होनी चाहिए । इसलिए कि वह विकासखण्ड मुख्यालय है, लेकिन आज भी उसको तहसील का दर्जा नहीं मिला है । माननीय मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा में वहां गए थे, वहां के लोगों ने मांग की, लेकिन सरकार की नीयत ये नहीं है कि वहां विपक्ष का विधायक है तो

यहां घोषणा मत करो और जहां पक्ष के विधायक हैं, जहां आवश्यकता नहीं है, वहां आपने देने का काम किया । मैं आज भी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ।

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) :- माननीय सभापित महोदय, गंडई को तहसील घोषित किया गया है। वहां पर विपक्ष के गिरवर जंघेल जी विधायक हैं । सरकार ने ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया है । जहां विपक्ष के साथी हैं और जरूरत पड़ी, वहां सरकार ने तहसील घोषित किया है ।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, अगर आपने दुर्भावना से काम नहीं किया है तो अभी घोषणा कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जवाब देंगे । मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बम्हनीडीह को तहसील का दर्जा दे दें, पूरे प्रदेश में एक मात्र बम्हनीडीह है, जो विकासखण्ड है, लेकिन उसको तहसील का दर्जा नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, पूरा प्रदेश आन्दोलन में जल रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जो आन्दोलन नहीं कर रहा है । पूरे लोग सड़क पर उतर आये हैं । आप बजट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं । बजट और विकास कहां है, लोग क्यों आन्दोलनरत् हैं और ये सभी आन्दोलन कर रहे हैं तो केवल अपने भविष्य की चिन्ता के लिए कर रहे हैं । आज संविदा पर नौकरी में रख रहे हैं, जहां उसकी उम हुई, आप निकाल दिए । कल मैं आन्दोलन स्थल पर गया था, वहां बाल श्रमिक में जो पढ़ाते थे, 16 साल सेवा देने के बाद वह स्कूल बंद कर दिया गया और आज उनकी उम्र 40-45 साल हो गई, कहीं उनका संविलियन नहीं किया गया । आप ऐसे लोगों को भी बजट में सम्मिलित कर लेते, जो 16 साल सेवा देने के बाद आज बेरोजगार हो गए हैं । आप अन्पूरक में उनके लिए भी कोई रास्ता बना देते। आउट सोर्सिंग की बात हुई, विरोध भी हुआ, पक्ष में भी विरोध हुआ, सरकार ने दावा किया कि यहां ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, जो निर्धारित योग्यता को पूरा करते हों इसलिए हमको बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए बाहर से आऊट सोर्सिंग के माध्यम से यहां पर नियुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के पद पर जो 6 हजार कर्मचारी हैं, वे बाहर के नहीं हैं, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और अगर वे योग्यता हासिल कर रहे हैं, इनमें योग्यता है तो आऊटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं है । इसलिए नहीं है कि सरकार इनको 28 हजार रूपए देती है, लेकिन जो प्लेसमेंट कम्पनी है, जो ठेकेदार है, वे विद्या मितान को मात्र 13-14 हजार रूपए के तनख्वा पर रखते हैं और एक महीने में आठ करोड़ रूपए का लाभ बीच में मध्यस्थता करने वाला प्लेसमेंट कम्पनी कमा रही है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें । आपके लिए दो मिनट का समय निर्धारित है, 6 मिनट हो गए । श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सभापित महोदय, सुपाबेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रावधान अभी अनुपूरक में किया गया है । सुपाबेड़ा इतना बड़ा मामला है, छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव, जिसमें पूरे गांव के लोग किड़नी की बीमारी से जल रहे हैं। आप उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर क्या स्वास्थ्य का लाभ देना चाहते हैं ? उप स्वास्थ्य केन्द्र में आपके पास कितने पद स्वीकृत है, आपके पास जिला अस्पताल में, आपके प्रदेश के मेकाहारा जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आपके जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें आपके पास डाक्टर की व्यवस्था नहीं है और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर वहां किड़नी का ईलाज कराना चाहते हैं । सुपाबेड़ा के लिए इस अनुपूरक में बड़े प्रावधान रखने की आवश्यकता थी, ताकि लोगों को लाभ सके । माननीय सभापित महोदय, धन्यवाद ।

श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\f10\03.10-03.15

श्री रामदयाल उइके (पाली-तानाखार) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रथम अन्पूरक बजट में मांग संख्या 1 से लेकर 81 तक चार हजार, आठ सौ सतहत्तर करोड, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रुपये की मांग की है, इसका मैं भरपूर विरोध करने के लिए खड़ा ह्आ हूं । सभापति महोदय, विरोध इसलिए कि बजट में जिन कार्यों की जरूरत है, उन कार्यों को सरकार ने समाहित नहीं किया। किसानों के हित में इस अनुपूरक बजट में एक रुपये का प्रावधान नहीं रखा है। सैकड़ों किसानों ने जो आत्महत्या की, उनके परिवारों को लाभ दिलाने के लिए इसमें कोई बात वर्णित नहीं की गई है। यहां के बेराजगारों को रोजगार दिलाने के लिए किसी भी बजट का इसमें प्रावधान नहीं किया गया। पिछले मूल बजट में जो 83 हजार करोड़ रुपये का बजट लाया गया था, वह पैसा अभी खर्च ह्आ ही नहीं है, फिर ये प्रथम अनुपूरक बजट में आपने इतनी भारी-भरकम राशि की जो मांग की है, मैं समझता हूं कि सरकार केवल वोट पाने के लिए लुभावना बजट बनाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं विस्तार से एक-एक मांग संख्या का अध्ययन किया हूं। महिलाओं एवं बच्चों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? आपने शराब तो फ्री कर दी है, सरकार शराब बेचने का काम कर रही है। सरकार शराब बनाये, शराब बेचे, यह काम सरकार का नहीं है । इसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गयी है, उनके परिवारजनों को राहत पहुंचाने के लिए आपने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, डेली कोरबा से लेकर के रायप्र आते तक लगभग 10 से 20 एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस बजट में आपने कि मोटर यान अधिनियम के तहत उनकी सहायता प्रदान करने की बात कही है, इस बजट में इसका प्रावधान है, लेकिन इस योजना में एक-एक साल लग जाते हैं।

इसको सरलीकरण करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? त्वरित सहायता राशि देने के लिए आपने 25 हजार की योजना तो बना दी, लेकिन 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। सरकार के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों, एसडीएम को ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया गया है कि घटनास्थल पर ही अगर मौत हो जाती है तो तुरंत 25 हजार रुपये दी जाए, लेकिन यह राशि नहीं दी जाती। माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शांतिकुमार राज की दिनांक 14.06.2018 को गिधौरी सड़क दुर्घटना में अस्पताल में मौत हो गई। अभी तक पुलिस एफआरआई दर्ज नहीं की। जीरो में कायमी की गयी थी। इस घटना की जांच नहीं की गई। पीड़ित परिवार को राहत राशि नहीं दी गई। आखिर में सरकार छत्तीसगढियों की किस बात की सेवा करना चाहती है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मांग संख्या 4 का अवलोकन करें। केन्द्रीय क्षतिपूर्ति योजना इसमें 14 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय सभापित महोदय, पूरे राज्य का अगर हम अवलोकन करें, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जा रहे हैं, उसमें किसानों की जमीन गयी, फलदार वृक्ष गये, उनको मुआवजा राशि अभी तक क्यों नहीं दी गयी? किसान दर-दर भटक रहा है।

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- आप पटवारी थे, आपको ज्यादा जानकारी होगी?

श्री रामदयाल उड़के :- इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने चार गुना राशि देने का प्रावधान किया था। अगर रेल कारीडोर में किसी किसान की जमीन गयी है तो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार दो गुना दे रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेण्ड्रारोड से गेवरा 120 किलोमीटर का जो रेल कारीडोर बन रहा है।

श्री नवीन मारकण्डेय :- रामदयाल जी, अजय भैय्या उस समय पूछ रहे थे कि 2002 में हिसाब-किताब नहीं हुआ है।

श्री रामदयाल उड़के :- मारकण्डेय जी, सुनिये। आपको राजस्व विभाग के बारे में ए बी सी डी मालूम नहीं है। अनावश्यक बात न करें। मैं बोल रहा हूं केन्द्रीय सड़क निधि योजना आपने इस बजट में शामिल किया, जिसके लिए 1402 बजट रखा है।

श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\f11\03.15-03.20

श्री कवासी लखमा :- हमारे रामदयाल जी, सीधे सादे आदिवासी को बदनाम करते हैं।

श्री रामदयाल उइके :- मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जितने भी रेल कॉरीडोर बन रहे हैं इसमें कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई, कितने फलदार बृक्ष , ईमारती लकड़ी का अधिग्रहित हुआ, सरकार ने अभी तक उसकी मुआवजा राशि नहीं दी है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीडि़त किसान और पीडि़त परिवार को सहायता राशि कब देंगे ?

माननीय सभापित महोदय, नवीन मुख्यमंत्री बांस विकास योजना एक नई बनाये हैं। वन मंत्री जी, फॉरेस्ट में नवीन बांस विकास योजना मुख्यमंत्री जी के नाम से बनायी जा रही है। आप कहाँ बांस लगायेंगे, पहले से बांस लगे हैं उसी को तो आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। 1 लाख गड्ढा खोदा जाता है, मुश्किल से 1 हजार लगता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं एक प्रश्न के माध्यम से सदन को अवगत कराया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जदगा रेंज हैं...।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय रामदयाल उड़के जी, पटवारी साहब..।

श्री रामदयाल उड़के :- और बिगड़े वनों के सुधार योजना में आपने कितनी राशि खर्च किया, उसमें बताया गया कि हमने 1 हजार बांस के चट्टे बनाये। वहां बांस का पेड़ ही नहीं है तो 1 हजार बांस के चट्टे कहां से बने ? फर्जी पैसा निकालकर खा जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत करना चाहता हूँ...।

श्री महेश गागड़ा :- रामदयाल जी, बांस का पेड़ नहीं होता है।

श्री रामदयाल उइके :-बांस के पौधे लगाए जाते हैं।

श्री महेश गागड़ा :- हॉं। पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ नहीं लगाया जाता।

श्री रामदयाल उइके :- जब बड़ा होता है तो पेड़ हो जाता है उसका भीरा होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको क्षिति पूर्ति के बारे में कहना चाहूंगा। अभी 27.06.2018 को बम ब्लास्ट हुआ और धनीराम सोरी जिसका दोनों पैर और हाथ पूर्ण तरह से क्षिति हो गया, अभी श्री रामकृषण केयर हॉस्पिटल में एडिमिट है मैं देखने गया था, उनके परिवार को अभी तक के सरकार के द्वारा राहत राशि नहीं दी गई है तो आखिर में किसके लिए प्रावधान किया जाता है जब उनको तत्काल सहायता राशि नहीं दी जाती।

माननीय सभापित महोदय, मैंने पूरे बजट का अवलोकन किया। इसमें मात्र 60 करोड़ केवल चना उत्पादक किसानों के लिए प्रावधान रखा और जिनका धान नहीं हुआ, फसल नष्ट हो गया, उनको म्आवजा नहीं मिला, बीमा राशि नहीं मिला तो उन किसानों का आपने इसमें प्रावधान क्यों नहीं किया ?

माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मांग संख्या 14 में गौ सेवा और ग्रामणिक विकास योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। ये कौन गौ सेवा कर रहे हैं ? गौ सेवा के नाम पर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं । 300-300 गाय मर गई, क्यों मर गई। उनको चारा, पानी नहीं मिला। तो ये जो गौ सेवा के ऊपर इस सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? ये प्रश्न उठता है।

माननीय सभापित महोदय, हमारे भोरमदेव में सहकारी शक्कर कारखाना है, आपने इथेदाल प्लांट के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। वहां के जो गन्ना कृषक हैं उनके गन्ना उत्पादन का आपने मूल्य निर्धारण नहीं किया। आप प्रति क्विंटल कितना रेट देना चाहेंगे। आज गन्ना उत्पादन की कमी हो रही है जिसके कारण शक्कर कारखाना बंद है और इसी कारण शक्कर का रेट 45 रूपये किलो हो गया। 4500 रूपये क्विंटल हो गया। आखिर में सरकार को इस पर निर्धारण करना चाहिए कि गन्ना कृषकों को उचित मूल्य निर्धारण करें, प्रति क्विंटल और ज्यादा मात्रा में गन्ना उत्पादन हो। तािक शक्कर ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो और शक्कर का रेट कम हो।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री रामदयाल उइके :- माननीय सभापित महोदय, मैं प्वाईटवाईज बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्मय से कहना चाहूंगा कि गेवरा से पेण्ड्रा रोड जो रेल लाईन कारीडोर बन रहा है इस बीच में हमारे लगभग 200 किसानों से ज्यादा लोगों की बड़े-बड़े खेत, बाड़ी और मकान उस इलाके में प्रभावित हो रही है। उनका अभी तक मुआवजा नहीं बनाया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि बंदोबस्त का काम चालू हुआ था, माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी फॉरेस्ट लैण्ड हैं वहां लगभग 434 मसहती ग्राम हैं, वन ग्राम हैं और लगभग 600 से ज्यादा मसहती ग्राम है उन महसती ग्रामों का अभी तक संधारण नहीं हुआ, बंदोबस्त नहीं हुआ, उनकी ऋण पुस्तिका नहीं बनी, उस गाँव का सर्व नहीं हुआ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\f12\03.20-03.25

पूर्व जारी.. श्री रामदयाल उइके :- बंदोबस्त नहीं हुआ, उनकी ऋण पुस्तिका नहीं बनी, उस गांव का सर्वें नहीं हुआ, जिसके कारण उन किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल रही है, न रेल कारीडोर में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि मिल रही है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा यह हमारी

विधानसभा पीडि़त किसान, गरीब, बेरोजगार को लाभ दिलाने के लिए बनी है। मैं मुख्य सचिव राजस्व विभाग और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बिलासपुर जिले में लगभग 6-7 रेल कारीडोर बन रहे हैं, उन किसानों को लाभ दिलाने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे।

सभापति महोदय :- रामदयाल जी, समाप्त करें, बह्त समय हो गया।

श्री रामदयाल उइके :- आपने शिक्षाकर्मी को संविलियन किया।

सभापति महोदय :- सभी लोगों ने ये बातें रखी हैं।

श्री रामदयाल उड़के :- मैं अपनी तरफ से रख्ंगा। आपने आधे लोगों का लाभ दिलाने के लिए ये योजना बनाई है क्योंकि चुनाव सामने है। आपने सच्चे दिल से संविलियन करने की कार्यवाही नहीं किया है, आप पूरा का पूरा संविलियन करें, आपको हम धन्यवाद देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा नियुक्ति, समस्त अनियिमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी हैं और बहुत सारे लोग कलेक्टर दर पर काम रहे हैं, प्लेसमेन्ट में काम कर रहे हैं, अंशकालिक, जाबदार, स्थानिक, प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। लगभग 1 लाख 75 हजार कर्मचारियों ने रायपुर के बूढ़ातालाब में 3 दिन तक धरना दिया।

सभापति महोदय :- सब बातें आ गई हैं, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामदयाल उड़के :- मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा यह प्रश्न है कि आपने इस बजट में प्रावधान क्यों किया ?

सभापति महोदय:- सब बातें रिपीट हो गई हैं, रिपीट मत करिये। आप समाप्त करें।

श्री रामदयाल उड़के :- हां तो आपको घोषणा करनी होगी। हमारा इतना बड़ा राज्य पीडि़त लोगों को लाभ दिलाने के लिए बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह बैठकर सुन रहे हैं, आप अपने भाषण में इन पीडि़त कर्मचारियों को नियमितिकरण करने के लिए घोषणा करेंगे और बजट में प्रावधान करेंगे।

माननीय सभापित महोदय, दो बातें रखना चाहता हूं। हमारे विधानसभा पाली तानाखार से पेण्ड्रा की दूरी 100 किलोमीटर है, अंबिकापुर से दुरलापुर होते हुए अमरकंटक फोरलेन बन रही है और बिलासपुर से कटघोरा फोरलेन सड़क बन रही है, बीच के रास्ते को जोड़ना है, दो जिले को जोड़ेगा, इसिलए मैं सदन से मांग करता हूं पाली से पेण्ड्रा 100 किलोमीटर फोरलेन सड़क की मंजूरी दिया जाये। माननीय सभापित महोदय, आखिर में अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग को रखना पड़ता है। मेरी दूसरी मांग

है, माननीय राजस्व मंत्री जी से चोटिया में एक नई तहसील बनाने की मांग करता हूं। पसान में 100 बिस्तर बनाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- माननीय सभापित महोदय, सरकार ने 4877 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं अभी बजट सत्र को समाप्त हुए बड़ी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं, यह 4 हजार करोड़ रुपये की क्यों जरूरत पड़ी? इसिलए कि प्रचार-प्रसार के नाम से 4 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है तािक सरकार विकास यात्रा निकाले, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ए.सी. वाली गाड़ी खरीद ले और भीड़ इकट्टा कर ले और भाषण देकर चले आयें। यह छत्तीसगढ़ की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा है, यह सरकार विकास यात्रा के नाम से दुरूपयोग कर रही है, विकास यात्रा के नाम से सड़कों के बीच में इनकी गाडियां चल रही हैं, अगर सड़क से 5 किलोमीटर अंदर जाकर देख लें, आज भी चलने के लायक सड़कें नहीं हैं। यह सरकार बड़े विकास के दावे करती है, यहां के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाकर विकास का दावा कर रहे हैं, जरा 10 किलोमीटर गाड़ी में चलें और फिर विकास का दावा कर लें।

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) :- यही तो विकास है। पहले बैलगाड़ी में जाते रहे होगे, अब हवाईजहाज में जा रहे हो, यही तो विकास है।

श्री दीपक बैज :- आप ऊपर-ऊपर जाओगे तो वहां पर कहां से विकास देखोगे। विकास की चाहे कितनी भी बात कर लें, जब इस सरकार के मुख्यमंत्री विकास यात्रा में जाते हैं तो सड़कों में झाड़ू लगती है और जब मुख्यमंत्री जी वापस चले जाते हैं सड़कें कीचड़युक्त हो जाती हैं। उन सड़कों में बड़े-बड़े गढ़ढे हैं। 4 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रचार करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान रखा है, तािक सरकार विकास यात्रा का ढोंग करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम करे, इसीिलए सरकार ने 4 हजार करोड़ का बजट लाई है।...(जारी)...

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\f13\03.25-03.30

श्री संतोष उपाध्याय :- माननीय सभापति महोदय, एक साल में छ: हजार आवास, बड़े-बड़े पंचायतों में तीन हजार आवास हैं। मैं सरपंच रहा हूँ।

श्री दीपक बैज :- सभापित महोदय, उपाध्याय जी, आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप मेरे विधानसभा के किसी पंचायत में जाकर ढूंढ लीजिये, आप गांव को छोड़ दीजिये, अगर किसी पंचायत में सौ आवास मिलेंगे तो मैं आपका गुलामी कर लूंगा। मैं आपसे दावा करता हूँ। आपकी बात छोड़ दीजिये।

सभापति महोदय :- दीपक जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री दीपक बैज :- मैं चुनौती देता हूँ कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र के चार ब्लाक के 138 ग्राम पंचायतों में खोज लीजिये।

सभापति महोदय :- आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री दीपक बैज :- अगर किसी पंचायत में सौ आवास बना हुआ होगा तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ।

श्री संतोष उपाध्याय :- सच बोलने के लिए बोलिये।

श्री दीपक बैज :- आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। आपका जितना आवास बन रहा है, उस आवास में हमारी आदिवासी (xx)¹⁴ पालते हैं। आपका आवास कोई काम का नहीं है।

श्री संतोष उपाधयाय :- माननीय सभापति महोदय, यह कितना बड़ा अपमान है। कितना बड़ा अपमान है कि प्रधानमंत्री आवास में (xx) पाल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, बच्चों की सुरक्षा के लिए 02 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। इस प्रदेश में बच्चें सुरक्षित नहीं हैं। यहां के विधायक सुरक्षित नहीं है।

श्री संतोष उपाध्याय :- (xx) पालने वाली बात विलोपित किया जाए।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, यह हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। प्रधानमंत्री आवास जनता को रहने के लिए दे रहे हैं, ये (xx) पालने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, यह अपमान है।...(व्यवधान)

^{14 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सभापति महोदय :- नवीन जी बैठिये। प्रधानमंत्री आवास में जो (xx)¹⁵ पालने वाली बात को विलोपित कर दो।

श्री दीपक बैज :- सभापित महोदय, ठीक तो बोले हैं। यही तो हमारे बस्तर में काम है। यहां बच्चों की सुरक्षा के लि ए 02 करोड़ 30 लाख रूपये का प्रावधान है। यहां बच्चों की सुरक्षा छोड़ दीजिये, यहां विधानसभा के विधायक सुरक्षित नहीं है। आपके सामने विमल चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, उनको इतना इंडा पड़ा है कि सदन में बोल नहीं पा रहे हैं। कौन सुरक्षित है?(व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी वे बोलेंगे। कवासी जी, आप बैठिये।

श्री दीपक बैज :- रही बात पुलिस कर्मी की तो आप लोग बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहे थे। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, दीपक जी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने नेता प्रतिपक्ष जी की टांग तोड़ दी थी और उस विषय में जब विधानसभा में प्रस्ताव आया तो बहुमत के आधार पर बदल दिया गया था।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, आप बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- माननीय सभापति जी, अगर उस समय नेता प्रतिपक्ष जी टांग तोड़ी गई, तो आज भी क्या वहीं करने का इरादा है?

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, हमारे नेता जी इतने मजबूत हैं कि ये तोड़ नहीं पायेंगे। तोड़ने की बात भूल जाये।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापित महोदय, पुलिस विभाग में कार्याल य मेन्टेनेंस के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपकी सरकार में पुलिस विभाग जैसे कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आपने उस हड़ताल को कुचलने के लिए क्या-क्या प्रयास नहीं किया। माननीय सभापित महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ।जारी श्री श्रीवास

^{15 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीवास\04-07-2018\f14\03.30-03.35

जारी....श्री दीपक बैज

आपने उनको कुचलने के लिए क्या-क्या प्रयास नहीं किया? माननीय सभापित महोदय एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहां बस्तर जैसे संभाग में सहायक आरक्षक लगभग 3 से 6 हजार लोग हैं, उन्होंने सहायक आरक्षक से आरक्षक के प्रमोशन के लिए हड़ताल किया, इन्होंने जब इनके परिवार को पूछा कि आपके पित का नाम क्या है और उनको नक्सलाईट एरिया में सजा के रूप में भेज दिया गया। यहां पुलिस विभाग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस विभाग के कर्मचारी खुश नहीं है, माननीय सभापित महोदय, अंदाज लगा लीजिए, इस प्रदेश का क्या हाल होगा? 14 साल बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल, भले ही बोल लें माननीय सभापित महोदय, लेकिन आपकी सरकार में कोई बेमिसाल नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को आपने बड़े चतुराई से बढ़ा दिये......

श्री नवीन मारकण्डेय :- दो बार बढ़ायें है, दो बार ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापित महोदय, हम लोगों ने उसी दिन एलान कर दिया था, आप आंगनबाड़ी का तनख्वाह बढ़ा ले, कोटवार का बढ़ा ले, आप पटेल का बढ़ा ले, चाहे आप मितानिन का बढ़ा लें, आपको वोट देने वाले नहीं है । उसी का नतीजा है, एक महीना भी नहीं हुआ है सभापित महोदय, सरकार के खिलाफ में आंदोलन हुआ । आज मजबूरी में आंदोलन के सामने झुकना पड़ा । संचार के लिए बस्तर जैसे क्षेत्र में आपने कल्पना की है, जहां टॉवर नहीं है, बिजली नहीं लगा है, वहां पर आपने मोबाईल बांटने का काम किया है, क्या आपको मोबाईल बांटने के लिए किसी ने आंवेदन किया, ग्राम सुराज में आंवेदन किया, शिविर में आंवेदन किया कि मोबाईल चाहिये, माननीय सभापित महोदय, आवेदन किया है तो बिजली, पानी, सड़क के लिए, न कि आपके मोबाईल के लिए आंवेदन किया है । सभापित महोदय, आप यह चाल चल रहे हैं, तािक पहले राशन कार्ड दे दे और सरकार बना ले, मोबाईल दे दे और सरकार बना ले । माननीय सभापित महोदय, अब वह समय नहीं रह गया है । चाहे आप मोबाईल दे दे, टी.वी. दे दे, इस टाईम छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नही करेगी । शिक्षा कर्मियों के लिए आपने 1400 करोड़ रूपये का प्रावधान कर दिया । माननीय सभापित महोदय, क्या आप 1400 करोड़ रूपये देकर एहसान कर रहे हैं? 22 साल से तरस खाकर, आपने डण्डा मारकर, उनका अधिकार दिया है, आपने कोई एहसान नहीं किया है, आज आपने 8 साल रख दिया, उनका संविलियन एक साल से करिये, हम समर्थन करने को तैयार हैं ।

श्री संतोष उपाध्याय :- माननीय सभापति महोदय, भर्ती करने के पहले सोचना था ?

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, आपने शौचालय बनाया । गांव में शौचालय के लिए पैसा नहीं है । हमारे बस्तर में हालात क्या है ? शौचालय की कल्पना कर सकते हैं ? पीने के लिए पानी नहीं है, वहां पर नहाने के लिए पानी नही है । माननीय सभापति महोदय, हमारे बस्तर में म्र्गियां अण्डे दे रही है और शिक्षा व्यवस्था का तो ब्रा हाल है । माननीय सभापति महोदय, जहां स्कूल है, वहां ग्रूजी नहीं है, जहां ग्रूजी हैं, वहां पर बच्चे नहीं है । माननीय सभापति महोदय, यह क्या हालत है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में आप बोल रहे हैं कि 15 साल बेमिसाल, स्शासन, आप रायप्र के राजधानी में देख लीजिए, लाखों लोग सड़कों पर है । आप चाहे रावन भाठा जाकर देख लीजिए, चाहे आप बूढ़ा तालाब देख लीजिए, चाहे ईदगाह भाठा देख लीजिए, विद्या मितान हड़ताल में, अपनी मांगों को लेकर सहकरी समिति हड़ताल में है, अपनी मांगों को लेकर, संविदा कर्मी लगभग 1,80,000 लोगों को लेकर हड़ताल में है, डाक कर्मी हड़ताल में है, रसोईया को प्रतिदिन 40 रूपया दे रहे हैं, वन कर्मी हड़ताल में है, कोतवाल हड़ताल में है, पटेल हड़ताल में है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हडताल में है, किसान हड़ताल में है, युवा, डी.एड;, बी.एड, आज 1,80,000 बेरोजगार हड़ताल में है । प्लिस कर्मी, मितानिन, कर्मचारी, सब परेशान है । माननीय सभापति महोदय, इस समय आपको जनता नहीं बख्शेंगी, आप चाहे लाख दावा कर लें, ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता है । आप चाहे 4 हजार करोड़ का बजट बना लें, चाहे आप 90 हजार करोड़ का बजट बना लें, इस सरकार की बिदाई तय है । आपने 4 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा है । आप शिक्षा कर्मियों के पूरे लोगों का संविलियन कर दीजिए, इस बजट का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पूरे कर्मचारी हड़ताल पर है ।

इनके बारे में भी चिन्ता करिये । मैं इस सरकार के बजट का विरोध करता हूँ । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- डॉ. विमल चोपड़ा ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- दीपक जी, आपके ऊपर वाले जिस प्रदेश में गये हैं, आप लोग बचे ही नहीं हो । आपके प्रदेश वाले जिस-जिस प्रदेश में गये हैं, वहां बचे ही नहीं हो ।

श्री दीपक बैज :- इसकी चिन्ता तो अब आपको करनी चाहिये।

श्री केशव चन्द्रा :- डॉ.साहब, शर्मा जी की इच्छा है कि आपको पुलिस वाले पिटे हैं, उनको सदन में बता दें ।

डॉ.विमल चोपड़ा :- और कितना कुर्ता फड़वाओगे ?

श्री दीपक बैज :- चोपड़ा जी, थोड़ा सहमें-सहमें लग रहे हैं, खुलकर बोलिये आज ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- डर इतना है कि मैं यहां रात भर बैठे रहता हूँ ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब आपका समय वेस्ट हो रहा है । इसलिए बोल रहा हूँ ।

डॉ.विमल चोपड़ा :- अब मैं क्या करूं सभापति महोदय जी ?

सभापति महोदय :- इधर देखकर बोलिये ना, आपका नाम प्कारा गया है, आप चालू करिये ।

श्री कवासी लखमा :- वहां महासम्ंद में भी परेशान है, यहां भी परेशान है

श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\f15\03.35-03.40

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, उनको पर्याप्त अवसर दीजियेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, पूरा बतायेगा, पीछे घूमा के, सामने सब ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक विधायक की पीड़ा को सुनने के लिये आप तैयार रहें ।

सभापति महोदय :- बैठे हैं न इसीलिये तो नाम पुकारा है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उनके साथ और क्या-क्या ग्जरा है उसको देखियेगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, उनको तो डंडा मारा गया है। हमारी एक महिला विधायक को एक अधिकारी ने हाथ पकड़कर खींचा गया है राजनांदगांव में यह तो हाल है, विधायक लोग स्रक्षित नहीं हैं। यहां कौन स्रक्षित है, महिला विधायक भी स्रक्षित नहीं हैं।

श्री नवीन मारकण्डेय :- लेकिन दादी आप स्रक्षित थे कि नहीं थे ?

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा है । कई बार मैं सोचता हूं कि यह बजट बनता कैसे है ? सरकार के पास पैसा है कि नहीं है कि केवल कागज में लिख दिया गया । मैं दो बार नगरपालिका अध्यक्ष था ।

श्री कवासी लखमा :- यह बजट नागपुर से बनता है यहां केवल पढ़ाते हैं । इन लोग नहीं बनाते हैं । (हंसी) डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय सभापित महोदय, मैं दो बार नगरपालिका अध्यक्ष रहा । मैं सोचता था कि नगरपालिका का बजट जो है काल्पिनक होता है लेकिन जब यहां पर आकर बैठा तो मुझे लगने लगा कि सारा बजट ही पूरा काल्पिनक होता है । पैसा हो न हो लेकिन आप लिखते जाईये । 82,000 करोड़ का पहला बजट आप लाये वह पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, कहां गया, क्या हुआ और 44 सौ करोड़ का आप अनुपूरक बजट ले आये । माननीय सभापित महोदय, आप इस बजट में देखेंगे तो समारोह हेतु अनुदान इसके लिये 19 करोड़ रूपये और महाविद्यालय भवन के लिये 100 रूपये यह कैसा बजट है, इस बजट में कौन सी दिष्ट है, कौन सा विजन है कि कौन से काम को हमको प्रॉयोरिटी देनी है, कौन सा काम हमारे छत्तीसगढ़ के लिये प्राथमिकता के साथ हमको करना चाहिए यह कोई विजन ही नहीं है । 100 रूपये महाविद्यालय के लिये और 19 करोड़ रूपये आपके आयोजन के लिये ऐसे बजट से छत्तीसगढ़ का भला नहीं होने वाला है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उसके बाद भी तो राज्यसभा की जब वोटिंग होती है तो आप उन्हीं को वोद दे देते हैं । (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- उसी का ईनाम उन्हें अभी कुछ दिन पहले मिला है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मार भी खाओ और वोट भी दो ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय सभापित महोदय, हमारे विद्या मितान बैठे हैं । जब हम लोगों ने देखा था कि आऊटसोर्सिंग की बात चलती थी विधानसभा में तो हमको लगता था कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में योग्य लोग नहीं हैं । सरकार चिल्ला-चिल्लाकर कहती थी कि हमारे पास वह योग्य लोग नहीं हैं जो वहां जाकर बस्तर में पढ़ां सकें । हमको भी लगा कि सरकार की अच्छी योजना है, बस्तर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से ले आयें, भेज दें, कार्यवाही भी हुई, लोग भर्ती भी हुए लेकिन आज जब हम मैदान में जाते हैं तो देखते हैं कि वह सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं कोई बाहर के प्रदेश का नहीं है । आज यदि वे छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो उनकी वह संविदा की नियुक्ति समाप्त क्यों नहीं की जाती और उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता ? आप वहां जाकर देखिये एमएससी मैथमेटिक्स वाले जो योग्य हैं, बीएड किये हुए लोग हैं, उनको कंपनी 13,000-15,000 रूपये देती है । कंपनी को सरकार 28,000 रूपये देती है यह कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि यदि छत्तीसगढ़ के लोग योग्य हैं तो यह आऊटसोर्सिंग की जो कंपनी भोपाल से आकर के यहां काम कर रही है उसको बंद करना चाहिए और हमारे जो पूरे विद्यामितान लोग हैं उनको रेगुलर करना चाहिए और सरकार को उनको यह भरोसा दिलाना चाहिए आज नहीं तो हम महीन-2 महीने बाद उनको रेगुलर करेंगे । हमको उस समय लगता था जब आऊटसोर्सिंग की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग नहीं हैं, सरकार उस समय लगता था जब आऊटसोर्सिंग की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग नहीं हैं, सरकार उस समय लगता था जब आऊटसोर्सिंग की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग नहीं हैं, सरकार

.....शी यादव

यादव\04-07-2018\f16\3.40-3.45

.....(जारी डॉ.विमल चोपड़ा) :- माननीय सभापित महोदय, उनको न्याय मिलना चाहिए । उनको वाजिब हक मिलना चाहिए । सरकार ने जिस कारण से आऊटसोर्सिंग की थी कि यहां पर योग्य नहीं है । यदि यहां छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि उनका वाजिब हक उनको मिले ।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि निराश्रितों की पेंशन राशि दोग्नी की जाए । यह सरकार के घोषणा पत्र में है । जो 250 रूपए है, वह 500 रूपए किया जाएगा । जो 300 रूपए है, वह 600 रूपए किया जाएगा । लेकिन आज वह बूढ़े हाथ 300 रूपए के लिए भी तरस रहे हैं। उनको कभी पांच महीने, कभी छह महीने, कभी सात महीने में पेंशन की राशि मिल रही है । सरकार ने यह घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम उनको नगद देंगे, लेकिन उनको आज भी 40 किलोमीटर दूर बैंकों में जाना पड़ रहा है । यदि वह दो बार आते जाते हैं तो 300 रूपए की राशि समाप्त हो जाती है । वह ऐसे बूढ़े हाथ हैं जिन्होंने जवानी के दिनों में इस देश, प्रदेश की सेवा की है । जब उनके हाथों में ताकत थी तो उन्होंने सड़क, बिल्डिंग बनाई है, सब चीजों का निर्माण किया है । आज यदि वह असहाय हैं तो क्या उनको सरकार 700, 800, 1000 रूपए नहीं दे सकती ? एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार का काम करता है इसलिए उसको हजारों रूपए पेंशन मिलती है, लेकिन एक प्रायवेट आदमी जो मजदूरी करके इस छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है, बरसात में काम कर रहा है, क्या उसको सरकार 1000 रूपए महीना नहीं दे सकती ? ऐसे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए । ऐसे लोग संगठित नहीं हैं । लगता है कि वह वोट बैंक नहीं हैं । इसलिए सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है क्योंकि यह 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते । वह सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते । वह सरकार के पास आ नहीं सकते । इसलिए सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है कि 300, 350 रूपए दे दिया जाए और उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए । छत्तीसगढ़ में 20 लाख

निराश्रितों की संख्या है । वह चाहें तो किसी सरकार को बदल सकते हैं । इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं है कि वह ताकत दिखा सकें, वह बैठ सकें, वह आ सकें । इसलिए सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है । माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठीक है, सरकार हजार रूपए नहीं कर सकती तो सरकार ने जो वादा किया था कि हम दोगुना करेंगे, उतना तो यह सरकार कर दे। हम हर जगह हम देखते हैं कि शहर में चारों तरफ चकाचौंध है । आप नया रायपुर चले जाइए, जहां पर रहने वाला आदमी नहीं है, वहां 100, 100 मीटर की सड़कें, गार्डन, लाईट है ।

समय:

3:43 बजे (सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

वहां पीने के पानी की व्यवस्था मिलेगी । लेकिन जहां पर 100, 100 साल से गांव में लोग रहते हैं, वहां सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है । हमारी प्राथमिकता क्या है ? हमने नया रायपुर बसा दिया है, लेकिन रहने वाला आदमी नहीं है । जिन गांवों में 150 साल से लोग रहे रहे हैं, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां सड़क नहीं हैं, वहां लाईट नहीं है, वहां नाली नहीं हैं । उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और गांव की तरफ जाना पड़ेगा । यदि हम बजट का हिस्सा देखेंगे तो वह शहरों में जा रहा है, गांव में नहीं जा रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव में गौरव पथ भी ऐसी जगह बन रहे हैं जहां आदमी नहीं रहते हैं । यह जंगल और खेत में बन रहे हैं । हमारे महासम्द में दो गौरव पथ स्वीकृत हुआ है। एक राईस मिल में जाता है, दूसरा खेत से एक किसान के घर में जाता है। सरकार सवा करोड़ रूपए ऐसे ही फेंक रही है सिर्फ इसलिए कि कोई देखने, जानने वाला नहीं है कि यह सड़क, गौरव पथ कहां बनना है । इसलिए मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं कम से कम उस जगह का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां पर सड़क बना रहे हैं, कैसी सड़क बना रहे हैं । यह ध्यान सरकार को रहना चाहिए । इस बजट में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या हो, इसको सोचना चाहिए । मैं कई बार देखता हूं कि जहां पर हम 50 लाख में सड़क बना सकते हैं, वहां 5, 5 करोड़ की सड़क बनती है । क्योंकि किसी जनप्रतिनिधि से विचार विमर्श नहीं होता है कि वहां पर मुरूम की सड़क चलेगी या वहां पर डामर की सड़क चलेगी ? वहां डब्ल्यूबीएम सड़क में काम चल जाएगा या कैसी सड़क में काम चलेगा ? जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का कोई विचार नहीं होता । सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं(जारी)

श्री मिश्रा

जारी.. डॉ. विमल चोपड़ा :- माननीय सभापित महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला सरकार थी अच्छी व्यवस्था थी। वहां कम से कम इस बात पर विचार-विमर्श तो होता था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठकर बजट बनाते थे कि कहां, कैसा काम होना चाहिए। उसमें सरकार का विकेन्द्रीकरण था, बजट में विकेन्द्रीकरण था। वह व्यवस्था फिर से लागू होनी चाहिए। चाहे विधायक हों, सांसद हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, जनपद के अध्यक्ष हों यह सब बैठकर यदि अपने क्षेत्र के बारे में विचार करें तो मुझे लगता है कि कम पैसे में हम ज्यादा विकास कर पायेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूं कि बजट में पैसा तो उतना ही है जितना आपके पास है, पैसा आप ज्यादा ला नहीं सकते, है लेकिन आप इससे ज्यादा खर्च कर लीजिए, आप 4400 करोड़ रूपये की मांग कर रहे हैं, आप चाहे और जितना पैसा ले लीजिए, हमको कोई आपित्त नहीं है, आपके पास जितना पैसा है उतना खर्च कीजिए लेकिन खर्च कैसे होना चाहिए, ये बजट कैसे बनना चाहिए, इसकी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए तब हमारा छत्तीसगढ़ प्रगति करेगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय डॉक्टर साहब, हमारी सरकार के लिए तो कुछ बचाईये। सब खर्च कर देने से क्या होगा बताईये?

डॉ. विमल चोपड़ा :- नहीं, खर्च करेंगे फिर नोट छाप लेना। माननीय सभापित महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि बजट के एक-एक पैसे का उपयोग जनहित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए इसिलए बजट बहुत विचार-विमर्श के बाद और निचले स्तर पर विचार-विमर्श होकर बने तो ज्यादा उपयोगी होगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापित महोदय, मैं प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांग संख्या 1 से लेकर 81 तक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापित महोदय, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। ये सरकार पहले मूल बजट में जो प्रावधान की थी उस पैसे को आज तक खर्च नहीं की है उसके बावजूद आज चार हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट इस सदन के अंदर प्रस्तुत किए हैं जबिक पहले बजट का खर्च अभी तक नहीं किए हैं। किसानों को हर साल बोनस देने की बात कही गई थी लेकिन पांच साल में से एक साल बोनस देकर किसानों को ठगने का कार्य इस सरकार ने किया है। सरकार के द्वारा एक-एक दाना खरीदने की बात की गई थी लेकिन किसानों से एक-एक दाना की खरीदी नहीं किए। किसान सरकार के प्रति आक्रोशित हैं कि सरकार के लोग एक-एक दाना खरीदने की बात बोले थे लेकिन 12-14 क्विंटल खरीदकर ही उनको संतोष करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार दो साल से अकाल पड़ रहा है और दो साल के घोर अकाल के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा सूखा राहत भी देखकर कहीं-कहीं, कुछ-कुछ लोगों को दिया है। लोगों को बोनस भी ढंग से मिला नहीं है। बीमा की राशि भी नहीं मिली है। पता नहीं बीमा कंपनी के

माध्यम से कौन सा ऐसा रोस्टर तैयार किए हैं जिसके कारण किसानों को सही मात्रा में बीमा की राशि नहीं मिल रही है। कहीं किसी गांव मे किसी को 100 रूपये, किसी को 200 रूपये का बोनस दिया जा रहा है। सूखा राहत की भी वही स्थिति है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में सूखा राहत के नाम से किसान दर-दर भटक रहे हैं। राजनांदगांव जिले में आप देख लीजिए, सूखा की मार झेल रहे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गये हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए सबसे ज्यादा किसान राजनांदगांव जिले में आत्महत्या किए हैं। इससे पहले कभी इतना बड़ा हादशा किसानों के ऊपर नहीं होता था। आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है और कर्ज से डूबा हुआ है लेकिन सरकार किसानों के प्रति चिन्ता नहीं कर रही है। हमेशा बजट में प्रावधान रखते हैं लेकिन बजट का सदुपयोग नहीं होता। मूल बजट में कितना बड़ा प्रावधान था, लेकिन वह पैसा अभी तक व्यय नहीं किये हैं लेकिन आज अनुपूरक बजट में माध्यम से और साढ़े चार सौ करोड़ रूपये की मांग कर रहे हैं। जो बजट बजटेड था वह आज एक भी काम पूरा नहीं हो पाया है चाहे वह सड़क का हो,

श्री कुरैशी

क्रेशी\04-07-2018\f18\03.50-03.55

जारी-----श्री भोलाराम साहू :-

चाहे सड़क का हो, चाहे स्कूल का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो । प्रदेश में एक भी काम पूरा नहीं हो पाया है । राजनांदगांव जिले के मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में बजट में शामिल एक भी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है । इसलिए इस साढ़े चार हजार करोड़ का बजट पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान से लेकर मजदूर, युवा साथी, बेरोजगार, दैनिक वेतन भोगी, शिक्षा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, पुलिस परिवार, नर्सें आंदोलन कर रहे हैं । क्यों कर रहे हैं, आंदोलन करने का क्या कारण है ? क्योंकि सरकार ने 15 सालों तक इन लोगों की कोई चिंता नहीं की और इस कारण प्रदेश के नवजवान, किसान, कर्मचारी आंदोलित हैं । लेकिन सरकार उनके प्रति कोई चिंता नहीं कर रही है । 45 विभाग के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल हमने देखा की रायपुर में कितनी भीड़ लगी हुई थी । जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 6 हजार करोड़ का बजट था ।

श्रीमती सरोजनी बंजारे (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापित महोदय, हमारे भोला भाई राजनांदगांव जिले में रहते हैं और मैं भी राजनांदगांव जिले की हूं । अकेले राजनांदगांव में ही 2100 करोड़ का बोनस बंटा है और 400 करोड़ की फसल बीमा की राशि भी उपलब्ध कराई गई । वहां सूखा राहत भी मिला है। वैसे ही डेढ़ सौ से दो सौ दिनों का मनरेगा में काम भी हुआ है । सभापित महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि सबसे पहले पंक्ति में तो यहीं के साथी फसल बीमा का लाभ लिए हैं और बोनस का लाभ लिये हैं,

बल्कि हमारे बीजेपी वाले पीछे थे । (व्यवधान)

श्री भोलाराम साह् :- मैं जानता ह्ं राजनांदगांव जिले को । (व्यवधान)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- भोला भइया को जवाब देना पड़ेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- बहन सरोजनी बंजारे जी अपने ही विधान सभा क्षेत्र का थोड़ा मूल्यांकन करा लें तो पता चल जाएगा कि डोंगरगढ़ विधान सभा में कहां-कहां मिला है ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने कल जिन गांवों के नाम का उल्लेख किया था, मैडम के गांव के 66 व्यक्तियों को नहीं मिला था । मंत्री जी आप घोठिया का देख लीजिएगा । ये अपने गांव के बारे में नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि शासन के विरोध में बात हो जाएगी ।

श्री मोहन मरकाम :- इन्होंने स्वीकार भी किया है।

श्रीमती सरोजनी बंजारे :- सभापति जी, वह वनांचल का गांव था और एकाध छूट गया होगा । परंत् लगभग सभी को मिला है, इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते ।

श्री भोलाराम साहू :- बंजारे जी, आप अपने क्षेत्र में जाकर पता कीजिए ।

श्री केशव चन्द्रा :- फसल बीमा का पैसा तो राजनांदगांव जिला गया है । पूरा पैसा केवल राजनांदगांव जिले में गया है, बाकी प्रदेश में कहीं नहीं गया, फिर भी आप लोग लड़ रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- भोला भइया । आपको कितना मिला यह बता दो ।

श्री भोलाराम साह :- आप रिकार्ड देख लो ।

श्री राजेश मूणत :- रिकार्ड तो मेरे पास भी है । आपका मेरा तो पुराना संबंध है ना । है या नहीं, यह बताओं ।

श्री भोलाराम साह् :- अब वो विधान सभा में हैं तो संबंध रहेगा ही, लेकिन ।

🕪 श्री राजेश मूणत :- अच्छा ये बताओ आपको कितना मिला, यह बताओ बस ।

श्री भोलाराम साह् :- यह आप रिकार्ड दिखवा लीजिए ।

श्री केशव चन्द्रा :- लेकिन आपसे ज्यादा संबंध चन्द्राकर जी के साथ है ।

समय

3.53 बजे (अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- किसी पुरूष से उसकी सम्पत्ति और महिला से आयु नहीं पूछना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं । आज देश की केन्द्रीय सरकार ने अपने कैबिनेट में निर्णय लिया है और धान का समर्थन मूल्य 200 रूपया बढ़ा दिया है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- केवल 200 ।

श्री धनेन्द्र साहू :- 2100 रूपए का क्या हुआ ? ऐसे में तो आप 20 साल तक 2100 रूपया नहीं दे पाओगे । (व्यवधान) 2022 में आएगा क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, आप सुन लो । आपका मुंह बंद हो जाएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने.....

जारी----श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\04-07-2018\f19\3.55-60

जारी....श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और सुन लो, आपका मुंह बंद हो जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र को 21 सौ रूपए समर्थन मूल्य करने के लिए भेजा था, आज 1570 रूपए रेट है, 300 रूपये बोनस दे रहे हैं, 200 रूपये समर्थन मूल्य बढ़ गया तो 21 सौ रूपये हो गया । (मेजों की थपथपाहट) जो हमने कहा, वह किया । आप लोग जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाओंगे ? इसके लिए हम नरेन्द्र मोदी जी को, राधाकृष्ण जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं ।(व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू:- काहे का धन्यवाद। लागत मूल्य से डेढ़ गुना की बात हुई थी....

श्री अमरजीत भगत :- आपने 21 सौ रूपये की घोषणा की थी।

श्री धनेन्द्र साहू: - आपने 21सौ कहा था, 21 सौ कहां है, लागत मूल्य को डेढ़ गुना बोला, डेढ़ सौ रूपये लागत मूल्य यही डेढ़ गुना है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों के चेहरे में लालिमा और खुशी आ गई और छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति बह्त सक्षम होगी, जो डेढ़ गुना फसल का मूल्य करने के लिए हमने मांग

की थी, उसके भी केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और 200 रूपये की मांग को पूरा कर दिया, उसके लिए हम केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 2000 रूपये लागत मूल्य है, 3 हजार रूपये होने चाहिए । बिना मांग किए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । डेढ़ गुना मूल्य बढ़ाने की बात हुई थी, कौन सा डेढ़ गुना किया ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग कभी 20 रूपये बोनस नहीं दिए, 200 रूपये बढ़ने पर भी खुश नहीं है ।

श्री धनेन्द्र साह् :- 200 रूपया नहीं, लागत मूल्य से डेढ़ गुना करने की बात हुई थी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां तो लागत मूल्य का डेढ़ ग्ना ज्यादा हो गया ।

श्री भोलाराम साह् :- नहीं ह्आ है ।

श्री धनेन्द्र साह् :- लागत मूल्य 2000 रूपये क्विंटल है, लागत मूल्य 2000 रूपये आता है ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी 200 रूपये केन्द्र से बढ़ा हुआ रेट बता रहे हैं, पांच साल से 21 सौ रूपये देना था, लेकिन पांच साल से किसी किसान को 21 सौ रूपये नहीं मिला है और 300 सौ रूपये बोनस मिलाकर 24 सौ रूपये प्रति क्विंटल होना था, तो शेष जो हमारा बचा है, वह अभी तक नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी, आप 21 सौ रूपये और 300 रूपये जोड़कर आप दिलाने का काम कीजिए । माननीय मंत्री जी, हमको बोनस बीमा नहीं मिला है। आप बोल रहे हैं कि कितना मिला ? आप रिकार्ड दिखवा लीजिए कि हमको कितना मिला है।

श्री धनेन्द्र साहू :- बार-बार कांग्रेसियों की बात आती है तो कोई यहां ले आएं फसल बीमा का लाभ कांग्रेसियों को मत मिले, आप विधेयक पास कर दें, कानून बना दें ।

श्री देवजी पटेल :- धनेन्द्र भैया, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । आप ये बताइए कभी याद है कि आपने 200 रूपये कभी एक साथ बढाया है ?

श्री धनेन्द्र साहू :- आपने 21 सौ रूपये की बात की तो 10 साल में पहुंचे गए हो क्या ? 2110 रूपये पहुंचे हो क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको आता है कि नहीं ? 1570 रूपये समर्थन मूल्य, 300 रूपये बोनस और 200 रूपये बढ़ाकर कुल 2070 रूपये हो गए । आपको जोड़ना आता है कि नहीं ? श्री धनेन्द्र साहू :- 300 रूपये बोनस 12 लाख किसान को दिए । प्रदेश में 37 लाख किसान हैं और आप 12 लाख किसानों को बोनस दे रहे हो और 15 क्विंटल में बोनस दे रहे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों को पंजीयन कराने से रोक कौन रहा है, सब पंजीयन करा लें, उसमें क्या है ?

श्री धनेन्द्र साहू :- आज भी पंजीयन करा लो । आप ही नियम बना रहे हो, आपका कृषि विभाग नियम बना रहा है कि उत्पादन बढ़ेगा तो बोनस देंगे, आपने ही अपने आदेश को पलट दिया ।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- आपने पंजीयन क्यों नहीं कराया ? पंजीयन कराना चाहिए ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली के बिल से बहुत चिन्तित हैं । बिजली बिल इतना बड़ा हुआ आ रहा है, अभी स्पॉट बिलिंग चालू किया गया है, हमारे पूरे छुरिया क्षेत्र में इसके पहले ऐसे ही कर देते थे, स्पॉट बिलिंग में 40-45 हजार बिल आ रहा है । करेंट तो लगना ही लगना है, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो 40-45 हजार रूपये बिल आएगा तो गरीब आदमी कहां से 45 हजार पटायेगा । मनरेगा का भी नहीं मिला है । इस प्रकार से भारी अनियमितता है और जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री देवांगन

देवांगन\04-07-2018\g10\04.05-04.10

अध्यक्ष महोदय :- श्री टी.एस. सिंहदेव। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित सभी साथियों का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने बोलने के पहले स्वागत किया। कल की सदन की कार्यवाही के बाद आज बोलने का मौका मिला है और मेरी कुछ भावनाएं जैसी थी, शायद जैसी नहीं होनी चाहिए, वैसी प्रदर्शित हुई थी तो मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आत्मनियंत्रण रखूं। जो मैंने कहा, उसमें आपने निर्णय दिया है, वह अपनी जगह है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- नेता जी, आज अजय चंद्राकर जी नहीं हैं।(हँसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैंने तो कल भी कहा था कि वहां से...।

श्री केशव चंद्रा :- लेकिन बाउंसर डालिये। बिना बाउंसर के ये लोग आऊट होने वाले नहीं हैं। (हँसी)

अध्यक्ष महोदय :- सामान्यतः माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं तो बह्त आवश्यक हो, तभी टीका-टिप्पणी करें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के प्रथम अन्पूरक के संदर्भ में मैं अपनी राय रखने के लिए खड़ा ह्आ हूं, जिसमें चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रुपये का प्रस्ताव विभिन्न भारित विनियोग और मांग संख्याओं के माध्यम से रखा गया है । प्न: इस अन्पूरक के पूर्व के अन्पूरकों में भी मैंने जिस बात को रखा कि शासन ने लगता है कि अभी भी सीएजी की रिपोर्ट का अनुसरण नहीं किया, जिसमें सीएजी ने यह कहा कि पूर्व के लगातार वर्षों में बजट के प्रस्तावों के बाद दो-दो, तीन-तीन, चार-चार अन्पूरक लाने के बाद प्रथम बजट के पारित राशि को भी खर्च कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं आ सकी। एक साथी ने, मेरे ख्याल से विनोद जी ने कहा भी कि बजट के प्रावधानों का औचित्य क्या होता है ? ये क्या केवल हम आंकड़े प्रस्त्त कर रहे हैं कि इसमें कुछ वास्तविक आधार भी है? सीएजी ने जो आपत्तियां उठायी हैं, इस अन्पूरक को मैं उस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। क्या आपके पास साल में पैसे नहीं होते, प्रथम बजट के प्रावधानों के संदर्भ में खर्च करने के लिए भी और आप अनुपूरक के बाद अनुपूरक और अनुपूरक के बाद अनुपूरक प्रस्तुत कर देते हैं ? अध्यक्ष महोदय 337 करोड़, 11 लाख रुपये ऋण की अदायगी के हैं। इसके पहले भी इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। अभी तो हम 25 प्रतिशत जीएसडीपी के अनुपात में लोन लेने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, तब ये परिस्थितियां हैं कि हमको एक समय में एक अनुपूरक में ये अतिरिक्त प्रावधान ? क्या हम पहले बजट में इसको देख नहीं सके ? अनुपूरक में 337 करोड़ का प्रावधान 6 महीने के अंदर ? 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, फरवरी से 6 महीने मान लीजिए, हमारी दूरदर्शिता कितनी ? माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तमंत्री हैं और हम देख नहीं पाये कि हमने कितना लिया हुआ है, कितना हम लेना चाह रहे हैं, बजट में आप प्रावधान रख रहे हैं सड़कों, इत्यादि के लिए हम 20 हजार करोड़ लेंगे, 30 हजार करोड़ लेंगे, इत्यादि और आप बजट बनाने की स्थिति में अपनी परिपक्वता को इस एक आंकड़े के माध्यम से भी परिलक्षित कर रहे हैं कि हम देख नहीं पाते कि हमको अपने छत्तीसगढ़ में कितना खर्चा है और कितना हमको खर्चा करना है और क्या हम प्रावधान कर रहे हैं और क्या हम प्रावधान कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, भारित विनियोग के अतिरिक्त 13 म्ख्य मांगों में सरकार का जो प्रावधान है, वह चार हजार छै सौ साठ करोड, इकतालीस लाख, ब्यालीस हजार, पांच सौ रुपये का हो जाता है, 13 मद संख्या के माध्यम से। मैं और देखने की कोशिश कर रहा था कि ये पैसा मुख्य रूप से जा कहां रहा है ? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 267.28 करोड़ का प्रावधान है। मितानिनों के लिए 66 करोड़ 81 लाख का प्रावधान है, पीडब्ल्यूडी के लिए 122.54 का, उसमें भी क्या-क्या लिखा था, रेलवे का ज्यादा है या पुलिया का ज्यादा है और गुरुजनों के लिए जो व्यवस्था की गई है माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च और उच्चतर विद्यालयों के लिए ...

जारी ... श्रीमती सविता

सविता\04-07-2018\g11\04.05-04.10

जारी श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरूजनों के लिए जो व्यवस्था की गई है। माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च और उच्चतर विद्यालयों के लिए एक हजार, 25 करोड़ का प्रावधान है। अलग-अलग मांग संख्याओं और मदों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1269.17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, आंगनबाड़ी के लिए 43.738 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, संचार मोबाईल के लिए अलग-अलग 4 मांग संख्याओं के माध्यम से 45.6, 215.38, 68.01 और 283.4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और नवीन मुख्यमंत्री पेशन योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 164.42 करोड़ और नगरीय क्षेत्रों में 35.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंट्री टैक्स की जो भरपाई है उसके लिए 375.2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक के माध्यम से जो राशि मांगी जा रही है...।

अध्यक्ष महोदय :- वे कुछ बोलना चाह रहे थे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं चलिये।

श्री टी.एस.सिंहदेव 🛌 अब तो हाथ मिला लिया है। (हंसी)

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- नहीं। अध्यक्ष जी ने कुछ कहा तो हमने कहा कि नेता जी और नेता प्रतिपक्ष इतने अच्छे हैं कि उनको देखकर कुछ बोलने का मन मचल ही जाता है तो कैसे रोके? इसलिए हम यहां पर एक अनुरोध कर रहे थे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ये मचलने वाला शब्दा बड़ा, आप समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मचलते हुए, बोलिए । चलिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ये मचलने वाला शब्द गड़बड़ है।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल):- नेता जी, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नहीं दिल भी मिलायेंगे। मैं तो दिल मिलाने में विश्वास रखता हूँ। हाथ तो औपचारिकता है और मुझ से कहीं गलती हुई हो तो बिल्कुल दिल पहले हाथ बाद में बढ़ाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बृजमोहन जी ने किसानों के संदर्भ में जो बात रखी, अनुप्रक चल ही रहा था, उसमें 200 रूपये की जो बात सामने आयी। ये कल से ही आ गया था कि बोनस के 200 रूपये बढ़ने की बात सामने आने वाली है, उसमें जो लोगों का आंकलन है कि इसमें जो बढ़ोत्तरी हो रही है जिस बात को देश के भावी प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दो गुना करेंगे, लागत मूल्य का डेढ़ गुना, किसान की आमदनी को हम दो गुना करेंगे। उसमें ये जो बढ़ोत्तरी है, शायद 16 प्रतिशत के आसपास की आ रही है कुछ आंकलन तो और कम के भी हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए 8 साल से 20 साल लगेंगे, जिस लक्ष्य की बात वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कही थी और बाद में जो कोड करते हैं उसमें बार-बार उस बात को रखते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखना चाहिए और माननीय बृजमोहन जी ने भी जिस बात को कहा कि हम 2100 रूपये के आसपास पहुँच गये हैं तो अपने ये बात 5 साल पहले कही थी 5 साल पहले के 300 रूपये अभी भी अब कम है। किसानों के लिए जो आपने कहा था पिछले चुनाव के पहले, हम उस समय वर्ष 2013 में करेंगे, आप 5 साल बाद उसके नजदीक पहुंचे हो, वहां तक आप अभी भी नहीं पहुंचे हो जो आपने किसानों की उम्मीद, उनकी आवश्यकताओं को भांप कर, उस समय कहा था तो यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत ही है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मक्के की खरीदी की बात कही है। आपने 120 करोड़ रूपये चने की खरीदी के लिए इस अनुपूरक में रखा है क्या ये 120 करोड़ रूपये पर्याप्त है ? क्या आपकी व्यवस्था उचित है ? आपने चने की खरीदी को किस भाव में किसान को बेचने के लिए मजबूर किया? आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य में चना न खरीदकर, 28 रूपये में चने को बेचने के लिए मजबूर किया। जब स्वयं आपकी संस्था पी.डी.एस. के लिए 43 रूपये में चने को खरीदती है तो ये सरकार की अदूरदर्शिता पहले ही बजट में, मूल बजट में जिस बात का प्रावधान होना चाहिए था कि चने के उत्पादन की खरीदी, हमको पी.डी.एस. में भी चना लगने वाला है पूरे चने का कुछ प्रतिशत ही लगता भले। लेकिन जिस बात के लिए आपको सीजन के पहले प्रावधान करना चाहिए था, आपने किसानों को 28 रूपये तक में बेचने के लिए मजबूर कर दिया और उस स्थित से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद में आपने कुछ राशि का प्रावधान किया है। ये राशि के आवंटन की भी बात जो 120 करोड़ की आ रही है। ये ही पून: यहां अदूरदर्शिता को दर्शाता है ..

जारी श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\g12\04.10-04.15

पूर्व जारी.. श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, बड़ी राशि और बड़ी बात जिन बातों को लेकर हो रही है, स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में आपने जो आवंटन किया है, मैं कल या परसों के प्रश्नों के उत्तर को देख रहा था, उसमें स्वयं सरकार का जवाब उस संदर्भ का आया है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अभी भी कार्ड नहीं बने हैं, उनका चाहे नवीनीकरण हो या नये प्रारूप में उनको जारी करके उपलब्ध कराना हो, अभी भी कार्ड नहीं बने हैं। आप कागज में ये जो अपर्याप्त प्रावधान कर रहे हैं, ऐसे भी नागरिकों तक सेवा के रूप में पहुंचने के लिए अपर्याप्त हैं। गृह विभाग के लिए 84.562 करोड़ रुपये का आवंटन है, इसमें कहीं चुनाव की बात है, कहीं प्रबंधन की बात है, कहीं किसी और की बात है, 3 करोड़ रुपये 2008 और 2013 में बिहार से ब्लाये गये चुनाव के प्रबंधन में वहां की फोर्स को राशि देने की बात है। 2008 और 2013 के च्नाव के बाद छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है कि हम उनके लिए 2018 में इतने समय बाद 3 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। इसकी भी क्या स्थिति है, मैं चाहुंगा कि माननीय म्ख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। जिस विभाग के लिए आवंटन हो रहा है, उस विभाग के संदर्भ में भी मैं ये जरूर कहंगा कि उनके लिए 1 रुपये के भी आवंटन के साथ, पूर्व में भी मैंने ये बात कही है कि उसके साथ उनकी डिलीवरी और उनका आचरण जरूर झलकना चाहिए। क्या उनका आचरण हमारे साथी विनोद जी के साथ व्यवहार में झलकता है? क्या एक भी पैसा ऐसे अमले को देना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, एक जनप्रतिनिधि कब थाने में जाता है, जब टूर्नामेन्ट में भाग लेने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है और वह छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने वाले आयोजक जब थाने में जाते हैं, थाना वाला आकर मैदान में उनको थप्पड़ जड़ता है और उसके बाद विधायक जब मौके पर जाते हैं (माननीय सदस्य विमल चोपड़ा की ओर मुखातिब होते हुए) मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, घटना कुछ ऐसी है, वहां पर उन्होंने उस समय इंटरफेयर नहीं किया और शायद रात भी हो गई होगी, देर रात भी हो गई होगी। तब ऐसी परिस्थिति बनी कि ऐसे छत्तीसगढ़ के ऐसे प्लिस विभाग ने जिसके लिए हम पैसा देने की बात कर रहे हैं।

गृहमंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़छाड़ की बात है, छोटे-छोटे बच्चे थे जो खेल रहे थे। छेड़छाड़ का विषय ही नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय मंत्री जी शायद आप भूल रहे हैं कि 4 साल की बच्चियों और 8 महीने की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की बातें संज्ञान में हैं। उम्र की बात तो छोड़िये।

डॉ. विमल चोपड़ा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गलत बोल रहे हैं, छेड़छाड़ हुई थी। श्री रामदयाल उड़के :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतने संवेदनशील नहीं है कि अपने विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी पूछपरख भी नहीं किये कि कहां-कहां कितनी चोट लगी है।

अध्यक्ष महोदय :- रामदयाल जी, आपको पर्याप्त मौका मिल गया, नेता जी बोल रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की बात उम्र से तो छोड़िये। देश आज लिजित है। एक आकलन कहता है कि विश्व में शायद महिलाओं के साथ प्रताइना की स्थिति में हमारा देश सबसे आगे में है। आये दिन इस प्रकार की सूचना और समाचार आ रहे हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी को जिनका की ट्रेक रिकार्ड रहा है, इसके पहले भी जिले में जब वह काम करते थे, उनका आचरण कैसा है, शासन ऐसे लोगों की पदस्थापना के माध्यम से अगर छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चलाना चाहती है और लोगों को सुख और शांति का संदेश देना चाहती है तो अध्यक्ष महोदय यह संभव नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी छेड़छाड़ की बात हो रही है तो सवेरे मैंने बात की तो क्या गलत की थी ? वह भी छेड़छाड़ से संबंधित मामला था।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी जो छेड़छाड की बात कह रहे हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे वह कांग्रेस दल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस बच्ची ने, मामला साफ था, मैं सुबह भी इस बात को कहना चाह रहा था, उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, अगर एफ.आई.आर. दर्ज कराई है तो काम तो आपको करना है। इसी पुलिस विभाग को करना है जिसको 84 करोड़ रुपये देने हैं, आप बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो ? आप कर क्या रहे हो ? आपने हल्ला इतना कर दिया कि एक हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो गई और आपने सदन को गरमा दिया, आपने किया क्या? एफ.आई.आर. दर्ज हुई है या नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उसने एफ.आई.आर. नहीं किया, उसने आपके नेता को पत्र लिखा है। उस पत्र की कापी आपने पढ़ी है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, क्या हमारा अनुभव यह नहीं कहता कि स्वयं संज्ञान में लेने के बाद गृह विभाग को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए और दिखाना चाहिए, बात करने के लिए नहीं, वाकई में हम हमारी बेटी के लिए इतने संवेदनशील हैं, स्वमोटो आपको एक्शन लेकर एफ.आई.आर. दर्ज करा लेना चाहिए, आपको किसने रोका है? अगर अखबार में लिखा है, एफ.आई.आर. के बाद फांसी तो नहीं हो रही है, एफ.आई.आर. तो केवल आप प्राथमिकी लिख रहे हो। उसके बाद जांच होगी, सही है या

गलत। बच्ची का बयान होगा। आपने क्यों नहीं किया ? यही तो बात है कि आपकी संवेदलशीलता क्या है ? आपकी बहादुरी किसमें है ? हमारी मानपुर मोहला की महिला विधायक का कार्यालय में हाथ पकड़ लिया जाता है। इनका हाथ पकड़ लिया जाता है। ... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\g13\04.15-04.20

ामानी श्री क्षेत्रचेव इनका हाथ पकड़ लिया जाता है। इनका हाथ पकड़ने के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट, एफ0आई0आर0 दर्ज कराई क्या ? आपने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की बात की। मैं खुलकर कह रहा हूँ कि वह चाहे किसी भी दल का हो, मैं जिस दल से जुड़ा हुआ हूँ, उसका राष्ट्रीय या कोई भी सदस्य हो, कोई भी पदाधिकारी हो, अगर गलती करता है तो आप कार्रवाई करिये। आपका कौन मना कर रहा है ? आपने कार्रवाई की क्या ? आपने सोमाटो संज्ञान में लेकर कार्रवाई की क्या ? एक और जनप्रतिनिधि का हाथ पकड़ा गया, महिला हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, आपका कानून इस प्रदेश में है या नहीं ? अगर आपका कानून इस प्रदेश में विद्यमान है तो क्या उस कानून में प्रावधान है या नहीं कि एफ0आई0आर0 दर्ज हो जानी चाहिए थी। मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फांसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एफ0आई0आर0 तो प्राथमिकी है। जिसके बारे में स्प्रीम कोर्ट ने कहा है।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- नेता जी, मैं अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए भी ज्ञानकारी चाहूंगा कि क्या पुलिस को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त है, सोमोटो वह अपने संज्ञान में लेकर एफ0आई0आर0 दर्ज कर सकता है ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- डेफिनेटली, क्यों नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन से कानून में, कौन से Cr.P.C. में, I.P.C. में कहां पर है ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :-आपने रिपोर्ट भी लिखाई है भैय्या। संज्ञान की बात तो छोड़ दीजिये, आप सोमोटो रिपोर्ट लिखा सकते हैं। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा सकते ? तो आप बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन सोमोटो संज्ञान लेने का अधिकार है क्या ? श्री टी0एस0 सिंहदेव :- Cr.P.C. में, I.P.C. में जो नियम है, कार्यप्रणाली में बताईये कि सोमोटो रिपोर्ट नहीं लिखा जायेगा, लिखा हुआ है। कहीं बंदिश हो कि नहीं लिखा जायेगा ? आप तो बहुत संवेदनशील हैं न।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी का जो सुझाव है, इस पर आने वाले समय में Cr.P.C. में, I.P.C. में कोई संशोधन हो तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए कि पुलिस को सोमोटों एफ0आई0आर0 लिखने का अधिकार मिले।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- क्यों नहीं ? क्यों नहीं हो सकता ? क्यों नहीं लिख सकते हैं ? आप क्यों नहीं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं ? इन्होंने खुद रिपोर्ट लिखाया है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इन्होंने खुद रिपोर्ट लिखाई है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- इन्होंने तो रिपोर्ट लिखाई है। आपको, शासन को जानकारी है या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। आप स्थिति देखिये कि इनको यह भी नहीं मालूम।

डॉ0 विमल चोपडा:- सोमोटो रिपोर्ट थाने में लिख ली जाती है। जैसे कोई दो गाड़ी का एक्सीडेंट ह्आ तो।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पर कोई घटना घट गई और किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई तो पुलिस जायेगी या नहीं जायेगी ? मुझे तो ज्ञान की बहुत कमी है। मुझे तो ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या करेगी ? अगर उनकी जानकारी में यह बात आ गई कि दंगा हो रहा है, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो पुलिस मौके पर जायेगी या नहीं जायेगी या एफ0आई0आर0 के लिए रूकेगी ? कहीं किसी की हत्या हो गई, उनको जानकारी लग गई, उनके पास किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई तो पुलिस जायेगी या नहीं जायेगी ? क्या बात हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। आप कैसे कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आपकी जानकारी में आ गया है तो, कैसे कार्रवाई नहीं करेंगे? यह आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि जिन मुख्यमंत्री जी के जिले में, बहन ने कहा कि 480 करोड़ रूपये का बीमा राशि बंट गई, यह किसान बीमा योजना नहीं है, यह राजनांदगांव किसान बीमा योजना है, कोई साथ कह रहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। इस विधानसभा में और अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि किस विधानसभा में है। मुख्यमंत्री जी का तो शहरी क्षेत्र है। खैर जहां दिया सो दिया, उसका भी एक अलग सन्दर्भ है। पुलिस विभाग के सन्दर्भ में तीसरी घटना हो गई है। देवती कर्मा जी, जो महेन्द्र कर्मा जी की बेवा हैं, आपकी एक संवैधानिक जनप्रतिनिधि हैं, जिनके बारे में केन्द्र सरकार से लेकर यहां तक लिखित में प्रोटोकाल के गाईडलाईन आते हैं, वे ये कहते हैं कि कोई

संवैधानिक जनप्रतिनिधि कलेक्टर के।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छेडछाड़ की संभावना का पुलिस को पता लग सकता है क्या ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- भैय्या, यह तो छेड़छाड़ हो गई न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हत्या की संभावना का पता लगता है। छेड़छाड में पुलि स थोड़ी न उपस्थित रहती है और ये झूठे आरोप भी हो सकते हैं।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- यह विकृत तर्क है। अध्यक्ष महोदय, गजब हो गया। मैं पुलिस को कल्पना की बात नहीं कह रहा हूँ। भाई शिवरतन जी ने यह कहा, एक अखबार दिखाया जिसके लिए रोकटोक है कि अखबार दिखाना कि नहीं। मुझे व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने उस महिला का पत्र भी दिखाया था।

.....शी श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\g14\04.20-04.25

श्री टी.एस.सिंहदेव :- भाई शिवरतन जी ने यह कहा एक अखबार दिखाया जिसके लिए अभी रोक-टोक है, अखबार दिखाना है कि नहीं । मेरे को व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिसको आपने कापी(व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- संज्ञान में है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कापी आपने पढ़ ली ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह कोई काल्पनिक बातें नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- जो बातें विलोपित हो चुकी है, उस बात को रिपीट करने से क्या फायदा है ? पहले ही मैंने उसको विलोपित कर दिया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की संवेदनशीलता ऐसी होनी चाहिये, एक रूपया भी उनको दो, तो उस संदर्भ में आप कहो कि हाँ चिलये आप एक रूपया नहीं, हम दो रूपये दें । पुलिस से तो जब हटेंगे, जब हाथ-पांव टूटेंगे नहीं । इसका हम लोगों का निश्चय हो जाये । अभी-अभी यह बात हो रही थी कि पहले नेता प्रतिपक्ष की हाथ-पैर टूटे, अब आपकी बारी है । खैर जो होगा, होगा । उसमें कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री राजेश मूणत :- नेता प्रतिपक्ष के हाथ-पांव टूटे, उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, यह तो आपको ज्यादा मालूम होगा ? आपके सहयोगी को ज्यादा मालूम होगा ? इस सरकार में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसा कुछ करना पड़े । हम लोग जिंदगी में नहीं करेंगे ।

श्री राजेश मृणत :- करना पड़े, अभी तक ।

श्री राजेश मूणत :- लेकिन जो किये हैं, वो उधर बैठे हैं । उत्तर देने वाले, बहुत से लोग।

श्री अमरजीत भगत :- गाड़ी भरकर कुछ लोग पहुंच गये थे । माननीय नेता जी के घर में कुछ लोग गाड़ी में पहुंच गये थे ।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी के घर में कोई नहीं पहुंचता है । वह (X X) पार्टी के लोग थे । नेताजी हमारे लिये आदरणीय है ।

अध्यक्ष महोदय :- (XX)¹⁶ शब्द हटा देना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेताजी को देखकर बहुत लोग बहक जाते हैं । छेड़छाड़ करने पहुंच जाते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान किये गये हैं, इसमें सहमित इसलिए नहीं हो सकती है, आंशिकी हो सकती है, अगर आप शिक्षा कर्मी के रूप में जाने जाते थे, शिक्षक के रूप में आपने लिया । देर सबेर में आपने 15 साल लिया । अध्यक्ष महोदय, क्या आपने व्यावहारिक न्याय किया ? एक तो क्रमोन्नित का प्रावधान नहीं है, जिनको आपने रेगुलर मान लिया है या जिनको आपने एब्सार्ब कर लिया और जो 8 साल वाली शर्त लगाई है, क्यों ? उसका प्रावधान इस अनुपूरक में करो ना । जो पहले साल ही आपके यहां आयेगा, वह रेगुलर टीचर के रूप में क्यों नहीं माना जायेगा ? क्या वह अक्षम है ? आपने चुना कैसे ? और अगर सक्षम है तो 8 साल तक क्यों रूकेगा ? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बताओं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं । छत्तीसगढ़ के साथ यह जानकारी बांटों । छत्तीसगढ़ सहयोग करेगा । अगर आप खुले मन से कहोगे कि ऐसी स्थिति है, इतना पैसा है, इतना-इतना इसमें खर्च करना है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपका आता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है । किसी काम के लिए बात आती है तो पैसे की कोई कमी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अगर पैसे की कमी नहीं है तो यहां पर प्रावधान ऐसा क्यों ? आप इन्क्लूड किरये । यह बात बार-बार आती है कि सर्वसम्मित से बजट को पास

^{16 (}XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

किरये । वह बजट क्यों नहीं सर्वसम्मित से पास होगा ? विद्या मितान, आऊट सोर्सिंग । अध्यक्ष महोदय, आपित किस बात की है, इनके संबंध में दो बातें हैं । आपने आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विद्या मितान के नाम से उन स्कूलों में भर्ती की । बस्तर और सरगुजा में मेरे ख्याल से 6 हजार के आसपास बच्चे और बच्चियों को आपने काम पर लगाया । जिनको आपने ठेका दिया है, जिनको आपने यह कान्ट्रेक्ट दिया है, उनको आप कितना दे रहे हैं । मेरे ख्याल से 28 हजार रूपये या आप पैसे पास करवा रहे हैं । आप जिनको 28 हजार रूपये दे रहे हैं, वह विद्या मितानिनों को कितना दे रहे हैं ? मेरे हिसाब से 15 हजार । उन्होंने मुझको 15 हजार रूपया बताया है, लेकिन लोगों ने बोला कि 12 हजार से लेकर 18 हजार । जो कंपनी काम कर रही है, सीधै-सीधे 6 हजार लोगों के पीछे आप उनको 6 करोड़ रूपये महीने का अनुचित लाभ पहूंचा रहे हो । अध्यक्ष महोदय, साल का 72 करोड़ रूपये हो जाता है । इस 72 करोड़ रूपये में अध्यक्ष महोदय, जो सोसायटी में कर्मी काम कर रहे हैं, जो आज खाद-बीज देने से लोगों को वंचित कर रहे हैं, आज जिनको खेती करनी है, वह स्ट्राईक पर है । उनकी बात अगर आप मानते हो तो केवल 50 करोड़ का खर्चा है । सोसायटी के कर्मियों को वेतनमान देकर रेगुलराईज करने में उनका कहना है कि हमको केवल 50 करोड़ रूपये लगेंगे और 72 करोड़ का यहां बंदरबांट हो रहा है, केवल आऊट सोर्सिंग के नाम से ।

श्री केदार कश्यप :- जो आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विद्या मितान रखे गये हैं, मात्र 2100 ही रखे गये हैं । उसमें जो डिस्टेंस के आधार पर दर बढ़ाये गये हैं, न कि नजदीक के उसमें । 12 हजार से लेकर 24 हजार तक देने का प्रावधान है । अंदरूनी क्षेत्र में काम करता है तो

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मेरे पास जो बच्चे आये हैं, जो बच्चियां आई है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा कांट्रेक्ट है, यह हमारे कांट्रेक्ट में इतना लिखा हुआ है और हमको इतने रूपये

श्रीमती यादव

नीरमणी\04-07-2018\g15\04.25-04.30

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो बच्चे आये, जो बच्चियां आयीं । उन्होंने मुझे कहा कि यह हमारा कांट्रेक्ट है, यह हमारे कांट्रेक्ट में इतना लिखा हुआ है और हमको इतने रूपये मिलते हैं, बाकी बात की जांच मंत्री महोदय करा सकते हैं कि वास्विकता क्या है । दूसरा इसी सदन में हम लोगों को आऊटसोर्सिंग के संदर्भ में यह कहा गया था कि हमने 3-3, 4-4 बार विज्ञापन निकाले और हम लोगों ने कहा, एक सदस्य ने तो एक बड़ी मोटी सूची दी थी जिसकी बाद में हंसी

उड़ायी गयी कि नहीं इसमें तो हमने चेक किया यह तो नाम ही नहीं है। यह इस क्वालिफिकेशन का है नहीं पर यह बीएड इत्यादि के विदया मितानिनों को जिनको आपने लिया है क्या ये छत्तीसगढ़ के हैं कि छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं और आपने क्या कहा था कि हमने 3-3, 4-4 बार विज्ञापन निकाले और हमको एक-बार भी किसी ने विज्ञापन के रिस्पांस में आकर अपनी अर्जी नहीं दी और आप लोग एक नाम भी बता दो । यह सदन के रिकॉर्ड में होगा, एक नाम भी आप लोग सदन में बैठे ह्ए जितने साथी हैं बता दो हम त्रंत उनकी निय्क्ति कर देंगे यह सदन में कहा गया था । अगर यह बात सदन में रिकॉर्ड के रूप में आयी है और वह छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मैं बाहर के लोगों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं आऊटसोर्सिंग के, अगर आऊटसोर्सिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बाहर के नागरिकों को व्यवस्था दी गयी है पढ़ाने की वे अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि उनको रेगुलाईज किया जाये । शासन ने भी यह कहा कि जब हमको मिलेंगे तो उनकी जगह हम उनको रेगुलर कर देंगे, हम इनको एपाईंटमेंट नहीं दे रहे हैं, यह तो कुछ समय के लिये है लेकिन अभी चूंकि वह आंदोलन कर रहे हैं तो अप्रेल की जगह दबाव बनाकर आपने जून से उनको एपाईंटमेंट दिया, वहां भी उनके पैसों को काट दिया क्योंकि वे जायज बातों को उठा रहे हैं । इस तरह से अगर छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और इस तरह से अगर बजट में प्रावधानों की बात होगी तो सहमति सर्वसम्मत वाली कैसे बन सकती है । आपने प्रावधान किया, आप 1 रूपये दे रहे हो तो कौन कहेगा मत दो । भाई लोगों ने कहा कि नहीं आप निर्विरोध कर रहे हो इसका क्या ? अगर आप 1 रूपये भी किसी को दे रहे हो तो विरोध कौन करेगा लेकिन 1 रूपये क्या उचित है और दूसरा क्या 1 रूपया पर्याप्त है बाकी का क्या होगा तो आपने वहां व्यवस्था नहीं कर रखी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिनों के संदर्भ में भी बात आयी । हांलािक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था और उसका परिपालन भी हुआ । आज अधिकारी आये और उनसे माननीय मंत्री जी ने मुझे भी बुलाया था, सामने चर्चा भी हुई । आप ट्रेनिंग कराते हो, जो मितानिन हैं उनकी आप ट्रेनिंग कराते हो और ट्रेनिंग कराने के बाद आखिर आप उनकी ट्रेनिंग क्यों कराते हो कि उच्च पद में, जो हायर ग्रेड का पद होगा उसमें आपको हम काम देंगे उस दो साल की ट्रेनिंग के बाद जिसमें पब्लिक का पैसा खर्च हुआ होगा, शासन का पैसा खर्च हुआ होगा । आपने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेंगे वह मितानिन से भी गये और इधर काम से भी गये । आपने उनका प्रावधान बजट में किया है क्या ? अगर प्रावधान किया है, ऐसे प्रावधानों को आपने रखा है तो हम क्यों नहीं करेंगे ? पदों के विरोध में डेलीवेचेस के नाम से या आजकल एक नया शब्द आया है अनियमित कर्मचारी । 01 लाख 60,000 अनियमित कर्मचारी हैं उन्होंने कहा, जो बच्चों ने बताया 10,000 रूपये आप दोगे कितना हुआ, 12 से गुणा कर दोगे कितना हुआ ? कुछ वेतन आप उनको दे ही रहे हो, 20,000 तक भी दोगे तो

यादव\04-07-2018\g16\4.30-4.35

......(जारी श्री टी.एस.सिंहदेव) :- आप शासन में हो, आप अपने प्रशासन को ही नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की बात होगी । साथ में आपने जो अधिकार दे रखे हैं कि वह ऐसे कि जनप्रतिनिधि तो कुछ है ही नहीं । आज दिल्ली के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लैफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का जो सबसे संवेदनशील मामला लटका हुआ था । वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट डायरेक्शन आए हैं कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को बाधित करने के लिए अधिकारी तंत्र का उपयोग कदापि नहीं होना चाहिए । आपनी जगह काम करिए । अधिकारी हैं, आपको सम्मान मिल रहा है, उससे चौगुना सम्मान मिले, लेकिन एक दायरा हो । आपका कार्य करने का जो दायरा है, उस दायरे के बाहर यदि कार्य करने की स्थितियों का निर्माण होता है तो वह पूरी तरह से अनुचित है । हमको ऐसी व्यवस्था के लिए एक भी पैसा देना चाहिए जो ऐसे तंत्र का पोषण कर रहा है कि राजनीतिक दल के अध्यक्ष प्रदेश में आते हैं और जिला प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं में ऐसे लग जाता है कि मानो घर की बारात है और बाद में उनके काम को देखते हुए उनको दूसरे जिले में बुलाया जाता है जहां राष्ट्रीय स्तर के हमारे सर्वोच्च जनप्रतिनिधि आते हैं कि वहां पर जैसा इंतजाम किया, यहां पर भ आकर करो ।

क्या अब प्रशासन का काम यह रह गया है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में और उनके पदाधिकारियों के लिए काम करेंगे एवं बजट में प्रावधान होना चाहिए ?

यह शासन 15 साल से तंत्र को तोड़ रहा है । इस शासन को 15 साल से जिस अन्भव को ग्रहण करके काम करना चाहिए, उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी है, जो अत्यंत चिंताजनक है । पैसों को बजट के माध्यम से देते समय एक एक ऐसी बात का ध्यान, जनप्रतिनिधियों का सम्मान, कर्मियों की अवस्था, व्यवस्था, उनके मांगों की स्थिति कैसे बनी ? आपने उनको क्या कहा कि हां, हम आपके लिए यह करेंगे, हम आपको यह देंगे और उसके चलते पूरा तंत्र प्रभावित है । आज खाद नहीं मिल रही। यहां पर सोसायटी के सब कर्मचारी आए हुए हैं या आने वाले हैं । अब तो सभी को रायपुर में आना है । अब तो अनुपूरक भी हो गया । वह मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जिन बातों को रखा, उसको अभी भी सम्मिलित कर लिया जाए । याद दिलाने के लिए पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक और पर्चा आ गया । यह कौन हैं ? का मानव संसाधन है, जिसकी प्रति आपकी सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए । एक सड़क के निर्माण के पहले आपको इनकी व्यवस्था करनी चाहिए । यदि आप इनको वेतन के माध्यम से परचेसिंग पाँवर देंगे तो यह अर्थव्यवस्था को स्वयं चलाने में सहायक होंगे । अध्यक्ष महोदय, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव आना है । अभी तो मिली जुली बातें हो रही हैं, लेकिन 2050 तक बदलती जलवाय और पर्यावरण पर जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, उससे देश में सर्वाधिक संकट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आने वाला है । कृषि कार्य 50 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकता है । आपने अभी से मानव संसाधन का सद्पयोग नहीं किया और अन्य व्यवस्थाओं में खर्च करने की बात रखी तो मैं नहीं समझता कि वह या तो दूरदर्शी है या वह उचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोबाईल की बात आती है । आप मोबाईल या किसी को एक रूपए दोंगे तो कोई मना करने वाला है । मोबाईल हाथ में आएगा तो वह तो मोबाईल है । वह आप कह रहे हों कि हम क्रांति के लिए कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप चुनाव के लिए कर रहे हो । वह चलता रहेगा, उसका तो अंत नहीं है । लेकिन वह लड़का, वह व्यक्ति क्या कह रहा है जिसको मोबाईल मिल रहा है ? वह कह रहा है कि बाबा, हमको मोहताज करा रहे हो, हमको पांच साल के बाद डाटा दे रहे ? हम एक महीने के वेतन में इससे अच्छा मोबाईल खरीद लेते । यदि कलेक्टर रेट 9300, 8300 है तो हमको एक, एक महीने का वह दिला देते तो क्या हम मोबाईल नहीं खरीद सकते ? हमको मोबाईल दे रहे हो, बांट रहे हो, हमारा मान सम्मान कर रहे हो, हमारी इज्जत कर रहे हो, ऐसा हम लोगों को भी जवाब देते हैं । वह तो हमको अच्छा वाला जवाब मिलता है कि हम लोग बताएंगे, यह करेंगे, वह करेंगे । क्या होगा वह तो आगे की बात है, लेकिन व्यवस्था क्या होनी चाहिए । पांच साल के लिए यह करके फिर

जय राम जी । रोजगार के संबंध में हम क्या कर पाए? कभी 24 लाख, कभी 32 लाख के आंकड़े आते हैं । आप रोजगार दीजिए । आपको यह रोजगार देना चाहिए जिससे कि वह स्वयं अपने पांव पर खड़े होकर अपने परिवार को चलाते, इस अर्थव्यवस्था को चलाते और एक क्या पचास मोबाईल खरीदने की उनकी स्थिति रहती । ये सारे मानव संसाधन अनेक स्तरों पर आपके छत्तीसगढ़ में विद्यमान हैं।(जारी)

मिश्रा\04-07-2018\g17\.-.5

जारी.. श्री टी.एस.सिंहदेव :- ये सारे मानव संसाधन अनेकों स्तरों पर आपके छत्तीसगढ़ में विद्यमान हैं और बजट में इनका कहीं उल्लेख नहीं दिखता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ समय की बात कही थी, मैं समझ रहा हूं कि करीब-करीब वह समय हो रहा है और कहने को तो बहुत सी बातें रहती हैं, अनुप्रक की सीमाओं की भी मर्यादा रखनी है और आपने अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में भी अनुमित दी है तो जो बची हुई बातें हैं और कुछ बातों को दोहराते हुए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह रहेगा कि बहुत सारी बातों को जो हम लोगों ने और साथियों ने अपने माध्यम से उल्लेख किया है उन्हें आप अभी भी सिम्मिलित करके अनुप्रक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को उनके सौगात के रूप में नहीं बिल्क उनके अधिकार के रूप में प्रस्तुत करके उपलब्ध करायेंगे। आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

समय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुप्रक अनुमान की बजट पुस्तिका की 4.36 बजे मांग संख्या 24 के मद क्रमांक-2 (8716) के पद (5) में संशोधन संबंधी सूचना

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक -79 में उल्लेखित मांग संख्या 24 के मद क्रमांक -2 (8716) के पद (5) में मुद्रित "जिला-रायपुर" के स्थान पर "जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा" संशोधित कर पढ़ा जाए।

समय

4.37 बजे वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा करने वाले हमारे पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों को धन्यवाद। सर्वश्री मोहन मरकाम जी, श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे जी, कवासी लखमा जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री धनेन्द्र साहू जी, श्री नवीन मारकंडेय जी, श्री केशव चन्द्रा, श्री रामदयाल उईके, श्री दीपक

बैज, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री भोलाराम साहू जी और सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव साहब ने अपने विचार और सुझाव रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में काफी व्यापक रूप से चर्चा ह्ई। फरवरी, 2018 में छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि हमने एक नया कीर्तिमान रचा है। 2003-04 में हमारी सरकार के पहली पारी का पहला बजट मात्र 8174 करोड़ रूपये का था और आज ये 8174 करोड़ रूपये से बढ़कर 2018-19 में मुख्य बजट में 87463 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है और आज हम अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। आज 4878 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट के सदन में चर्चा और उसके पारित होने के बाद राज्य के बजट का आकार 92341 करोड़ रूपये हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) कहां हमने 8 हजार करोड़ रूपये से यात्रा श्रू की थी और 92 हजार करोड़ रूपये में आ गये हैं। यानी 8 हजार करोड़ रूपये से श्रूरआत करके 10 खरब की ओर ये बजट छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली है और इसके लिए मैं पूरे पक्ष-विपक्ष को भूलकर इस उपलब्धि के लिए पूरे सदन की ओर से कहंगा कि अब ये दिन भी आ गया है कि पांचवीं विधानसभा के कार्यकाल में हमारा राज्य भी देश के 1 लाख करोड़ से अधिक बजट वाले राज्यों के क्लब में सदस्यता ग्रहण करेगा। (मेजों की थपथपाहट) 8 हजार करोड़ से 92 हजार करोड़ का सफर और मैं ये कहूंगा कि ये विधानसभा, इसका क्रेडिट किसको जायेगा? इस सफर का यदि योगदान किसी को है तो हमारे किसानों को है, मजदूरों को है, कामगारों के पसीने और महिलाओं द्वारा अपने घर की देहरी लांघकर स्वरोजगार के लिए किए गए प्रयासों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साहस और बल, समाज के हर आयु और वर्ग के लोगों के सहयोग से हुआ है। हमने जनता की भावना और मेहनत की कद्र करते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन में न केवल सुधार किया है बल्कि हिन्दुस्तान में आर.बी.आई. के अनुसार हिन्द्स्तान के सबसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्य में छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ है। अध्यक्ष महोदय, यह में नहीं कहता हूं बल्कि आर.बी.आई. कहती है। (मेजों की थपथपाहट) पिछले 15 वर्षों में राज्य का वित्तीय प्रबंधन श्रेष्ठ रहा है। वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और युक्तिसंगत वृद्धि से 15 वर्ष में 13 वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है। ये हमारी उपलब्धि है।

श्री कुरैशी

कुरेशी\04-07-2018\g18\03.45-03.50

जारी------डॉ. रमन सिंह :-

15 वर्षों में 13 वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है, यह हमारी उपलब्धि है । अध्यक्ष महोदय, जिस वित्तीय प्रबंधन की बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय स्थिति क्या है ? इसको देखने के लिए बह्त छोटा सा फार्मूला है । 2017-18 में देश के टैक्स और जीएसडीपी का अनुपात, यदि राष्ट्रीय स्तर पर इसको केलक्यूलेट करें कि जीएसडीपी का अनुपात टैक्स से कितना होता है ? 12 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ में टैक्स और जीएसडीपी का अन्पात 19 प्रतिशत है, राष्ट्रीय स्तर से 7 प्रतिशत ज्यादा है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण संकेतक के बारे में बताना चाह्ंगा । कर राजस्व का जीएसडीपी कितना राशि हमें राजस्व के रूप में मिलती है और जीएसडीपी के अनुपात में । अध्यक्ष महोदय, हमारा ब्याज भुगतान कितना है ? इस बात का हिसाब जब राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाता है, हमारा ब्याज भ्गतान कितना है और उसके साथ ही साथ लोक ऋण कितना है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ से दबा ह्आ है । ये दोनों अनुमान, लोक ऋण और जीएसडीपी का प्रतिशत देखेंगे, मैं छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा । ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति की क्या स्थिति है । राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों का औसत, कुल राजस्व प्राप्ति का 11.4 प्रतिशत रहता है और छत्तीसगढ़ में यह 4.6 है। राष्ट्रीय स्तर में सबसे कम है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, ऋण के बारे में चर्चा होती है कि छत्तीसगढ़ कर्ज से दबा हुआ है । सभी राज्यों का जीएसडीपी के अन्पात में, राष्ट्रीय स्तर पर औसत 23 प्रतिशत है और छत्तीसगढ़ में 14.6 प्रतिशत है, हिंदुस्तान में सबसे कम लोक ऋण (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, ऋण लेने की ग्ंजाइश थी, हमने ऐसे विशेष योजनाओं में ही ऋण लिया जो प्रदेश के लिए आवश्यक थी । 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और राज्य का लोक ऋण 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर हम यदि तीन बिंद्ओं पर अपने मापदंड स्थापित करते हैं । 5 प्रतिशत हमारा ब्याज का भ्गतान और 14 प्रतिशत लोक ऋण, हमें इसका फायदा यह मिला है कि यदि हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन करते हैं, जो 14वें वित्त आयोग के अन्सार इस आधार पर राज्य को 1500 करोड़ अतिरिक्त वार्षिक ऋण लेने की पात्रता बनती है । यानी छत्तीसगढ़ 1500 करोड़ अतिरिक्त ऋण इसलिए ले सकता है क्योंकि बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आया और नेता जी विशेष रूप से बोल रहे थे कि प्रथम अनुपूरक 4878 करोड़ का क्यों हो गया ? उन्होंने कहा कि बजट के समय सरकार को यह पूर्वानुमान नहीं होता क्या कि ये-ये खर्चे आएंगे ? अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, समुचित प्रबंध करना । इसके साथ ही साथ जनहित के कोई कार्य रूके नहीं, ये जनहित के कार्य जो आए हैं और जिस पर इस अनुपूरक का पूरा फोकस है । अगर नेता जी भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसकी तारीफ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमने पैसा किसके लिए मांगा ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 1269 करोड़ की राशि इसमें व्यय की गई । गरीबों के आवास के

लिए (मेजो की थपथपाहट) । ये देश की सबसे बड़ी योजना । माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सबके लिए आवास की कल्पना की है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमने 1269 करोड़ का प्रावधान किया है ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा कर्मियों का संविलियन । जब तक संविलियन नहीं किया था तो नारेबाजी करते थे । अब संविलियन कर दिया तो थोड़ा धन्यवाद और तारीफ तो कर दिये होते । अब 8 साल की करने लगे ।

श्री कवासी लखमा :- पूरे को करो ।

डॉ. रमन सिंह :- इनको यह फर्क समझ नहीं आता कि 1 साल की भर्ती और 16 साल पहले की भर्ती में फर्क होता है । जो 12, 13, 14 सालों से काम कर रहे हैं और जो 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मुख्यमंत्री जी, जब उनको देना ही था तो उन्हें लाठी क्यों मरवाया ?

डॉ. रमन सिंह :- आपको समझ नहीं आएगा, यहां से समझ लेना ।

श्री कवासी लखमा :- रात को एक बजे उनको क्यों छुड़वाया ?

डॉ. रमन सिंह :- 8 साल की अवधि पूरी होने के बाद और हमने कहा कि संविलियन का नीतिगत फैसला हो चुका है । अब इसमें कहीं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है । 8 साल की अवधि होती जाएगी, अगले साल 11 हजार फिर आने वाले समय मेंजारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\04-07-2018\g19\4.45-50

जारी...डॉ. रमन सिंह :- 8 साल की अविध होती जाएगी, अगले साल 11 हजार, फिर आने वाले समय में हो जाएंगे । 34 हजार, 30 हजार बचे हैं, ग्रेजुअली हो जाएंगे । 1 लाख, 4 हजार शिक्षा किमेंयों का संविलियन हो गया । हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कदम छत्तीसगढ़ ने उठाया है । (मेजों की थपथपाहट) एक साथ शिक्षा कर्मी से नया काडर का जन्म होता है और ये गलती शायद इस गलती का प्रायश्चित, गलती किसी ने की, प्रायश्चित आकर करना पड़ रहा है । शिक्षा कर्मी का काडर बनाने का दोष और अपराध किसको है ? मुझसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि 500 और 1000 रूपये में शिक्षा कर्मी की भर्ती क्यों की गई ? किस प्रकार शिक्षा कर्मियों का काडर बनाया गया, किस प्रकार इन लोगों

को हजार, दो हजार रूपये में काम करने का अवसर दिया । जब मालूम था कि लाख, डेढ़ लाख, तीन लाख लोग लगेंगे, उस समय शिक्षक के काडर को समाप्त करने की जरूरत क्या थी ? गलती किसी ने की, आज हम उसको करेक्टिव मेजर कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं । अब उनका नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने शिक्षा कर्मी की शुरूआत की । राजा साहब कभी दूसरे राजा का नाम नहीं लेने वाले हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये हुआ है और जो उदाहरण अभी आए कि क्या आई.ए.एस. अधिकारी, जो पहले वर्ष आई.ए.एस. के रूप में आएगा, उसको हम क्या देंगे ? शिक्षा कर्मी तो नासमझ है, उसको आठ साल लगेंगे और आई.ए.एस. अधिकारी के साथ क्या होगा ? अन्य समकक्ष वर्गों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ क्या होगा और आज जो आपने फैसला लिया और आपने आधा फायदा दिलाया, आधा लोगों को फायदा दिलाया, उसमें भी वेतन क्रमोन्नित का आधा-अधूरा है और जिन लोगों को आपने संविलियन में अभी आठ साल वाली केटेगिरी में रखा है, हम लोग हल्ला नहीं कर रहे हैं, उन लोग दुखी हैं । हम लोग उनकी बात सामने रख रहे हैं, अगर हम लोग उनकी बातों को आप तक पहुंचाने में सफल होंगे तो आप विचार किरए, उनको वेतन विसंगित से जुझना पड़ रहा है ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों की याद दिला रहा था कि इन काडर को जन्म किसने दिया ? एक राजा दूसरे राजा का नाम नहीं लेगा, मैं जानता हूं । जो इस सदन में नहीं हैं, उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, मगर ये अपराध हुआ था, गलती हुई थी, उसका संशोधन हमने किया । कलेक्टर को भी कलेक्टर बनाने के लिए जब चार्ज देते हैं तो 6-7 साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है । उसको सारे क्रमवार प्रशिक्षण लेते हुए चार बार प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता है, वह अलग विषय है । आज मैंने कहा कि एक बड़ा कदम हुआ है । इसके लिए हमने 1025 करोड़ का प्रावधान किया है और नियुक्ति, किसी की भी परमानेंट नियुक्ति होती है । परमानेंट नियुक्ति की सेवा शर्ते अलग होती हैं । शिक्षा कर्मी की जिस दिन सेवा शर्त बनाई गई थी, दस्तावेज में लिखा है कि इन्हें कभी स्थायी नहीं किया जाएगा, दस्तावेज निकालकर देख लिया जाये । ये लिखा गया है कि इन्हें कभी स्थायी नहीं किया जाएगा । (शेम-शेम की आवाज) ये अपराध किसने किया । आज बड़ी-बड़ी बात करने वाले उस कागज को निकालकर देख लें ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल पहले किसने कहा था कि हम आएंगे तो एक सप्ताह के अंदर शिक्षा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे । डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा शर्ते आपने बनाईं और ऊंगली हमारी तरफ दिखा रहे हैं । अब राजा जी इसके लिए दोषी नहीं हैं, कोई दूसरा राजा दोषी है, उसको आज मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोष किसी का नहीं है, व्यवस्था को बढ़ाया गया । आपने कहा था कि उस व्यवस्था को हम 15 साल पहले बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं कर सके । आज किये हैं तो आधा-अध्रा ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये पूरा देश राजा-महाराजाओं की बहुत सारी गलतियों को इस लोक शाही में सुधारते-सुधारते, सुधारते-सुधारते अब यहां तक पहुंचा है । हम लोग आगे भी सुधारते रहेंगे ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा राम का भी याद रखिएगा । रामचन्द्र जी, जो राजा थे, उनको भी याद रखिएगा और बहुत सारी गाथाओं को भी याद रखिएगा । बहुत सारे थे, जिनका नाम आप लोग बार-बार लेते हो, उनको जरूर याद रखिएगा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- मैंने राजा और महाराजा बोला ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज ही पढ़ रहा था कि सरदार पटेल के संदर्भ में जो आर्टिकल आया है, उसमें उन्होंने राजाओं के संदर्भ में क्या कहा था, उसको याद कर लीजिएगा।

(श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा जय जय श्री राम का नारा लगाये जाने पर)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी नारे लगा रहे हैं । बच्चा-बच्चा राम का, क्या प्रोग्राम है शाम का ? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आपने भगवान राम का नाम लिया । एक ही व्यक्ति के साथ मर्यादा पुरूषोत्तम जुड़ा है । वह है-मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम । तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती ।

श्री देवांगन

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आपने भगवान राम का नाम लिया। एक ही व्यक्ति के साथ मर्यादा-पुरुषोत्तम शब्द जुड़ा है वह है मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान राम तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था और उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप बहुत सारे और राजाओं को भूल रहे हैं। वह राजस्थान वाले को याद कर लीजिए, जशपुर वालों को याद कर लीजिए, बस्तर वालों को याद कर लीजिए। हम लोग बहुत गिना देंगे। फिर पंजा छाप वाले राजाओं को, प्राने राजाओं को याद करियेगा।

श्री राजेश मूणत :- पंजा छाप वाले पुराने कौन राजा हैं? (हँसी) यानी आप अभी भी अपने आप को राजा मान रहे हैं? आप जनता को यह क्लीयर कर दें कि आप अभी भी अपने आप को राजा मान रहे हैं?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप लोगों ने राजा की बात उठायी।

श्री राजेश मूणत :- आप अपने आप को अभी भी राजा मान रहे हैं क्या?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हां, मैं मान रहा हूं क्योंकि अभी भी सुप्रीमकोर्ट में पेंडिंग है।

श्री राजेश मूणत :- महाराजा हैं न, वह महाराजा इंडिया के अंदर भी हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वह राजा-महाराजा छोडिये।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, राजा-महाराजा की बात करने का जमाना लद गया है। किसान, मजदूर, युवा वर्ग और महिलाओं की बात करने वाली यह सरकार है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने ही चालू किया है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुप्रक है, यह उनके लिए है। हम क्यों समय बर्बाद करें? जो न राज रहा, न पाट रहा, न राजे रहे, न ये रहे। अध्यक्ष महोदय, अब तो एक-एक मतदाता, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, अब बैलेट बाक्स से पैदा होता है। बटन दबाकर राजा पैदा होते हैं।(मैजों की थपथपाहट) अब वे दौर गये, मगर हम उसके बाद भी सिंहदेव साहब को राजा साहब ही कहेंगे। (हँसी)

श्री राजेश मूणत :- साहब, यह तो बड़प्पन है। पद भी दे रहे हैं। बड़प्पन है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बड़प्पन किहये, सामान्य शिष्टाचार किहये, बहुत छोटी बात है और राजा साहब को आपके मुख्यमंत्री जी ने याद किया था, मैंने नहीं। (हँसी)

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, संचार क्रांति योजना के लिए 566.79 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए 305 करोड़ ये ऐसे प्रावधान हैं, जो देश और छत्तीसगढ़ के अंदर यानी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं, जो इतिहास में दर्ज होंगे। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ये अनुपूरक बजट तो नहीं, मगर इसके प्रावधान अपने आप में ऐतिहासिक हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 200 करोड़, मितानिन के मानदेय के लिए 66 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के वेतन के लिए 87 करोड़ ये वार्षिक बजट में शामिल नहीं थे, इसलिए इसे अनुपूरक में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण विषय पर ही मैं केन्द्रित करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बात आयी। कुछ सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उपयोग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं यह देख रहा था कि इंदिरा आवास योजना के बारे में इतने नारे लगाये गये, हर बार बात होती रही। 70 साल में आवास के लिए हमारा गरीब व्यक्ति तरसता रहा, मिट्टी के घरों में रहा। इंदिरा आवास की यह स्थिति थी कि 2001 के बाद कभी 6 हजार, कभी 8 हजार, कभी 10 हजार, कभी 12 हजार इस प्रकार 15 वर्षों में यदि देखा जाए तो इंदिरा आवास के जो निर्माण हुए, जिसका सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने प्रचार-प्रसार किया था, 15 साल में 2 लाख 52 हजार, 53 मकान बनाये गये यानी हर साल 17 हजार की औसत से बनाये गये। इसी प्रकार बनते रहते तो 50 साल तक आवास नहीं बन पाता। मगर इंदिरा आवास के निर्धारित 2007-08 में जो 25 हजार थी, जिसको 35 हजार किया गया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 75 हजार रुपये पहले प्रधानमंत्री आवास योजना फिर 1 लाख 30 हजार प्रति मकान निर्धारित किया और अध्यक्ष महोदय, उसी दिन से गरीबों के मकान का सपना पूरा हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जो को पूरा सदन धन्यवाद देता है। (मेजों की थपथपाहट) ग्रामीण आवास के लिए 2016-17, 2017-18 में निर्धारित 4 लाख 39 हजार, मैं ये आंकड़े बता दूं, उन्होंने 15 साल में क्या किया? 15 साल के आंकड़े की तुलना यदि करें तो 2 लाख, 52 हजार और अभी 2016-17, 2017-18 में 4 लाख 39 हजार के विरूद्ध काम शुरू हुआ और 3 लाख, 81 हजार मकान पूर्ण हो चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो कामा 15-20 सालों में नहीं हुआ, वह इन 3-4 सालों में ह्आ है और 2022 तक हिन्द्स्तान या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा नहीं होगा,

जारी श्रीमती सविता

......जारी डॉ. रमन सिंह :- वर्ष 2022 तक कोई भी ऐसा छत्तीसगढ़ और हिन्दुस्तान में आवासहीन नहीं होगा, जिसको पक्का मकान न मिल जाये। इसकी भी तैयारी सरकार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की तत्परता और गुणवत्ता को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2018-2019 में 1 लाख, 84 हजार, 549 का जो लक्ष्य था, उसको बढ़ाकर 3 लाख, 48 हजार कर दिया गया है। ये है सरकार की योजना और क्रियान्वयन की हमारी गुणवत्ता अच्छी रही। केन्द्र सरकार ने इस टारगेट को दुगुना कर दिया है। अब इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 3 सालों में कुल 7 लाख, 88 हजार, 255 आवास, आवास में जो खर्च हो रहा है। इसकी कल्पना शायद हमारे विपक्ष के मित्रों को नहीं है। कितना बड़ा बजट का डायवर्सन हो रहा है, जब हम 92 हजार, 94 हजार करोड़ की बात करते हैं तो आवास में ही 7 लाख, 88 हजार आवास में 10 हजार, 142 करोड़ रूपये खर्च होने वाले हैं, 10 हजार करोड़। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय में 3 सालों में 7 हजार, 463 करोड़, ये मैं अभी ग्रामीण का बता रहा था और नगरीय निकाय में भी 7 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे, जिसमें 3 लाख आवास बनेंगे। यदि दोनों का मिला दें, ये इतिहास रचने जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की ये पाँच साल की उपलब्धि, केन्द्र सरकार की उपलब्धि है कि 30-40 साल में हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जितने मकान बनाये, ये तीन सालों में 17 हजार, 605 करोड़ खर्च करके 11 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया गया। ये इतिहास रचा। (मेजों की थपथपाहट) ये है योजना, ये है क्रियान्वयन और ये है मोदी जी की इच्छाशक्ति। जिसकी वजह से ये संभव हुआ, नहीं तो 50 सालों तक इंदिरा आवास करते रहते, गरीबों को आवास नहीं मिलता। आज जो आवास में गये हैं उनके चेहरे की खुशियों को देखिए, मिट्टी के मकान में नाले के किनारे रहने वाले लोगों को एक पक्का मकान मिलता है, वहां शौचालय है, उसको गैस का सिलेण्डर मिला हुआ है, उजाला से उसको रोशनी मिली हुई है एक साथ इतनी सारी योजनाएं किसी गरीब के जीवन में, जिसने जीवन में कभी रोशनी नहीं देखी है, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसको पक्का मकान मिलेगा? उसको पक्के मकान की व्यवस्था, उसके लिए शौचालय के निर्माण की व्यवस्था, ये होता है एक गरीब के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन। ये गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ के नारे लगाने वाले 50 सालों से गरीबों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाये। (मेजों की थपथपाहट) ये परिवर्तन है। ये गरीबी हटाओं का नारा नहीं, गरीबों को बेहतर जीवन देने के लिए कार्ययोजना और उसका क्रियान्वयन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के घर में 36 लाख उज्जवला जा रहा है, उनके चेहरे की खुशिया देखिए, हमने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका हिसाब बाद में होगा? 50 साल और 5 साल से मोदी जी की सरकार की तुलना होगी। मगर ये इतिहास में लिखा जाएगा। गरीबों के लिए आवास, उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना और मैं उसके बाद अन्य योजना का जिक्र भी करूंगा, हर

गरीब का सपना घर हो पक्का अपना। यही मोदी जी का सपना है और इसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और क्रांतिकारी कदम, जो शायद देश का नहीं, दुनिया के इतिहास का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार हुए। हमने 50 हजार तक स्वास्थ्य सुरक्षा दिया। यूनिवर्सल हेल्थ स्किम बनायी, 50 हजार तक का हर गरीब के पास स्वाभिमान के साथ, मैं डॉक्टर था, मैंने 5-10 साल डॉक्टरी की, मैंने गरीबों को 100-100 रूपये की दवाई के लिए भटकते हुए देखा, बच्चे, बुजुर्ग की मौत हो जाती थी, उनका ईलाज नहीं हो पाता था और इसलिए आज उस गरीब को यदि मकान मिला है, उस गरीब को उज्जवला मिला है, हमने गरीब को चावल का सपोर्ट सिस्टम दिया, तो बड़ा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 50 हजार रूपये तक दिया, मगर प्रधानमंत्री जो ने उससे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। इसमें 305 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और इसके क्रियान्वयन के लिए हमने दो वर्ग रखा है एक वर्ग में 50 हजार रूपये तक उपचार, समान उपचार और सर्जरी के लिए बीमा योजना को लागू किया गया है। उसके साथ ही साथ राज्य के 55 लाख परिवारों को पूर्व की तरह 50 हजार रूपये की सुविधा मिलती रहेगी। मगर बी.पी.एल. के जो 40 लाख परिवार हैं उनके लिए 50 हजार से 5 लाख तक उपचार ट्रस्ट मॉडल पर हम कर रहे हैं। इसमें हार्ट की बाईपास सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, ट्रामा हो, गंभीर हड्डी हो, न्यूरोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, स्पाईन सर्जरी हो, अंग प्रत्यारोपण हो, इन सब को मिलाकर एस.ई.सी.सी. के डाटा के अनुसार 2011 के इन सारे परिवारों को 5 लाख तक के ईलाज की व्यवस्था होने वाली है (मेजों की थपथपाहट).....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\04-07-2018\h12\05.00-05.5

पूर्व जारी.. डॉ.रमन सिंह :- 5 लाख तक ईलाज की व्यवस्था होने वाली है। (मेजों की थपथपाहट) ये कभी कल्पना और सोच नहीं थी। आजाद भारत में इतने वर्षों के बाद दवाई, ईलाज के लिए किसी सरकार की जवाबदेही तय होना, 50 हजार से लेकर 5 लाख तक ईलाज की कल्पना करना ये मोदी जी की सरकार में ही संभव है। ये कांग्रेस के मित्र नहीं कर सकते। इन 40 लाख परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 40 लाख परिवारों या लोग?

डॉ.रमन सिंह :- 37 लाख लोग।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बी.पी.एल. या सभी परिवार ?

डॉ.रमन सिंह :- बी.पी.एल. 37 लाख।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बी.पी.एल. इतना मत बना दीजिए।

डॉ.रमन सिंह :- हम न बनाते, न बिगाइते, हम 55 लाख को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रहे हैं, 55 लाख को राशन कार्ड दे रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बी.पी.एल. हटा दीजिए।

डॉ.रमन सिंह :- नाट बी.पी.एल., बी.पी.एल. तो मैं बोलता ही, बी.पी.एल. में अभी हमारे 2011 के एस.ई.सी.सी. के डाटा के अनुसार जो गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के नाम्स हैं, उस नाम्स के आधार पर इनको हम प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना का लाभ देने वाले हैं और बाकी लोगों का 50 हजार तक कवरेज जो होने वाला है, हम अपनी योजना से देने वाले हैं।

श्री अमरजीत भगत :- चुनाव के समय देते हैं, आप लोग बाद में काट देते हैं।

डॉ.रमन सिंह :- यह योजना चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, ये आने वाले समय में क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जब भी चुनाव होगा, चाहे 2018, 2019 का चुनाव हो, आपका स्थान फिक्स हो गया है, मोदी जी ने कर दिया है। इसलिए आप उसकी चिंता छोड़िये। वह व्यवस्था हो गई है।

श्री कवासी लखमा :- जहां-जहां भी उपचुनाव हुआ, देश की जनता ने मोदी जी को आईना दिखाया, चाहे राजस्थान, उत्तरप्रदेश हो, सब बता दिया है।

डॉ.रमन सिंह :- देखो होता क्या है कि बड़े-बड़े चुनाव होते हैं हम लोग जीत जाते हैं, आप लोग दु:खी हो जाते हो, छोटे-छोटे उपचुनाव में जीता देते हैं। यही तो होता है न ? आप चुनाव लड़ना भूल जाओगे, डेमोक्रेसी को जीवित रखने का एक तरीका है। आप हमें बड़े चुनाव जीताईये, आप हमें लोकसभा, विधानसभा जीताईये, उपचुनाव और पार्षद चुनाव में आपको जीतायेंगे। (हंसी) ये आपको गिफ्ट है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कहने का मतलब यह है कि उपचुनाव में सीधा-सीधा चुनाव होता है, क्या आम चुनाव में फर्जी होता है ?

डॉ.रमन सिंह :- ऐसा है छोटे चुनाव में हम लोग आप लोगों को आपकी निराशा को दूर करने के लिए अवसर देते हैं कि आप खुश तो रहो। अभी आप लोग बहुत खुश हैं कि एकात पार्षद, सरपंच का चुनाव जीत गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधा में बढोत्तरी का असर कैसे होता है, एक

छोटा सा एम.एम.आर. का आंकड़ा बताऊंगा। मातृ मृत्यु दर में देश में सर्वाधिक गिरावट यदि किसी राज्य में आई है, दिल्ली में जब प्राईज मिलता है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, 2026 के आंकड़ें में हमारा एम.एम.आर. 1 लाख में 221 था, यह देश की सर्वाधिक गिरावट मातृमृत्यु दर में हुई है, यह 221 से घटकर 173 हो गया है, यह अपने आप में राष्ट्रीय स्तर में सबसे बड़ी गिरावट हुई है। माताओं की मृत्यु दर में इतनी बड़ी गिरावट यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को बधाई देने का काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, 102, महतारी एक्सप्रेस, मितानिन, आंगनबाड़ी की भूमिका, समन्वयक की भूमिका, उनके लिए अलग-अलग अभियान और योजना में जोड़ने का काम उसकी वजह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में बढ़ती हुई आबादी और स्वास्थ्य को देखते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन गुढ़ियारी और खोखोपारा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। हमारे रायपुर के माननीय विधायक इस बात के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। जिला गरियाबंद के सुपेबेड़ा के निवासियों के कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए सभी मापदंड को शिथिल कर उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना में 32 लाख रुपये में सुपेबेड़ा में खोला जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रथम अनुपूरक के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिसमें 2002 के बी.पी.एल. सर्वे के आधारित सामाजिक सुरक्ष पेन्शन के तहत अभी तक 16 लाख 20 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा था। भारत सरकार की सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में प्रचलित विभिन्न पेन्शन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों में से वृद्धावस्था पेन्शन योजना, विधवा, परित्यक्ता पेन्शन में वंचित 4 लाख 79 हजार हितग्राहियों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री पेन्शन योजना लागू की गई है। इसमें 200 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है। जितने भी हमारे विधवा, परित्यक्ता है, करीब 5 लाख लोगों का नाम जोड़ने काम हम कर रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के... (जारी)...

श्री अरविन्द

अरविंद\04-07-2018\h13\05.05-05.10

......जारी डॉ0 रमन सिंह इसको लाभ मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति योजना, कवरेज देने के लिए 20 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कनेक्टिविटी की बात हो रही थी। संचार क्रांति योजना-स्काई। स्काई योजना के लिए अलग-अलग किस्म की बातें और चर्चा होती है। मगर स्काई योजना की मूल भावना, यह पूछा जाता है कि मांग कहां से आता है, डिमाण्ड कहां से आता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अबूझमाड़ की यात्रा में गया। अबूझमाड़ के अंदरूनी क्षेत्र में हेलीकाप्टर से उतरकर वहां के लोगों से बातचीत कर रहा था। जब वहां के लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, मैंने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्या है ? एक तो हम सड़क बना रहे हैं तो उससे खुश थे, सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन, दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण में बिजली लग रहा था, खुश थे। मैं आते-आते पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए ? तुम्हारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या है ? तो उन्होंने कहा कि सब लोग मोबाइल की बात करते हैं, वह दिन कब आयेगा जब अबूझमाड़ के लोग मोबाइल से बात कर सकते हैं, हमारी कनेक्टीविटी कब तक देंगे ? यह प्रशन अबूझमाड़ से जन्म लिया। (मेजों की थपथपाहट) यदि हम डेनसिटी देखें तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग-भिलाई, रायपुर।

श्री कवासी लखमा :- मुख्यमंत्री जी, हम लोग बस्तर अबूझमाइ में ही रहते हैं, वे लोग तो हम लोगों को तो नहीं बोलते हैं, आप ही को कैसे बोले ? आप तो हेलीकाप्टर में गये हम लोग तो कार में घूमते हैं।

डाँ0 रमन सिंह :- मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं सुकमा तुम्हारे साथ बाई रोड चलूंगा अन्दर के हिस्से की ओर।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे सोचकर अरूण वोरा की पूरी जवानी निकल गई, 20 साल निकल गए।

श्री अरूण वोरा :- अभी तो जवानी की शुरूआत हुई है, चन्द्राकर जी।(हंसी)

डाँ0 रमन सिंह :- आप वोरा जी को छेड़ो मत। ये आपको छेड़ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लखमा जी के साथ जाने को तैयार हैं, भूपेश बघेल जी लखमा जी के साथ सुकमा जायेंगे क्या, पूछो आप ? (हंसी)

डॉ० रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कनेक्टिविटी का सवाल दो प्रकार से है। पहले मुर्गी या अंडा, मुर्गी होगी तो अंडा होगा। कनेक्टिविटी के प्रिंसिपल, सिद्धांत, यदि छत्तीसगढ़ को समग्र रूप से देखा जाए, तो सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, 10-10 हजार क्वेयर किलोमीटर का क्षेत्र है और कनेक्टिविटी 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 14 प्रतिशत है। इधर जशपुर से लेकर सूरजपुर तक चले जायें, कनेक्टिविटी 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत है। मैदानी क्षेत्र में देखें तो कनेक्टिविटी 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत है। जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए दो योजना थी। एक तो कई-कई

क्षेत्र ऐसे हैं, जहां कनेक्टिविटी है, उसके बाद भी मोबाइल नहीं है। जैसे मुंगेली क्षेत्र है, वहां कनेक्टिविटी ठीक हो गई है 70 प्रतिशत स्थानों में, लेकिन मोबाइल मुश्किल से 30-40 प्रतिशत लोगों के पास है। यानि क्रय शक्ति नहीं है। हमने दोनों उपाय किए। इसमें सभी गरीब परिवारों को सम्मिलित करने का काम किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय 16 सौ मोबाइल टावर की स्थापना, 1,487 करोड़ रूपये की लागत से है और 50 लाख स्मार्टफोन के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

श्री अजय चन्द्रांकर :- नेता जी, पूरा भाषण सुनकर अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस भर को वापिस मत लेना। जैसा भाषण हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आप नोटिस वापिस ले लोगे।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अभी तो बह्त कुछ बोलना बाकी है, कहकर रूक गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसा भाषण हो रहा है, नोटिस वापिस ले लोगे, ऐसा लग रहा है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि मैं रूक जा रहा हूँ, क्योंकि परसों और बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपसे विन्नम आग्रह है कि इज्जत बचाईयेगा, वापिस मत लीजियेगा।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- हम लोग बतायेंगे न कि कैसे आपने 14वें वित्त का पैसा वापिस ले लिया और यहां पर मोबाइल का दाम बढ़ाकर दें दिया।

श्री कवासी लखमा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भाषण हो रहा है, और आप उसको टोक रहे हैं।

डाँ0 रमन सिंह :- इस कार्यकाल के अंतिम दो-तीन दिनों में आपकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। काफी समझदारी की बात करने लगे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोबाइल का महत्वपूर्ण विषय है

.....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\04-07-2018\h14\05.10-05.15 जारी...डॉ.रमन सिंह बुद्धि बहुत बढ़ गई है, काफी समझदारी की बात करने लगे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह मोबाईल का महत्वपूर्ण विषय है, हम इसमें संचार क्रांति के माध्यम से 1600 टॉवर लगेंगे और 50 लाख स्मार्ट फोन का वितरण होगा । वर्तमान में 20 हजार गांवों में से 13 हजार ग्रामों में मोबाईल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है । यह कनेक्टिविटी बढ़कर मई 2017 में 20 हजार ग्रामों में से 17 हजार ग्रामों में नेटवर्क हो जायेगा। 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को 4 जी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने की सुविधा हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी योजना है, जो जीवन में परिवर्तन आने की है । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके हितग्राहियों की सूची बता रहा था कि किसे मिलेगा, कोई अमीर आदमी को जिसके पास ऑल रेडी मोबाईल है, उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, टॉवर वहां ले जा रहे हैं, जहां आज तक कनेक्टिविटी नहीं थी । अध्यक्ष महोदय, इसके दो ऑकड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवार के महिलाओं के हाथ में मोबाईल फोन रहेगा, 40 लाख महिलाओं को मोबाईल फोन बंटने वाला है, (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, शहरी परिवार के और कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को गवर्नमेंट और प्रायवेट कॉलेज सब को मिलाकर सभी कॉलेजों के छात्रों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन का वितरण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह तीन कैटेगरी है । तीन कैटेगरी में हम मोबाईल का वितरण शुरू कर रहे हैं । आने वाले समय में इसका उपयोग करेंगे । प्रदेश के किसानों के गाढ़ी मेहनत के एवज में राज्य सरकारों द्वारा 1706 करोड़ का बोनस पहले ही वितरण किया जा चुका है । इस वर्ष औसतन 73 हजार प्रति किसान की दर से 12 लाख 6 हजार किसानों को धान बोनस वितरित किया गया । अब प्रदेश में चना फसल उत्पादक किसानों को 1500 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन 120 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है । गौ-शाला की व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए 5 करोड़ की राशि दी गई है । पशुधन मित्र योजना अंतर्गत गौ सेवा और कृतिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है । भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना में इथानॉल प्लाण्ट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । दतरेंगा में गृह और पशु की रूगणावास की व्यवस्था के लिए 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में ईज ऑफ डूड़िंग बिजनेस के अंतर्गत उठाये गये कदम से औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ है । औद्योगिक ईकाई को लागत पूंजी के अनुदान में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है । वनवासियों की आजिविका बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल से वन-

धन योजना शुरू की गई है । इसके साथ ही साथ बीजापुर जिले में लघु वनोपज उत्पादक की गुणवत्ता और मूल्य वृद्धि हेतु प्रस्संकरण केन्द्र की स्थापना, इसके पूर्व लघु वनोपज संग्रहण के गोदाम के निर्माण हेत् 1 करोड़ 16 लाख का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया है । बॉस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए म्ख्यमंत्री बॉस विकास योजना हम लागू कर रहे हैं । इसका बेहतर तरीके से उपाय करेंगे । इस बजट में प्रशासकीय संरचना का स्दढ़ीकरण के तहत इसमें हमारे माननीय विधायकों ने परसों से और क्षेत्र की जनता की मांग के अन्रूप 6 नवीन तहसील स्थापना की मांग के लिए रखा था। वह 6 नवीन तहसील स्थापना को इस बजट में प्रावधान रखा गया है । गंडई जिला राजनांदगांव, लवन, भटगांव, जिला बलौदाबाजार, चिरमिरी जिला कोरिया, रेंगाखार जिला कबीर धाम और शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा के ऐसे 6 नवीन तहसील का स्थापना किया गया है । विशेष अधोसंरचना योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थाना-चौकी में स्रक्षा कैम्प के लिए 10 करोड़ रूपये, महिला और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराध के रोकथाम के लिए फोरेंसिंक लैब ट्रेनिंग सेंटर के लिए 2 करोड़ 30 लाख, राज्य की पुलिस बल की आधुनिकीकरण के लिए राज्य के अन्य अत्यन्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अधोसरंचना विकास प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए 800 करोड़ की लागत से त्रि-वर्षीय कार्ययोजना बनाई गई है । इसके अंतर्गत प्रति जिला, प्रति वर्ष 35 करोड़ के मानदेय से स्वीकृति की गई है । इस हेतु मुख्य बजट में 230 करोड़ का प्रावधान किया गया था । अन्पूरक में 36 करोड़ 64 लाख का प्रावधान किया गया है । राज्य के 12 जिलों में जेलों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए ई-प्रिजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है । इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख का सूचना किया गया है । अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो नई योजनायें आई है, केन्द्रीय सड़क निधि से भारत सरकार द्वारा राजमार्गों के निर्माण के लिए 217 किलोमीटर 613 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई । इस वर्ष इस मार्ग के निर्माण में होने वाले व्यय 112 करोड़ 54 लाख अन्पूरक में प्रावधान किया गया है । केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में स्वीकृत 7 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, अंडर ब्रिज राजमार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक भू-अर्जन

श्रीमती यादव

श्री अमरजीत भगत :- हमारी विधायक कॉलोनी की तो सड़क बन नहीं पा रही है, हर बार विधानसभा में हम लोग उठाते हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे शहरों में हवाई सेवा जोड़ने के लिये उड़ान योजना, जगदलपुर से रायपुर जुड़ गया है, रायपुर से विशाखापट्टनम हवाई सेवा प्रारंभ हो गयी है । अंबिकापुर, बिलासपुर की हवाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है । अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 04 करोड़ 50 लाख किया गया है, शीघ्र अंबिकापुर भी जुड़ जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय नेता जी, हम आपका समय बचा रहे हैं, आपको जो 6-8 घंटे लगते हैं ट्रेन में अब आप 40-50 मिनट में पहुंच जायेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- क्षमा करेंगे, एक सुझाव दे रहा हूं रोड के संबंध में बात आयी । अभी आपने रिंगरोड के लिये पैसे दिये अच्छी राशि मिली । वहां का जो अनुभव आया, मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में यह कांक्रीट की रोड हमको नहीं बनानी चाहिए और उसका कारण बता रहा हूं कि बेस से लेकर तैयार करके जब आप गिट्टी की ढलाई करते हो 28 दिन उसको सेटिंग होने में लग रहे हैं और इतनी बद्व्यवस्था बनती है और शहर के इतने बुरे हाल होते हैं मैं उसकी गुणवत्ता की बात नहीं कर रहा, बाहर जगह बनाईये लेकिन शहरों में मुझे लगा आपने ज्यादा पैसे दिये, डामर में कम लगते, आपने ज्यादा पैसे दिये कांक्रीट के और बात भी हुई थी तो आपने कहा कि बाबा वह कांक्रीट वाला आपका रिंग रोड लेकिन उस पर पुनर्विचार किया जाये । इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल उसको बनाने में समय भी लग रहा है ।

डॉ. रमन सिंह :- देखिये, मैं आपको एक बात बता दूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मुझे वैसी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा कि बढ़िया होगा ।

डॉ. रमन सिंह :- आप थोड़ा दुखी जरूर हो रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- श्रीमान, सरगुजा का आवागमन बंद है, सब रोड जाम है

डॉ. रमन सिंह :- राजा जी जब बोल दें तो आप मत बोला करो । (हंसी) जबरदस्ती खड़े हो जाते हो, उधर कोई देखता ही नहीं है ।

श्री कवासी लखमा :- ये राजा को सपोर्ट करने वाले आदमी हैं इसीलिये बोलते हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- मैं आपको आज बोल रहा हूं और अगली बार अगली विधानसभा में फिर आप जब यही प्रश्न करेंगे (हंसी) तो फिर यही जवाब दूंगा तब तक वह सड़क बन जायेगी और उस दिन आप मुझे धन्यवाद देंगे कि अच्छा किया सीमेंट-कांक्रीट की रोड बनाये । एक महीने की दिक्कत है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अभी इतनी दिक्कत जा रही है, इतनी दिक्कत जा रही है कि उसकी एक तो हाईट बढ़ जा रही है इतना तो कांक्रीट हो रहा है। मजबूत हो रहा है, अच्छा काम है उससे मैं इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन शहरों में क्या हमको करना चाहिए जरूर उस पर विचार करना चाहिए।

डॉ. रमन सिंह :- एक महीने का कष्ट रहेगा और आप तब तक विधानसभा में बैठे है । अभी आपको सरगुजा जाना नहीं पड़ रहा है, एक-डेढ़ महीने में हम पूरा ठीक-ठाक कर देंगे और उसके बाद माननीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी बोलते हैं कि प्रसव पीड़ा है यह ठीक हो जायेगा । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- ठीक कहा उन्होंने एक महीने वाली नहीं, नौ महीने वाली । (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- एअर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये जो कदम उठाया गया एक तरफ जगदलपुर से कनेक्टिविटी बढ़ी । सरगुजा-बिलासपुर और आगे फिर रायगढ़ की कार्ययोजना है और अंबिकापुर के लिये 4 करोड़ 50 लाख है । क्या है नेता जी जब उत्तेजना में आ जाते हैं तो अच्छी बातों को भूल जाते हैं आज कम से कम 4 करोड़ 50 लाख के लिये धन्यवाद तो दिये होते अंबिकापुर के विस्तार के लिये वह भी भूल गये ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी ।

डॉ. रमन सिंह :- 4 करोड़ 50 लाख अंबिकाप्र एअरपोर्ट के विस्तार के लिये आपने पढ़ा ही नहीं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं-नहीं उसको नहीं पढ़ा । मैंने मेडिकल कॉलेज 1-75 पढ़ा था । अब मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज में सबने पहल करके उसकी अन्मति इस साल के बजट में...

डॉ. रमन सिंह :- अच्छा, ईमानदारी से आप यहां बोलिये कि आपका मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता, उसकी स्थापना और उसको स्थापित करने में कितना बड़ा सरकार का योगदान रहा । आप एक-बार दिल से

.....शी यादव

यादव\04-07-2018\h16\5.20-5.25

.....(जारी श्री टी.एस.सिंहदेव) :- मैंने आप लोगों को बोला, बहुत पीछे पड़ा और आपने जैसा बताया कि जब वो मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया वाले अमेरिका में थे, यहां के दिन और वहां की रात का आपने कमिटमेंट लिया और इस साल पुन: चालू हो पाया, लेकिन हम लोगों का भी डाल दीजिए कि हां, आपने पहल की ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब वो नहीं रहता, तब आप तो पूरा सच बोलत हैं और एकदम सही बोलते हैं । (हंसी) जब वो रहते हैं तो आप इधर उधर हो जाते हैं । (हंसी)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- पिछले साल जीरो ईयर कैसे रहा, यह तो बताओ ? इस साल भी जीरो ईयर कैसे रहा, यह बताइए ? यह आपकी उपलब्धता है ।

डॉ.रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मिहला बाल विकास में मातृत्व लाभ कार्यक्रम अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है और इस योजना में समस्त गर्भवती एवं धात्री मिहलाओं के प्रथम जीवित शिशु पर पांच हजार रूपए का तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है । प्रतिमाह लगभग 9000 मिहलाओं को यह राशि प्रदान की जाती है । मिहला शिक्त केंद्र योजना में 11 जिले कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, बस्तर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाइा, कोण्डगांव, नारायणपुर, बीजापुर, रायगढ़ को

शामिल किया गया है । ग्रामीण महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए उनको सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और योजना का सक्षमतापूर्वक क्रियांवयन के लिए अनुपूरक में प्रावधान रखा गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से चली आ रही शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नियमितीकरण की मांग पर, सभी पक्षों पर सहृदयतापूर्वक विचार करते हुए हमारी सरकार ने उनके संविलियन और नियमितीकरण का निर्णय लिया है। आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों को नियमित वेतन मान का लाभ दिया जाएगा और भविष्य में नियमानुसार प्राचार्य और प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नित की उनको पात्रता भी प्राप्त होगी। (मेजों की थपथपाहट) इस निर्णय से लगभग एक लाख शिक्षाकर्मियों को तत्काल लाभ मिलेगा। 01 जुलाई, 2018 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और क्रमश: आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ ही सभी शिक्षाकर्मी लाभावित होंगे। इस व्यवस्था से राज्य बजट में आने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 1025 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी कल्याण में कहना चाहूंगा । राज्य शासन के कर्मचारियों हेत् 01 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की घोषणा से प्रदेश में ढाई लाख अधिकारी, कर्मचारियों को औसत 15 प्रतिशत बढ़े ह्ए वेतन का लाभ प्राप्त हो रहा है । पेंशनरों की लंबी मांग देखते ह्ए मैं घोषणा करता हूं कि 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को सातवें वेतनमान के अन्रूप मूल पेंशन का 2.57 ग्ना पेंशन और परिवार पेंशन का लाभ 01 अप्रैल, 2018 से दिया जाएगा । इसमें 80000 पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा । यह उनके लिए बहुत बड़ी योजना है । (मेजों की थपथपाहट) 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मिलने वाली ग्रेज्एटी की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी गई है । राज्य के पेंशनरों हेत् ऑनलाईन पेंशन सिस्टम आभार आपकी सेवाओं, का लागू किया गया है। मितानिनों को राज्यांश के देय मानदेय की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। 70000 मितानिनों की मासिक आय में 400 से 1000 तक की वृद्धि हुई है। इसके लिए अनुपूरक में 66 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा पूर्व में की गई थी । 01 अप्रैल, 2018 से 91000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को इसका लाभ मिलना श्रूक हो गया है । बढ़े ह्ए मानदेय की राशि 87 करोड़ 75 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । राज्य शासन द्वारा 2018 - 2019 में कोटवार के मानदेय को डेढ़ गुना और पटेलों के मानदेय राशि को 1000 से 2000 करने का प्रावधान किया गया है । ग्राम पंचायत के सचिवालय व्यवस्था को स्दढ़ करने हेत् 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पंचायत सचिव को उच्चतर वेतनमान 5200 - 20200 ग्रेड पेय 2400 का लाभ

दिया गया है । 15 वर्ष से कम सेवा अविध वाले पंचायत सिचव को वर्तमान वेतन के साथ प्रतिमाह 1500 की दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा । इससे 10971 पंचायत सिचव लाभांवित होंगे । मनरेगा योजना के तहत पदस्थ रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए पांच वर्षों से अधिक सेवा करने वालों को 5450 और पांच वर्ष से कम सेवा करने वालों को 5000 का भुगतान 01 अप्रैल, 2018 से किया जा रहा है । (मेजों की थपथपाहट) सिंचाई विभाग में 30 से 40 वर्ष की सेवा करने वाले 500 से अधिक उपयंत्रियों के प्रमोशन के लिए सांखेतर पद, 500 पद की व्यवस्था की जाएगी । (मेजों की थपथपाहट) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । अध्यक्ष महोदय, अंत में...।

सभा के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 7 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री मिश्रा

मिश्रा\04-07-2018\h17\.-.5

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। भारत के किसानों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि किसानों की लागत मूल्य से दुगुनी आय दिलाने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा पूरी करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। धान के समर्थन मूल्य में 200 रूपये की वृद्धि।

श्री अमरजीत भगत :- महाराज, आपने 2100 रूपये कहा था।

डॉ. रमन सिंह :- बृजमोहन जी ने हिसाब बताया था, नहीं पढ़ पाये?

श्री अमरजीत भगत :- वह हिसाब-किताब में डंडी मार रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- आज तक वही हिसाब नहीं समझ पाये। अध्यक्ष महोदय, न केवल धान बल्कि मक्का के समर्थन मूल्य में 1425 से 1700 यानी मक्का के प्रतिक्विंटल मूल्य में 275 रूपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। (मेजों की थपथपाहट) मूंग पर 1400 रूपये की वृद्धि की गई है, रागी में 997 रूपये, सोयाबीन में 349 रूपये, उड़द में 200 रूपये, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कीमतों में जो ऐतिहासिक वृद्धि की गई है यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और जो घोषणा पत्र की बात करते थे

आज जो हिसाब हुआ 1550 से 200 बढ़ाकर 1750 और 1700 में यदि बोनस मिलाया जाए तो रूपये 2050 यानी 2100 का जो आंकड़ा सोच रहे थे वह समय के पहले ही पूरा हो गया इसलिए आपको बोलने की जरूरत खत्म। मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुमूल्य सुझाव दिये। चूंकि इस पांच साल की यात्रा का इस पूरे पड़ाव में मैंने देखा कि कैसे हमारे सदस्य जो पहली बार भी जीतकर आये हैं धीरे-धीरे 1, 2, 3, 4 और 5 साल की यात्रा में अब पूरी मजबूती के साथ अपनी बात शुरू किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में जितनी मेहनत हमारे विपक्ष के लोगों ने, हमारे साथियों ने की है मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि ऐसा का ऐसा हम सब जीतकर आ जाएं। ये व्यवस्था आगे चलती रहे (हंसी) और नेता जी ने प्रतिपक्ष की भूमिका को इतना अद्भुत तरीके से निभाया है कि उनको मैं सर्वश्लेष्ठ नेता प्रतिपक्ष के रूप में कह सकता हूं कि इसको वह कायम रखें और हम शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में इस भूमिका को और आगे बढायें। धन्यवाद। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता के उपर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमको टिकट मिलेगी, आपके यहां जो 40 कट रहा है उसको मत कटवाना। मोदी जी सुनेंगे या नहीं पता नहीं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपकी सद्भावना और गहरी हो और हम लोगों के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप सोचें, बड़े भाई भी हैं और एक छोटी सी बात हालािक शायद अनुपूरक का न हो, मैंने एक रोड के लिए दिया था, जरूर आपके ध्यान में होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 67, 71, 76, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौवन लाख, दो हजार, नौ सौ सड़सठ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए।

(अनुप्रक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत ह्आ।)

(मेजों की थपथपाहट)

समय: सायं 5.29 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2018

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :-प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत ह्आ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

श्री कुरैशी

क्रेशी\04-07-2018\h18\05.30-05.35

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम एवं अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पारित किया जाए ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयक पारित हुआ । (मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए आज ही पुर:स्थापन की अन्मति प्रदान की है -

- 1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) तथा
- 2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018)

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमित चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमित दी जाय ।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, (1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 8, सन् 2018) तथा (2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13, सन् 2018) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 05 जुलाई, 2018 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

05 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 05 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 14, 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

रायपुर 04 जुलाई, 2018 चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा